हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

18 सितम्बर, 2007

खण्ड-2, अंक-2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 18 सितम्बर, 2007

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(2)21
अतारांकित प्रश्न	(2)53
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं	(2)69
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
राज्य में सिंचाई की भारी कमी सम्बन्धी	(2)74
वक्तव्य—	
सिंचाई मंत्री द्वारा	(2)75
वाक आउट	(2)78
वक्तव्य (पुनरारम्भ)	(2)80
घोषणाएं—	
(क) अध्यक्ष द्वारा	(2)92
चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची	
अनुपस्थिति सम्बन्धी सूचना	
(ख) सचिव द्वारा	(2)93

मूल्य :

बिजनैस ऐडवाईजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना (2)94
सदन की मेज पर रखे जाने वाले / पुनः रखे जाने वाले कागज-पत्र (2)95
विशेषाधिकार मामलों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति की प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना (2)97
श्री ओम प्रकाश चौटाला के विरुद्ध
वर्ष 2004-05 के अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगें प्रस्तुत करना, चर्चा तथा मतदान (2)98
वर्ष 2007-08 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) प्रस्तुत करना (2)100
प्राकलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना
अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) 2007-08 (2)100
अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा तथा मतदान
विधान कार्य (2)101
1. दि हरियाणा पंचायती राज (सैकण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2007 (2)101
2. दि हरियाणा को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ (अमैंडमैंट) बिल, 2007 (2)105

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 18 सितम्बर, 2007

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (डॉ० रघुवीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Questions hour.

Tara Baba Kutiya Trust

***710. Shri Karan Singh Dalal :** Will the Industries Minister be pleased to state—

(a) whether there is any trust in the name of Tara Baba Kutiya in District Sirsa;

(b) if so, the names and addresses of its trustees together with the details assets annual receipts/donations of the trust from 2000 to till date ?

Industries Minister (Sh. Lachhman Dass Arora) :

(a) & (b) Tara Baba Kutiya Trust is not registered under the Societies Registration Act, 1860 in District Sirsa. The required information on point (a) and (b) is therefore not available.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में तारा बाबा कुटिया के नाम से कोई ट्रस्ट होने के लिए मना किया है। अध्यक्ष महोदय, यह ट्रस्ट उन लोगों ने स्थापित किया है जिन लोगों ने साढ़े पांच साल इस प्रदेश को लूटा है। न जाने किन गैर-कानूनी तरीकों से कमाया हुआ धन लोगों को डरा धमका कर सरकार को चकमा देकर के कानून को धत्ता बता करके, ये हजारों करोड़ रुपये इन्होंने लूटे हैं। ट्रस्ट के मालिक इस प्रदेश को एम०डी०एल०आर० के नाम से हवाई सेवाएं यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या तारा बाबा कुटिया के नाम में कोई फर्क है या तारा बाबा के नाम से कोई ऐसा ट्रस्ट है? मंत्री जी खुद सिरसा जिले से सम्बन्ध रखते हैं। क्या गैर-कानूनी तरीके से कमाया हुआ धन उस ट्रस्ट के बनाने में लगाया गया है? जो ऐसे लोग हैं वे इस देश और प्रदेश के लिए बदनुमा दाग हैं और इस देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हैं। कई और एयरलाईन्स चलाने के बारे में अखबारों में अक्सर खबर आती है कि गैर कानूनी लोग जो गैंगस्टर हैं न जाने

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

क्या जुल्म करके क्या गुनाह करके, हवाई जहाज की सेवा चलाने की बात करते हैं। नाजायज फायदा उठाकर करके जो इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जानते होंगे कि इस प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के द्वारा गैर कानूनी ढंग से कमाया हुआ धन इस ट्रस्ट में लगा हुआ है। क्या इस नाम का कोई और ट्रस्ट सिरसा में है? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह तारा बाबा ट्रस्ट के नाम से कोई ट्रस्ट सिरसा में रजिस्टर हुआ है और इस ट्रस्ट की क्या सम्पत्तियां हैं, कितनी रिसीट्स हैं और इस ट्रस्ट के लिए कहाँ से पैसा आ रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जो डोनेशन दिया करते हैं? अध्यक्ष महोदय यह जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब उनकी सरकार थी तो गैर-कानूनी तरीकों से कमाये हुए सारे धन को नम्बर दो से नम्बर एक बनाया करते थे। मंत्री जी को सदन की जानकारी के लिए बताना चाहिए कि आज जब उनकी सरकार नहीं है तो उस ट्रस्ट की करोड़ों रुपये की आमदनी कहाँ गायब हो गई। क्या मंत्री जी सदन की जानकारी के लिए बतायेंगे कि तारा बाबा ट्रस्ट के नाम से कोई ट्रस्ट सिरसा में चल रहा है या नहीं?

श्री लछमन दास अरोड़ा : स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने जो क्वैश्चन किया है उस चीज का इस प्रश्न के साथ कोई सरोकार नहीं है। जहाँ तक ट्रस्ट की बात है, तारा बाबा कुटिया के नाम से कोई ट्रस्ट सरकार के पास रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए इस प्रकार की कोई इन्फर्मेशन कलैक्ट करने की सरकार ने कोई मांग नहीं की थी।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया और मैंने मान भी लिया कि तारा बाबा कुटिया के नाम से कोई ट्रस्ट सरकार के पास रजिस्टर्ड नहीं है। परन्तु मंत्री जी इस बात को बताने से परहेज क्यों कर रहे हैं कि तारा बाबा के नाम से कोई ट्रस्ट सिरसा में है या नहीं।

श्री लछमण दास अरोड़ा : स्पीकर सर, मैं किसी बात का परहेज नहीं कर रहा। माननीय साथी जो भी जानकारी इस बारे में चाहते हैं उसके बारे में ये मुझे अलग से लिखकर दे दें, इनको जवाब दे दिया जायेगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने जो कुछ कहा है वह नियमों के मुताबिक ठीक है लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ वह प्रदेश के हितों को देखते हुए हमारे लिए सर्वोपरि है। नाजायज तरीकों से कमाया हुआ धन कहाँ गया उसकी जानकारी प्रदेश की जनता को मिलनी चाहिए। जिन लोगों की जमीनें 1996 में एच०एस०आई०डी०सी० और हरियाणा वित्त निगम का कर्जा न भरने के कारण नीलाम हो गई थीं वे लोग वर्ष 2000 के बाद हजारों करोड़ रुपये के मालिक बन गये मैं इस बारे में प्रश्न पूछ रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस देश और प्रदेश के लिए वे लोग बहुत बड़ा खतरा हैं, न जाने उनके कितने ही नाजायज लोगों से संबंध हैं और उन्होंने कितने ही गलत कार्य किए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इस तरह के बदमाश लोगों के खिलाफ कार्यवाही की है जिसके कारण अब वे लोग छिपे हुए हैं, बिलों में घुसे हुए हैं। मैंने प्रधान मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी थी कि it is a threat to the security of the country. न जाने कब क्या जुर्म करके भाग जायें। विधान सभा के नियमों के मुताबिक मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि तारा बाबा ट्रस्ट के नाम से कोई ट्रस्ट रजिस्टर्ड है तो उसकी क्या डोनेशंज हैं, क्या रिसीप्ट्स हैं। क्या विधान सभा

के बाद मेरे पास इसका जवाब मंत्री जी भिजवायेंगे?

श्री लछमण दास अरोड़ा : स्पीकर सर, माननीय साथी ने जो जवाब मांगा है इस बारे में वे मुझे लिखकर भिजवा दें। इनको जो भी जानकारी चाहिए उसका जवाब इन्हें भिजवा दिया जायेगा।

Cleaning of Drain No. 8

***712. Shri Dharampal Singh Malik :** Will the Irrigation Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to clean the Drain No. 8 running through Gohana town; and

(b) if so, the details thereof ?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

(a) Yes, Sir.

(b) A project estimate amounting to Rs. 585.82 lacs for increasing capacity of Drain No. 8 from RD 0 to 15700 including brick pitching on side slopes from RD 0 to 2000 within Gohana town is under consideration of Govt.

चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, गोहाना जाते समय ड्रेन नं० 8 के पास से मेरे ख्याल से सभी माननीय सदस्य गुजरते हैं। ड्रेन नं० 8 नैकलैस की तरह है क्योंकि इसका आकार हंसली जैसा है। यह एक तरफ से खाली है और इसके तीन तरफ से ड्रेन गुजरती है। बाढ़ के समय वहाँ बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। मंत्री जी ने कहा है कि यह परियोजना विचाराधीन है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि यह परियोजना कब तक पूरी होगी? मंत्री जी ने ईंट लगाने की बात कही है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस ड्रेन के दोनों बैंक्स पर जो एक पानीपत की तरफ जाता है और एक शहर की तरफ जाता है पक्की सड़क बनाने का कोई विचार सरकार का है ताकि पक्की सड़क बनने से इस ड्रेन के टूटने का खतरा टल जाये और शहर को तबाही से बचाया जा सके।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि डाईवर्शन ड्रेन नं० 8 एक नाईवाली नाला है जो बहुत समय पहले गोहाना टाऊन और रोहतक को बाढ़ से बचाने के लिए बनाई गई थी। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों गोहाना गये थे उस वक्त भी यह बात उनके सामने उठी थी। उस बात को देखते हुए इसकी जो कैपेसिटी है वह आर०डी० 0 से लेकर आर०डी० 15700 तक जो गोहाना सिटी के पास से निकलती है मात्र 2423 क्यूसिक है। हमने अभी जो एस्टीमेट्स वगैरह बनाये हैं उनके मुताबिक इसकी कैपेसिटी जहाँ से ऑफ टेक करती है 4475 है और यह आगे जाकर कम हो कर 2423 क्यूसिक रह जाती है। इसकी कैपेसिटी को हम 2423 क्यूसिक से 4475 क्यूसिक तक बढ़ाना चाहते हैं। इसकी पिचिंग कराने के लिए भी सरकार ने अपने एस्टीमेट्स वगैरह बना दिये

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

हैं और उनको इस नाबार्ड को दे रहे हैं। इसके साथ ही हम इसकी पिचिंग भी करवायेंगे। दूसरे आपने जो सड़क की बात कही है, इस बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो भी सड़क ड्रेन के साथ बनती है वह कच्ची ड्रेन से खराब हो जाती है और उसमें गड्ढे वगैरह बन जाते हैं। इसके बारे में तो मैं अपने अधिकारियों से विचार-विमर्श करके ही इनको कोई जवाब दे सकूँगा। आप सब जानते हैं कि जहाँ पर पक्की नहरें भी बनी हुई हैं और उनके साथ अगर कोई सड़क बनती है तो उसमें भी गड्ढे पड़ जाते हैं और सड़क बहुत वेवरिंग हो जाती है। इस बारे में तो मैं इनको अपने अधिकारियों से बात करके ही जवाब दे सकूँगा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि क्योंकि ड्रेन नं० 8 के बारे में जैसा मैंने कहा है कि शहर के बाहर भी बहुत आबादी आ गई है। ड्रेन नं० 8 के पूर्व में बहुत ज्यादा आबादी बसनी शुरू हो गई है और उसमें हर तरह का खतरा रहता है। फ्लड् में तो यह टूटती ही है और सारे शहर का गंदा पानी भी इसी ड्रेन में आकर गिरता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इस प्रकार की किसी परियोजना पर आप विचार करने जा रहे हैं कि इस पर शहर से जो करीब 400 मीटर का फासला है उस 400 मीटर को कवर कर लैंटर डाल कर उस पर मार्किट बनायें ताकि शहर के लोगों का भला हो, सरकार को भी फायदा हो और वहाँ से किसी प्रकार की गंदगी बाहर न जाये और लोग बीमारियों से भी बच सकें।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे साथी मलिक साहब ने कहा है गोहाना क्षेत्र के पूरे डिवैल्पमैंट के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है और अगर मुनासिब होगा तो माननीय सदस्य के इस सुझाव पर भी हम जरूर विचार करेंगे।

श्रीमती अनीता यादव : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूँगी कि पुष्परा माईनर को ठीक करने का क्या प्रावधान है? मैंने पिछली बार भी इस बारे में लिख कर उनके पास भेजा था लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी तरह से जखाला माईनर की जो छोटी सी घोड़ा पुलिया हमने मांगी थी क्या उसको बनाने का क्या कोई प्रावधान है? अगर है तो यह काम कब तक हो जायेगा?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, वैसे इस बात का इस प्रश्न से कोई लिंक तो नहीं है फिर भी ये मुझसे मिल कर इसके बारे में बात कर लें फिर हम इस बारे में विचार करेंगे।

श्रीमती अनीता यादव : स्पीकर सर, मैंने कई बार मंत्री जी को इस बारे में लिखित रूप में दिया है कि हमारे यहाँ कोई ड्रेन तो नहीं है लेकिन जो माईनर्स हैं उनके बारे में पहले भी कहा था कि जे०एल०एन० कैनाल है, इसका पानी निकलकर गाँव मुनसा और हेकड़ी की हजारों एकड़ जमीन को खराब कर देता है।

श्री अध्यक्ष : When the Hon'ble Minister assured you on the floor of the House then you may send your demands in written.

कैप्टन अजय सिंह यादव : ठीक है सर, ये लिखकर भिजवा दें उस पर विचार कर लिया जायेगा।

Construction of Power Stations

***721. Shri Naresh Yadav :** Will the Power Minister be pleased to state—

(a) whether the work has been started on the 132 K.V. Power Station at village Seka and 33 K.V. Power Stations at village Sobhapur and Lahroda; if so, the time by which the aforesaid work is likely to be completed; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to install additional transformers at Ateli Mandi, Mahasar, Nangal Chaudhary, Kanti, Bhojawas and Kanina; if so, the time by which the above said transformers are likely to be installed ?

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :

(a) Steps for the construction of 132 K.V. substation at Village Seka and 33 K.V. substations at Sobhapur and Lehroda have been initiated. These substations are scheduled to be commissioned in September, 2008, May, 2008 & March, 2008 respectively.

(b) There is a proposal to augment the 132 K.V. substation at Ateli Mandi by installing an additional transformer by March, 2008. The augmentation of the 132 K.V. substation at Nangal Chaudhary is not feasible due to space constraints in the substation and augmentation of the 132 K.V. substation at Kanina is not immediately required. The augmentation of the 33 K.V. substation at Bhojawas will be completed by the end of September, 2007 and that of the 33 K.V. substation, Mahasar and the 33 K.V. substation, Kanti by March, 2008.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं माननीय सदस्य को डिटेल में बताना चाहूँगा कि इन्होंने इस प्रश्न के अन्दर दो पृथक प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न ए में इन्होंने 132 के०वी०ए० पॉवर स्टेशन सेका गाँव के बारे में पूछा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि 30 अगस्त, 2007 को इसको बनाने के लिए सरकार ने कांट्रैक्ट दे दिया है। इस पर 1260 लाख रुपये खर्चा आयेगा और ऐसा अनुमान है कि सितम्बर, 2008 तक यह बनकर तैयार हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ उन्होंने दो 33 के०वी०ए० पॉवर स्टेशन एक शोभापुर और एक लहरौदा के बारे में पूछा है। शोभापुर के बारे में भी हमने कांट्रैक्ट दे दिया है। 183 लाख रुपये इस पर लागत आयेगी और मई, 2008 तक यह भी बनकर पूरा हो जायेगा। 33 के०वी०ए० सब स्टेशन लहरौदा के लिए भी माननीय सदस्य ने पूछा है। अध्यक्ष महोदय, यह भी हम बना रहे हैं। 132 लाख रुपये उस पर खर्चा आयेगा और मार्च, 2008 तक अनुमान है कि यह भी पूरा हो जायेगा। ये जो इन्होंने भाग ए में तीन प्रश्न पूछे

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

थे यह उनका जवाब है। भाग बी में इन्होंने 6 पृथक प्रश्न पूछे हैं। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जानना चाहा है कि अटेली मण्डी के अन्दर भी क्या कोई बिजली का स्टेशन या सब-स्टेशन लगाने की हमारे पास कोई योजना है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि अटेली मण्डी में 132 के०वी०ए० का जो सब-स्टेशन है वहाँ पर हम एडीशनल ट्रांसफार्मरस लगायेंगे जो कि 20×25 एम०बी०ए० के और 32×33 के०वी०ए० के होते हैं। इसके ऊपर 300 लाख रुपये की लागत आयेगी और अनुमान है कि मार्च, 2008 तक यह बनकर पूरा हो जायेगा। दूसरा उन्होंने महासर के बारे में पूछा है। अध्यक्ष महोदय, महासर में भी हम 33 के०वी०ए० का जो सब-स्टेशन है उसको और बड़ा करेंगे। इस पर 50 लाख रुपये की लागत आयेगी और अनुमान है कि मार्च, 2008 तक यह काम भी पूरा हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, तीसरा प्रश्न उन्होंने इसी के अन्दर नांगल चौधरी के बारे में पूछा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि क्योंकि नांगल चौधरी में उस सब-स्टेशन को बड़ा बनाने के लिए जगह उपलब्ध नहीं थी। इसलिए उसको हम बड़ा नहीं बना रहे हैं। चौथा प्रश्न उन्होंने कांति के बारे में पूछा है। कांति में भी 33 के०वी०ए० का सब-स्टेशन हम बड़ा करेंगे। इस पर 36 लाख रुपये की लागत आयेगी और अनुमान है कि मार्च, 2008 तक वह भी बनकर पूरा हो जायेगा। पाँचवां प्रश्न उन्होंने भोजावास के बारे में पूछा है। वहाँ पर भी जो 33 के०वी०ए० का सब-स्टेशन है, उसे हम बड़ा कर रहे हैं। 36 लाख रुपये की उस पर लागत आयेगी और अनुमान है कि मार्च, 2008 तक वह भी बनकर पूरा हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, पांचवाँ इन्होंने भोजावास के बारे में पूछा है वहाँ भी 33 के०वी०ए० सब-स्टेशन को हम बढ़ा रहे हैं। उस पर 70 लाख रुपये की लागत आयेगी और यह काम भी 30 सितम्बर, 2007 तक पूरा हो जायेगा। छठा इन्होंने कनीना के बारे में कहा है। उसके बारे में अध्यक्ष महोदय, हमारा यह मानना है कि वहाँ पर सब-स्टेशन की आवश्यकता नहीं है। 132 के०वी०ए० का सब-स्टेशन बीना के अन्दर हम लगायेंगे। वह अप्रूव्ड वर्क है। उसके बाद वहाँ की स्थिति अपने आप सुधर जायेगी। मेरा माननीय सदस्य से यह भी अनुरोध है कि अपने प्रश्न में इन्होंने ये 9 अलग-अलग सवाल किये हैं परन्तु सरकार की मंशा बड़ी स्पष्ट है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूँगा कि मार्च, 2005 से अगस्त, 2007 तक मात्र रेवाड़ी और महेन्द्रगढ़ जिलों में 15 करोड़, 82 लाख रुपये सरकार ने सब-स्टेशनों और लाईनों की ऑगमैंटेशन पर खर्च किये हैं।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने डिटेल में सब कुछ बताया कि कहाँ पर क्या-क्या हो रहा है। मेरा इनसे अनुरोध है कि नांगल चौधरी में जो 16 एम०वी०ए० का ट्रांसफार्मर जला हुआ है हम पिछले 8 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि उसको बदला जाये। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि पिछले एक साल से अटेली और नांगल चौधरी में एस०डी०ओ० की पोस्ट खाली पड़ी हैं। दोनों पोस्टों की पोस्टिंग जल्दी से जल्दी की जाये और 16 एम०वी०ए० का ट्रांसफार्मर लगवाया जाये।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, सीता का जब 132 एम०वी०ए० का सब-स्टेशन बनकर तैयार हो जायेगा जैसा मैंने माननीय सदस्य को बताया कि 30 अगस्त, को हमने उसका कंट्रैक्ट दिया है। 1260 लाख रुपये की लागत उस पर आयेगी और सितम्बर, 2008 तक वह बनकर तैयार हो जायेगा उसके बाद कोई समस्या नहीं रहेगी। जहाँ तक किसी अधिकारी की

पोस्टिंग का सवाल है, मानीय सदस्य लिखकर दे दें तो वहाँ पर अधिकारी की पोस्टिंग भी कर दी जायेगी।

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया : अध्यक्ष महोदय, आज से 15-20 साल पहले के जो 33 के०वी० के सब-स्टेशन हैं वहाँ पर अब कनैक्शनों की संख्या बढ़ गई है जिससे उन पर लोड पड़ने लग गया है। वहाँ पर लोगों ने ऐजिटेशन भी किये हैं। मैं खुद भी उन लोगों को समझा कर आई हूँ। क्या इनकी एक्सटैंशन करने का कोई प्रावधान सरकार कर रही है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, हालाँकि यह एक पृथक प्रश्न है जो माननीय सदस्या ने पूछा है लेकिन इन्होंने किसी स्पैसिफिक सब-स्टेशन का नाम नहीं बताया है फिर भी मैं माननीय सदस्या की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि मार्च, 2005 से जब से चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ है उसके बाद हमने केवल महेन्द्रगढ़ और रेवाड़ी के अन्दर नारनौल में 33 के०वी० सब-स्टेशन की कैपेसिटी बढ़ाई है जिस पर 80 लाख रुपये खर्च आया है और 9.5.2006 को वह काम पूरा हो गया है। इसी प्रकार से ऑगमैंटेशन ऑफ 33 के०वी० सब-स्टेशन डबलाना का किया है इस पर 30 लाख रुपये का खर्च आया है और यह काम 30.9.2006 को पूरा हो गया है। इसी प्रकार से ट्रांसमिशन लाईन जो नारनौल से ढाणी बटोटा नारनौल तक जाती है और तकरीबन आधा किलोमीटर लम्बी है यह भी तैयार की गई है। इसी प्रकार से रेवाड़ी में बिसोवा में नया सब-स्टेशन बनाया है। 220 के०वी० सब-स्टेशन रेवाड़ी की ऑगमैंटेशन की गई जिस पर 550 लाख रुपये का खर्च आया है। 132 के०वी० का सब-स्टेशन कोसली में बना है उसकी भी ट्रांसफार्मर लगा कर ऑगमैंटेशन की गई है। जाटूसाना के अन्दर 33 के०वी० सब-स्टेशन की ऑगमैंटेशन की गई। गुड़ियानी के अन्दर 33 के०वी० सब-स्टेशन की ऑगमैंटेशन की गई, खोल के अन्दर भी 33 के०वी० सब-स्टेशन की ऑगमैंटेशन हमने की है। धारावास के अन्दर 33 के०वी०ए० सब-स्टेशन और गुड़ियानी के अन्दर सब-स्टेशन की ऑगमैंटेशन की गई है। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के गठन के बाद पिछले दो साल में जो काम हम कर पाए हैं उन पर कुल लागत 1582 लाख रुपये आई है। जहाँ तक रिवाड़ी और महेन्द्रगढ़ का सम्बन्ध है, ये जिले हमारी सरकार के लिए प्राथमिकता के आधार पर हमेशा से केन्द्र बिन्दु रहे हैं और वहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं कि और ज्यादा सुविधाएं दी जाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और सारे सदन को बताना चाहूँगा कि इस सरकार के गठन के बाद ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर 427 करोड़ 24 लाख रुपये इस सरकार ने खर्च किये हैं जो कि मेरे विचार से हरियाणा के गठन के बाद ऑल टाईम तक का एक रिकॉर्ड भी है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को यह बताना चाहूँगा कि मेरे हल्के ऐलनाबाद में मुहम्मदपुर और मिर्जापुर गाँवों में दो सब-स्टेशन्ज का काम या तो बन्द हो जाता है या काफी धीमी गति से चलता है। दोनों सब-स्टेशन्ज का काम काफी लम्बे समय से पैंडिंग चला आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि क्या वे इन सब-स्टेशन्ज के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करके इन दोनों सब-स्टेशन्ज का काम पूर्ण करके इनको चालू करवाने की कृपा करेंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूँगा कि यह एक सैप्रेट प्रश्न है। महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी जिले हों या सिरसा जिला

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]
हो, हम यह चाहते हैं कि सारे हरियाणा के अन्दर डिस्ट्रीब्यूशन नैटवर्क बैटर बन जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इसके बारे में लिख कर भिजवा दें हम इस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री राधे श्याम शर्मा अमर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया है कि नांगल चौधरी में ऐडीशनल ट्रांसफारमर्ज की इन्स्टॉलेशन के लिए जगह उपलब्ध नहीं है, हम जगह उपलब्ध करवा देंगे। इसके साथ ही साथ नांगल चौधरी के एरिया में जितने भी बड़े-बड़े गाँव हैं, उनके पास की ढाणियों को मिला कर बड़े गाँव बन जाते हैं जैसे मूसनूता है, नाण है, निजामपुर और बाखरी किशन नगर आदि गाँव हैं इनमें भी ऐडीशनल ट्रांसफार्मर लगाने की जरूरत है। दूसरे 16 एम०बी०ए० की जो मशीन जल गई थी उसकी वजह से हमारे सारे के सारे इलाके में बहुत ही दिक्कत हो रही है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इन ट्रांसफार्मर्ज को कब तक ठीक करवा देंगे और क्या माननीय मंत्री महोदय इसके लिए कोई टाईम फ्रेम निर्धारित कर इनको जल्दी से जल्दी चालू करवाने की कृपा करेंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि इसके लिए यह पृथक प्रश्न पूछें। फिर भी यदि ये लिख कर भिजवा देंगे तो हम इस बारे में कार्यवाही करवाएंगे।

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगी कि मैंने 33 के०वी०ए० का सब-स्टेशन बिसोवा में बनवाने के लिए पिछली सरकार के समय में मांग की थी लेकिन उस सरकार ने उसकी केवल चारदीवारी ही मन्जूर की थी। हमारी सरकार आने के बाद बिसोवा में 33 के०वी०ए० का सब-स्टेशन मन्जूर हुआ है और उसका काम भी तेजी से शुरू हुआ है लेकिन पिछले करीब एक महीने से वहाँ पर काम धीरे-धीरे चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगी कि बिसोवा में 33 के०वी०ए० का सब-स्टेशन कब तक पूरा हो जायेगा और इसमें अभी और कितना समय लगेगा?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या इसके बारे में पृथक सवाल पूछें। जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध है उसके अनुसार बिसोवा में 33 के०वी०ए० के सब-स्टेशन का कार्य शुरू हो गया है और यह उप-केन्द्र जल्दी ही शुरू हो जाएगा।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूँगी कि हमारे कलायत हल्के का सब-स्टेशन काफी पुराना हो गया है और उस सब-स्टेशन से काफी गाँव भी जुड़े हुए हैं। लोड ज्यादा होने की वजह से वहाँ पर काफी दिक्कत भी है। उस सब-स्टेशन को 132 के०वी०ए० का सब-स्टेशन करने की मांग की थी। क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस सब-स्टेशन को 132 के०वी०ए० के सब-स्टेशन में अपग्रेड करने की मांग सरकार के पास पैंडिंग है? इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगी कि मेरे हल्के कलायत में गाँव सांगण और कुराड़ में 33 के०वी०ए० के सब-स्टेशन्ज बनाए जाने हैं उनका निर्माण कार्य प्रगति पर है, और उन सब-स्टेशन्ज के कब तक पूरा होने के आसार हैं?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल मेन सवाल से सम्बन्धित नहीं है इसलिए इसके लिये माननीय सदस्या पृथक से सवाल पूछें। मैं माननीय सदस्या को यह बताना

चाहूँगा कि वे इसके बारे में लिखकर भिजवा दें हम इसके बारे में पूरी जानकारी माननीय सदस्या को भिजवा देंगे।

SEZ's in Waste Land in the State

***722. Dr. Sushil Indora :** Will the Industries Minister be pleased to state—

(a) the number of SEZ's proposed to be set up on the wasteland in the State together with the location and number thereof; and

(b) if, the reply to part (a) above is negative, whether there is any proposal with the Government for the utilization of the said waste lands; if so, the details thereof ?

Industries Minister (Sh. Lachhman Dass Arora) :

(a) Sir, at present there is no proposal for setting up of Special Economic Zone on the waste land in the State.

(b) At present there is no proposal with the State Government for the utilization of waste lands for setting up of Special Economic Zones in the State.

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, वैसे तो जो भूमि बेकार में पड़ी हुई है उसके इस्तेमाल के लिए अनेक योजनाएं बनती हैं, इन योजनाओं में से एक योजना बेकार भूमि पर लोगों के फायदे के लिए स्पैशल इक्नोमिक जौन बनाए जाने की है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश में कितनी वेस्ट लैंड है, कितने समय से यह वेस्ट पड़ी हुई है और वह वेस्ट लैंड कौन-कौन से जिलों में है?

श्री लछमण दास अरोड़ा : स्पीकर सर, जहाँ तक वेस्ट लैंड का सवाल है, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहूँगा कि हरियाणा में नाममात्र ही वेस्ट लैंड होगी, हो सकता है यह एक प्रतिशत से कम हो। स्पीकर सर, इस बारे में विस्तार से जानकारी हम इनको भेज देंगे।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, मंत्री जी ने अपने जवाब में माना है कि हरियाणा प्रदेश में मात्र एक प्रतिशत ही वेस्ट लैंड है। क्या सरकार ने इस बारे में आकलन किया है कि सरकार उस जमीन को कृषि योग्य बनाकर उस पर कृषि करवाएगी और अगर किया है तो इस पर कितना खर्च आने की उम्मीद है?

श्री लछमण दास अरोड़ा : स्पीकर सर, मेरे कहने का मतलब है कि अगर वेस्ट लैंड होगी तो ही उस बारे में कुछ करेंगे।

श्री सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, मंत्री जी यह कह रहे हैं कि हरियाणा में वेस्ट लैंड है ही नहीं।

श्री लछमण दास अरोड़ा : स्पीकर सर, मैं यह कह रहा हूँ कि वह लैंड इतनी नहीं है कि उस बारे में आकलन किया जाए कि उस जमीन पर खेती की जा सकती है या नहीं की जा सकती है।

Vacant Post in General Hospital at Chautala

*725. **Dr. Sita Ram** : Will the Health Minister be pleased to state—

(a) the number of sanctioned posts of Medical Officers/SMO, Paramedical Staff and Class-IV employees lying vacant from 2006 to date in General Hospital, Chautala; and

(b) the steps taken by the Govt. to fill up the above mentioned posts ?

स्वास्थ्य मंत्री (बहन करतार देवी) :

विस्तृत सूची सदन के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है।

सूची

(क) सामान्य अस्पताल, चौटाला में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा अधिकारी, पैरा-मैडीकल स्टॉफ व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्वीकृत, रिक्त पदों बारे स्टेटमैंट निम्न प्रकार से है :—

क्र०सं०	पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1
2.	चिकित्सा अधिकारी	5	4
3.	स्टॉफ नर्स	7	4
4.	नर्सिंग सिस्टर	1	1
5.	रेडियोग्राफर	1	1
6.	प्रयोगशाला तकनीशियन	1	1
7.	चतुर्थ श्रेणी	10	3

(ख) सरकार द्वारा रिक्त पदों को भरने बारे निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :—

- हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को 24 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों, 232 चिकित्सा अधिकारियों, 90 औषधाकारकों, 30 रेडियोग्राफरों, 197 स्टॉफ नर्सों तथा 175 प्रयोगशाला तकनीशियनों के रिक्त पदों को भरने के मांग पत्र भेजे हुये हैं। उम्मीदवारों के चयन के पश्चात् रिक्तियों को तुरन्त भरने के लिए प्रयास किये जाएंगे।

- सिविल सर्जनों को अपने जिलों में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को भरने के लिए निर्देश जारी कर दिये गये हैं। उन्हें यह भी निर्देश दिये जा रहे हैं कि इन पदों को भरने की प्रक्रिया अगले छः मास में पूर्ण कर ली जाए।
- एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को दिनांक 31-8-07 को नियुक्त कर दिया गया है, जो कि निकट भविष्य में कार्यभार ग्रहण कर लेगा।
- एक नये चयनित चिकित्सा अधिकारी को दिनांक 3-5-07 को नियुक्त किया गया है, जिसे दिनांक 30-9-07 तक कार्यग्रहण के लिए बढ़ौत्तरी दी गई है।
- एक स्टॉफ नर्स को दिनांक 7-9-07 को लगाया गया है।

बहन करतार देवी : स्पीकर सर, वैसे तो मैंने विस्तृत जानकारी सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर दी है लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूँगी कि सामान्य अस्पताल चौटाला में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का एक पद खाली है लेकिन उसको हमारा खाली रखने का कोई इरादा नहीं है। हमने 30.7.2007 को एक डॉक्टर नांदल के ऑर्डर कर दिये थे लेकिन वह हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आया है। उसके बाद हमने वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर संतोष के ऑर्डर कर दिए हैं उसने भी अभी ज्वाइन नहीं किया है। इस बारे में तो डॉ० सीता राम जी को ही पता होगा कि वहाँ पर किस प्रकार का वातावरण है कि वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं जाना चाहता है। स्पीकर सर, वहाँ पर अस्पताल भी है और उसकी बिल्डिंग भी बढ़िया है लेकिन पता नहीं किन कारणों से वहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं जाना चाहता है। स्पीकर सर, अब हमने डॉक्टर श्वेता छाबड़ा के 3.5.2007 को ऑर्डर कर दिए थे लेकिन उसने 30.9.2007 तक ज्वाइन न करने के बारे में रिलैक्सिएशन ली हुई है और उम्मीद है कि वह 30.9.2007 तक वहाँ पर ज्वाइन कर लेगी। अस्पताल में 25-30 बैडज़ हैं और वहाँ पर दो डॉक्टर्ज ठीक हैं। यह बात ठीक है कि वहाँ पर लेडी डॉक्टर की जरूरत है इसलिए हमने वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर के भी आर्डर कर दिए हैं। इसके साथ ही वहाँ पर एक स्टॉफ नर्स के भी 7.9.2007 को ऑर्डर कर दिए हैं और वह भी जल्दी ज्वाइन कर लेगी। बेशक सारे हरियाणा में डॉक्टरों की कमी है। जो रिपोर्ट आपके सामने रखी है उससे आपको पता चल जाएगा। हमारी सरकार ने इन अढ़ाई वर्षों में 249 चिकित्सा अधिकारी, 19 एस०एम०ओज०, 374 स्टॉफ नर्सिज, लगभग 20 रेडियोग्राफर्ज नियुक्त किए हैं। अभी जो कमी है वह 24 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों, 232 चिकित्सा अधिकारियों, 90 औषधाकारकों, 30 रेडियोग्राफरों, 197 स्टॉफ नर्सो तथा 175 प्रयोगशाला तकनीशियनों की है। हमने इन रिक्त पदों को भरने के लिए मांग-पत्र एच०एस०एस०सी० को भेजा हुआ है और इस बारे में उनकी तरफ से जल्द ही कार्यवाही हो जाएगी। हमारा यह प्रयास रहेगा कि हरियाणा में जितनी भी पी०एच०सीज०, सी०एच०सीज० और अस्पताल हैं उनमें डॉक्टरों और दूसरा पैरा मैडिकल स्टॉफ की कमी न रहे ताकि जनता को पूरी सुविधा मिल सके।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, अब इस बारे में तो डॉक्टर सीता राम ही बताएंगे कि वहाँ पर ऐसा क्या खौफ का माहौल बना हुआ है कि वहाँ पर कोई भी डॉक्टर जाना ही नहीं चाहता है। सरकार ने वहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया हुआ है।

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]
हम डॉक्टरों को वहाँ पर भेजते हैं तो वे वहाँ पर जाने से मना कर देते हैं और न ही वहाँ पर मरीज जाना चाहते हैं।

डॉ० सीता राम : स्पीकर सर, मंत्री महोदया जी ने जो अपने जवाब में बताया है उस बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया जी से जानना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि वहाँ पर एस०एम०ओ० की पोस्ट खाली पड़ी है, एम०ओज० की 5 में से 4 पोस्टस, स्टाफ नर्सिज की 7 में से 4, रेडियोग्राफर, नर्सिंग सिस्टर और प्रयोगशाला तकनीशियन की भी एक-एक पोस्ट खाली पड़ी है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि क्या इन्होंने आज तक वहाँ पर जाकर देखा है कि वहाँ के क्या हालात हैं। इन्होंने कहा कि वहाँ पर ऐसे हालात हैं कि वहाँ पर डॉक्टर्ज जाना ही नहीं चाहते। सर, पहली बात तो मैं इनसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या इन्होंने आज तक वहाँ जाकर देखा है कि वहाँ क्या हालात हैं? इसके अलावा इन्होंने यह भी कहा कि उस अस्पताल की बिल्डिंग की बहुत अच्छी कंडीशन है।

श्री अध्यक्ष : डॉ० सीता राम जी, आप मंत्री जी से जो यह पूछ रहे हैं कि क्या आज तक उन्होंने वहाँ जाकर देखा है या नहीं तो क्या इससे पहले आपने इस बारे में उनको लिखकर दिया है?

डॉ० सीता राम : स्पीकर साहब, मैंने अपना क्वैश्चन लिखकर दिया है और मंत्री महोदया ने उसका जवाब दिया है। आपको इसमें क्या दिक्कत है? मैं उनसे अपना सवाल पूछना चाहता हूँ लेकिन आप पूछने देना नहीं चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : इसमें दिक्कत की क्या बात है? You should not talk like this. ऐसे तो अनपढ़ आदमी भी बात नहीं करते। डॉ० साहब, आपको सदन की गरिमा को बनाए रखना चाहिए।

डॉ० सीता राम : स्पीकर साहब, मुझे सदन की गरिमा पता है।

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपने इससे पहले मंत्री जी को लिखकर दिया है? (शोर एवं व्यवधान) डॉ० साहब, आप बैठिए।

श्री बलवन्त सिंह सढौरा : स्पीकर साहब, क्या हम यहाँ पर अपनी बात भी नहीं कह सकते? आप हमें इस तरह से क्यों धमका रहे हो?

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, मैंने आपसे यही कहा है कि क्या आपने इससे पहले मंत्री जी को इस बारे में लिखकर दिया है?

डॉ० सीता राम : सर, मैंने उनको लिखकर दिया है और अब भी मैं आपकी परमिशन लेकर ही सवाल पूछने के लिए खड़ा हुआ हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, डॉ० सीता राम जी बड़े सज्जन पुरुष हैं इसलिए वह ठीक सवाल ही पूछेंगे। डॉ० साहब सज्जन पुरुष हैं और पढ़े लिखे हैं लेकिन ये कभी-

कभी भावनाओं में बह जाते हैं। मेरा इनसे अनुरोध है कि इनको चेयर से बात करते समय पार्लियामैंट्री डैमोक्रेसी के तहत सैल्फ डिसिप्लन रखनी चाहिए। 'आपको इसमें क्या दिक्कत है' जैसी भाषा का प्रयोग इनको एवाइड करना चाहिए। यही मेरा इनसे विनम्र अनुरोध है।

डॉ० सीता राम : स्पीकर साहब, आप चाहें तो रिकॉर्ड निकलवाकर देख लें कि क्या मैंने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है ? मैं तो चेयर की परमिशन से ही सवाल पूछने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

श्री अध्यक्ष : डा० साहब, मैंने तो यही बात कही है कि क्या आपने कभी इससे पहले भी मंत्री जी को इस बारे में लिखकर दिया है ? डॉ० साहब, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है इसलिए आपकी परफोरमैन्स को पूरे हरियाणा के दो करोड़ पचास लाख लोग देख रहे हैं। You should ask specific supplementary and don't waste the time of the House. Ask your specific supplementary.

डॉ० सीता राम : स्पीकर साहब, मैं स्पैसिफिक सप्लीमैंट्री ही पूछ रहा हूँ। (interruptions)

Mr. Speaker : Indoraji, please don't make running-commentary while sitting in the House. Dr. Sita Ram, please ask your specific supplementary.

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से सप्लीमैंट्री ही पूछ रहा हूँ। मंत्री महोदया ने अपने जवाब में बताया कि वहाँ पर अस्पताल की क्या कंडीशन है। मैं उनको बताना चाहूँगा कि वहाँ के अस्पताल के अंदर 12 से लेकर 14 घंटे तक लाईट नहीं आती। इसके अलावा वहाँ पर जो डॉक्टर्ज के क्वार्टर्ज हैं उनकी कंडीशन भी अच्छी नहीं है वे बिल्कुल खराब हो गये हैं इसकी वजह से वहाँ पर डॉक्टर्ज नहीं जाना चाहते हैं। स्पीकर साहब, जब से यह सरकार आई है तब से इस सरकार ने वहाँ पर बिजली दी ही नहीं है जबकि वहाँ पर जनरल होस्पीटल में बिजली की 24 घंटे सप्लाई होनी चाहिए। न वहाँ पर डॉक्टर्ज हैं और न ही वहाँ पर डैंटल चेयर है। जो एक डैंटल चेयर है वह भी बहुत पुरानी है और वर्किंग कंडीशन में नहीं है। मैं मंत्री महोदया से यह भी जानना चाहूँगा कि कब तक इस डैंटल चेयर को रिप्लेस कर देंगे ? अध्यक्ष महोदय, अस्पतालों में डॉक्टर्ज की पोस्टस खाली पड़ी हुई हैं मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूँ कि कब तक इन पोस्टस को भरने का काम किया जाएगा ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो ?

बहन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने शायद ध्यान से सुना नहीं है। मैंने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को 24 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों, 232 चिकित्सा अधिकारियों, 90 औषधाकारकों, 30 रेडियोग्राफरों, 197 स्टॉफ नर्सों तथा 175 प्रयोगशाला तकनीशियनों के रिक्त पदों को भरने के लिए डिमांड हमने भेजी हुई है। जो फार्मेसिस्टस हैं इनका तो शायद जल्दी ही इंटरव्यू भी होने वाला है। इसलिए जैसे-जैसे कर्मचारी चयन अयोग से भर्ती होगी वैसे-वैसे हमारा प्रयास होगा कि जल्द से जल्द इस कमी को हम पूरा करें। वहाँ के अस्पताल की बिल्डिंग की जो कमी ये बता रहे हैं तो यह कमी ढाई साल में नहीं हुई बल्कि यह बिल्डिंग तो पहले से ही खराब है।

Construction of Road from Village Chhajju Nagar to Village Alawalpur

***733. Shri Udai Bhan :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of the Govt. to construct a road from village Chhajju Nagar to Village Alawalpur alongside the Agra canal for linking the Palwal-Hasanpur Road and Palwal_mohna Road with the over bridge to be constructed on the Railway line on Palwal-Aligarh road; if so, the details thereof ?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : No, Sir.

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि पलवल से रेलवे लाइन की तरफ तीन मुख्य मार्ग हैं एक पलवल अलीगढ़ रोड, एक पलवल हसनपुर रोड और तीसरा पलवल मोहना रोड हैं। पलवल अलीगढ़ रोड पर रेलवे लाईन के ऊपर ओवरब्रिज अभी बनाया जा रहा है जो कि लगभग कंप्लीशन पर है। इन तीनों मार्गों को पुल से जोड़ने के लिए एक सड़क की बहुत आवश्यकता है। आगरा कैनाल से पहले बहुत आबादी बसी हुई है। आगरा कैनाल के साथ-साथ छाजू नगर से कितवाड़ी और अलावलपुर तक यह केवल लगभग तीन किलोमीटर का मार्ग है। अगर यह सड़क बन जाती है तो यह जो इतना भारी-भरकम ट्रैफिक रहता है उससे राहत मिलेगी और इन तीनों गाँवों के लोग इस पुल का लाभ उठा सकेंगे। कई-कई घंटों तक फाटक बंद होने की वजह से मार्ग जाम होने की जो समस्या रहती है उसका समाधान भी हो जाएगा। क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आगरा कैनाल के साथ सड़क बनाने का जिक्र किया है। इसके बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि यू०पी० गवर्नमेंट उस कैनाल को ऑन करती है। जब तक यू०पी० गवर्नमेंट उस सड़क को बनाने की इजाजत न दे तब तक हम उस सड़क को नहीं बना सकते। इसके अतिरिक्त अलावलपुर से छाजू नगर को जोड़ने की बात माननीय सदस्य कह रहे हैं और इसका डिस्टैंस तीन किलोमीटर बता रहे हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि यह डिस्टैंस तीन किलोमीटर का न होकर ऐग्जैक्ट 6.75 किलोमीटर है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूँगा कि पलवल अलावलपुर जो रोड है वहाँ एक गाँव चिढ़ावा है, उससे पलवल अलीगढ़ रोड कनैक्टिड है और इसी प्रकार से लाल कदीम से भी कनैक्टिड है। इसके अलावा एक और पलवल-हसनपुर रोड है उसकी कनैक्टिविटी गाँव रसदपुर मीसा से भी है और कठोरा अकबरपुर और खेरला फिरदीपुर से भी ये कनैक्टिड है। इस सड़क के निर्माण के लिए अगर टोटल इसकी लैंड ऐक्विजीशन करते हैं तो 25 करोड़ रुपये इसमें खर्च होंगे। 60 मीटर वाइड रोड की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, वह 9 करोड़ हो जाएगी इसलिए यह रोड फिजिबल नहीं है। यह जो दो रोड्ज का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है पलवल-अलावलपुर मोहना रोड और पलवल-हसनपुर रोड, यदि इसके ऊपर आर०ओ०बी० बन जाता है तो यह काम पूरा हो सकेगा। इसके बारे में जरूर हम सरकार की तरफ से लिखकर भेजेंगे और अगर इस बारे में मंजूरी मिल जाती है तो यह काम हो सकता है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि वहाँ पर ईस्टर्न पैरीफरल ऐक्सप्रैस हाई-वे बन रहा है जो कि इन सब रोड्स को कनैक्ट करेगा। इस एक्सप्रैस हाइ-वे के बनने के बाद यह प्रौब्लम नहीं रहेगी।

श्री उदय भान : अध्यक्ष मैं समझता हूँ कि मंत्री जी को तथ्यों के बारे में ठीक से नहीं बताया गया है।

Mr. Speaker : Udai Bhan ji, please ask your specific supplementary.

श्री उदय भान : मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि यह ठीक है कि आगरा कैनाल का प्रशासनिक नियंत्रण उत्तर प्रदेश सरकार के पास है इसलिए उनसे परमीशन तो लेनी पड़ेगी, लेकिन जमीन एक्वायर करने की इस मामले में आवश्यकता नहीं है। कालिंदी कुंज से आगरा कैनाल के ऊपर चंद्रावली तक 80 प्रतिशत तक सड़क बन चुकी है और उसके लिए भी तो उत्तर प्रदेश सरकार से परमीशन ली गई थी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार द्वारा इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से परमीशन मांगी जाएगी और यदि मांगी जाएगी और परमीशन मिल जाती है तो क्या इस सड़क को सरकार बनाएगी? जहाँ तक रोड्स की कनैक्टिविटी के बारे में मंत्री महोदय ने बताया है, ये एप्रोच रोड्स हैं, छोटी-छोटी हैं, 18-18 फुट की मार्किटिंग बोर्ड की रोड्स हैं उनसे समस्या का हल नहीं होता। समस्या का बेहतरीन समाधान सड़क बनाना ही है। क्या सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को इस बारे में लिखकर परमीशन मांगेगी? इस बारे में 10.5 करोड़ रुपये के ऐस्टीमेट्स सरकार के पास आए हुए हैं और 10.5 करोड़ रुपये की राशि से यह तीनों सड़कें उस पुल से जुड़ जाएंगी।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जब उस रोड के लिए जमीन की मलकियत यू०पी० सरकार की है तो पहले उस जमीन को एक्वायर करने के लिए यू०पी० सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो हम इस्टर्न पैरीफेरियल ऐक्सप्रैस हाई-वे बना रहे हैं उस पर 25 करोड़ रुपये खर्च होंगे और यह हाई-वे बन जाने के बाद यह सारी समस्या हल हो जायेगी और ये सारे रोड्स उस हाई-वे के साथ कनैक्ट हो जायेंगे। जैसे उठान, छाजू नगर और चिड़ावा लोगों से होकर सड़कें निकलती हैं वे सारी उस हाई-वे के साथ कनैक्ट हो जायेंगी और इनकी समस्या का समाधान हो जायेगा। जैसा कि माननीय सदस्य पलवल और आगरा रोड के बारे में कह रहे हैं उसके लिए हम इन दोनों रोड्ज पर एक आर०ओ०बी० बनाने के लिए विचार कर रहे हैं और इसके लिए हम सैंट्रल गवर्नमैंट को लिख रहे हैं। अगर हमें यह आर०ओ०बी० बनाने की अप्रूवल मिल जाती है तो जब यह पैरीफेरियल एक्सप्रैस हाई-वे बन जायेगा तब इस समस्या का समाधान हो जायेगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, चौधरी उदय भान जी ने जो प्रश्न किया है वह ठीक किया है, क्या मंत्री जी उसके बारे में अपना वक्तव्य सदन के सामने रखेंगे। जो उत्तर प्रदेश की आगरा कैनाल है उसकी पटरी हमें एक्वायर करने की जरूरत नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश की सरकार को एक चिट्ठी लिखकर इस सड़क को बनाने की इजाजत मांग लें तो वही काफी है। क्या मंत्री जी चिट्ठी लिखने की कृपा करेंगे? जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि इस्टर्न पैरीफेरियल एक्सप्रैस हाई-वे बन जाने से जिन गाँवों के नाम मंत्री जी ने लिए हैं वे सारे गाँव इस हाई-वे से कनैक्ट करेंगे। एक्सप्रैस हाई-वे पर जो स्टेट रोड्ज हैं उनसे उस इलाके के गाँवों के रोड कनैक्ट करने की इजाजत नहीं है और उन रोड को गाड़ियाँ क्रॉस नहीं कर सकती क्योंकि एक्सप्रैस हाई-वे तो सीधा ही जायेगा। इसलिए आगरा नहर पर सड़क बनाने से इस प्रदेश के और दूसरे प्रदेश के लोगों को बहुत फायदा होगा। क्या मंत्री जी उत्तर प्रदेश की सरकार से इस सड़क को बनाने की इजाजत मांगेंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की सरकार से इजाजत मांग लेंगे अगर वे फ्री ऑफ कॉस्ट बनाने की इजाजत देते हैं तो इस बात पर जरूर विचार करेंगे। जहाँ तक एक्सप्रैस हाई-वे की बात है, उस पर जो फ्लाई ओवर बनता है और साईड में जगह निकलती है उस पर स्टेट हाई-वे निकालने की इजाजत जरूर देंगे। माननीय मंत्री जी पी०डब्ल्यू०डी० मिनिस्टर रह चुके हैं अगर कोई और सदस्य यह बात करे तो ठीक है लेकिन ये ऐसी बात नहीं कह सकते।

श्री बलवन्त सिंह सढौरा : अध्यक्ष महोदय, काला अम्ब का पुल पिछले सवा साल से डैमेज पड़ा है क्या सरकार उस पुल को बनाने पर विचार करेगी, अगर करेगी तो वह पुल कितने समय में बन जायेगा?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, स्टेट में जितने भी रोड और पुल हैं उनको आईडैंटिफाई किया जा रहा है। इसके बारे में सरकार के पास यह सब डिटेल आ जायेगी कि कितने पुल खराब हैं और कितनी सड़कें खराब हैं तब उन सब को रिपेयर किया जाएगा। माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है इसके बारे में वे अलग से लिखकर भेज दें तब मैं उसके बारे में स्टेट्स रिपोर्ट उनको दे सकता हूँ।

श्री बलवन्त सिंह सढौरा : अध्यक्ष महोदय, उस पुल पर तो कई बार कैजुअलिटीज भी हुई हैं और माननीय मंत्री जी वहाँ पर गये भी हैं क्या अभी तक वह पुल आईडैंटिफाई भी नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आप अलग से लिखकर भेज देना।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि करनाल में आठवाँ फ्लाई ओवर बनाया जा रहा है जिसका काम पिछले एक साल से रुका हुआ था बिल्कुल स्टैण्डस्टिल है। हमारे ज्यादा जोर देने से अब उस पुल का काम थोड़ा शुरू हुआ है। क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि वह काम कब तक पूरा हो जायेगा? इस बारे में मैंने एक क्वैश्चन भी किया था लेकिन वह प्रश्न आज नहीं लगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को यह आश्वासन दे सकता हूँ कि इस पुल के बारे में जांच करेंगे और इसको जल्द से जल्द बनवायेंगे।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं दलाल साहब के प्रश्न की ही हिमायत करूँगा कि फरीदाबाद के अंदर दिनों-दिन आबादी और इण्डस्ट्रीज बढ़ रही हैं जिसके कारण हर रोज दिल्ली और फरीदाबाद के बीच में ट्रैफिक का जाम लगता है। अभी मंत्री महोदय ने कहा कि अगर आगरा कैनाल पर एक सड़क बनाने की परमिशन मिली तो हम उस पर विचार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि आगरा कैनाल का दिल्ली से लेकर फरीदाबाद तक बीच का टुकड़ा अधूरा पड़ा है इसके आगे चेदावली तक सड़क बन चुकी है। क्या उसको बनाने के लिए सरकार ने परमिशन ली है? अगर परमिशन ली है तो क्या उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई? उस पर सड़क बनकर तैयार हो गई है। शायद उसके लिए विभाग पर ज्यादा वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ा है। मैं समझता हूँ कि पैरीफैरल रोड बनने में तो बहुत समय लगेगा जबकि आबादी और ट्रैफिक फरीदाबाद में दिनों-दिन बढ़ रहा है। इस दौरान अगर इस सड़क

को बना दिया जाए तो ट्रैफिक लोड कम हो जायेगा जिससे बहुत बड़ी राहत फरीदाबाद के लोगों को मिलेगी। केवल दिल्ली से लेकर फरीदाबाद तक छोटा सा टुकड़ा और बल्लभगढ़ से पलवल तक का छोटा सा टुकड़ा बनना है। क्या इसको बनाने बारे सरकार कोई विचार कर रही है ताकि फरीदाबाद के लोगों को सुविधा हो सके।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जो सवाल किया है इसका जवाब तो इसको एग्जामिन करवाने के बाद ही दिया जा सकता है।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हमारे वहाँ हांसी-तोशाम और तोशाम होते हुए सूदीवास रोड है। इस बारे में मैंने और चौधरी सोमवीर जी ने पिछले सैशन में भी प्रश्न पूछा था। इसकी एप्रूवल भी हो गई, बजट भी अलॉट हो गया था और ठेकेदार ने काम भी शुरू कर दिया था लेकिन आज तक यह रोड़ नहीं बना है। वहाँ पर तीन-तीन, चार-चार फिट के गड्ढे पड़े हुए हैं जिसके कारण लोगों को बहुत असुविधा होती है। यह स्टेट हाई-वे है जो हाजमपुर से शुरू होता है और हांसी, तोशाम, लूहारू और सूदीवास होते हुए राजस्थान बोर्डर पर जाता है। मंत्री जी इस स्टेट हाई-वे को कब तक बनवायेंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में माननीय साथी को आश्वासन देना चाहूँगा कि जिस सड़क का माननीय साथी जिक्र कर रहे हैं इसको ठीक भी करवाया जायेगा और इसकी मुरम्मत भी करवाई जायेगी।

श्री ईश्वर सिंह पलाका : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यमुनानगर से गुमथला रोड़, यमुनानगर से खेड़ीलखा सिंह रोड़ वाया हरनौल की हालत पिछले दो साल से बहुत खराब है जिसके कारण इन पर चलना बहुत मुश्किल हो गया है। इन सड़कों को बनाने बारे सरकार कोई विचार कर रही है और कर रही है तो इनको कब तक बना दिया जायेगा?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि जितनी भी रोड़ प्रदेश में टूटी हुई हैं उनके एस्टीमेट्स मंगवाये गये हैं और अगले दो साल के लिए प्लॉन ऑफ एक्शन बना रहे हैं और जल्दी ही सभी टूटी हुई सड़कों की मुरम्मत की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने कहा कि दो साल पहले इनकी ये सड़कें टूटी हुई हैं, जब इनकी अपनी सरकार थी उस समय इन्होंने ये सड़कें क्यों नहीं बनवाई। अब हम इनकी रिपेयर करवायेंगे।

प्रो० छत्तर पाल सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि रोड़ रिपेयर के लिए मंत्री जी बड़े अच्छे और तुरन्त कदम उठा रहे हैं। मंत्री जी के पास यदि जानकारी है तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि सभी विधायकों की तरफ से नये रोड़ बनाने की कितनी प्रपोजल आई हैं और उनमें से कितने प्रतिशत रोड़ इस साल बनाने के लिए मंत्री जी सक्षम हैं?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को यह जानकारी देना चाहूँगा कि इस समय हमारी सरकार ने 75 करोड़ रुपये नई सड़कें बनाने के लिए रखे हैं और आवश्यकता अनुसार सड़कें बनाई जाती हैं। सड़कें बनाते वक्त देखा जाता है कि कनैक्टिविटी है

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

या नहीं है और सड़क बनाने की जरूरत है या नहीं है। इसमें कोटा सिस्टम नहीं होता। इसके साथ-साथ मैं सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूँगा कि पिछली सरकार के समय में 2004-05 में 427.75 करोड़ रुपये नई सड़कें बनाने पर खर्च किया गया था और हमारा जो 2007-08 का बजट है उसमें नई सड़कें बनाने के लिए 1004 करोड़ रुपये का प्रावधान है जिसमें 357.73 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त पिछली सरकार ने 2002-03 में 313 करोड़ रुपये और 2003-04 में 417 करोड़ रुपये नई सड़कें बनाने के लिए खर्च किए थे जबकि हमने वर्ष 2007-08 के बजट में 1004 करोड़ रुपये का प्रावधान नई सड़कों के लिए किया है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त सैंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम के तहत 1400 करोड़ रुपये इस साल सड़कों की मुरम्मत और ब्रिजिज पर खर्च करेंगे जबकि पिछली सरकार के श्रीमान् जी और ही कामों में लगे रहते थे।

श्री अर्जन सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक बी०के०डी० रोड है। इस पर मैं हर बार के सैशन में मंत्री जी का ध्यान दिलाता हूँ लेकिन अभी तक इसकी रिपेयर का कोई काम नहीं हो पाया। पिछले दिनों आदरणीय परिवहन मंत्री जी और श्री शेर सिंह जी भी वहाँ गये थे। इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : आप इस बारे में लिखित रूप में दें तभी कोई आगामी कार्रवाई हो सकेगी।

To include Love-Kush Mandir under the Kurukshetra Development Board

***728. Shri Tajender Pal Singh Maan :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to include some more Teerath-Sathans of historical importance of district Kaithal under the Kurukshetra Development Board; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to include Love-Kush Mandir at Village Mundri, associated with Loard Rama under the said Board ?

Urban Development Minister (Sh. A.C. Chaudhary) :

(a) No Sir,

(b) Love-Kush Mandir at Village Mundri is already a theerath and fall under Kurukshetra Development Board's domain.

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : स्पीकर सर, मैं सरकार का बहुत धन्यवादी हूँ कि यह प्रश्न देने के बाद से अब तक के बीच में बहुत सा काम हुआ है और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की आदरणीय गवर्नर साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी जिसमें यह प्रोजैक्ट पास कर दिया गया है। इसके लिए मैं सरकार का बहुत आभारी हूँ।

श्रीमती गीता भुक्कल : मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगी और बधाई देना चाहूँगी कि हमारे हरियाणा में तीर्थ स्थलों की जो जर्जर हालत हो गई थी उनके जीर्णोद्धार के लिए काफी ज्यादा काम किया है। हमारा कलायत क्षेत्र कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के 48 कोस के दायरे के अन्दर आता है। हमारे कलायत में कपिल मुनि सरोवर का निर्माण कार्य प्रगति पर है लेकिन इसकी सैकिण्ड इंस्टालमैंट न आने की वजह से इसका निर्माण कार्य रुका पड़ा है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि पानी का चोआ कह लें या पानी का प्रभाव कह लें कि जहाँ से पानी निकल रहा है वहाँ सरस्वती नदी का उद्गम स्थल था। इस कारण वहाँ पर काफी लोगों का आना-जाना है। माननीय गवर्नर साहब की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया था कि हमारे कलायत क्षेत्र में स्थित लोदर और सुजुमा गाँवों के तीर्थों को भी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अन्दर लिया जाये तथा मैं जानना चाहूँगी कि उसका निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा?

श्री ए०सी० चौधरी : स्पीकर सर, कुरुक्षेत्र डिवैलपमैंट बोर्ड का अपनी आय का कोई साधन नहीं है। मात्र सरकार की ग्रांट से ही सारे डिवैलपमैंट के कार्य हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं माननीय सदस्या का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूँगा कि अगर कुरुक्षेत्र की पूरी दशा को वे अपने समक्ष रखें तो पाएंगे कि इस सरकार ने जिस तेजी से कुरुक्षेत्र का कायाकल्प किया है वह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब तक 10 करोड़ रुपये की लागत से इस एरिया के पार्कस, सड़कें और जो तालाब टूटे हुए हैं उनका भी सुधार हो रहा है। साथ ही साथ पाण्डवों से जुड़े हुए जो मंदिर वगैरह हैं उनका भी उद्धार करने के लिए हम दिन रात प्रयासरत हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि पैसा तो हमारे लिए कोई इतनी बड़ी समस्या क्रियेट नहीं करेगा लेकिन धार्मिक स्थलों का जो लोगों की भावनाओं से जुड़ाव है उसका आदर करते हुए हम एक-एक करके इन्हें अवश्य पूर्ण कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहन जी जब हमें 2-3 महीने बाद मिलेंगी तो जैसा कि मान साहब ने इस बात का अहसास किया है कि यह सरकार वह सरकार है जो काम करती है ऐसा ही अहसास माननीय सदस्या को भी होगा।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि कुरुक्षेत्र जिले के साथ-साथ कैथल जिले में भी बहुत से धार्मिक स्थान हैं जो बहुत ही ऐतिहासिक और महाभारत से जुड़े हुए हैं। उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह कैथल शहर में एक बहुत बड़ा तालाब है। यह शहर के बिल्कुल बीच में है और इसकी हालत इतनी खराब थी कि सारे शहर का गंदा पानी उसमें गिरता था। मैं राज्यपाल महोदय का और माननीय मुख्यमंत्री का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वे स्वयं वहाँ गये। आज से कोई 8-10 महीने पहले इसके काम की शुरुआत करवाई गई थी। उसकी मुरम्मत का काम तो शुरू हो गया है लेकिन काम काफी स्लो स्पीड से हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि वहाँ पर और भी बहुत से धार्मिक तीर्थ हैं जिनमें रजिया सुलताना का मकबरा भी है। उसकी भी काफी जर्जर हालत है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि उसका भी जीर्णोद्धार करवाया जाये। इस सारी बात को थोड़ा एक्सपेडाईट करने के लिए कई डिपार्टमैंट्स की जरूरत पड़ेगी जैसे कि पी०डब्ल्यू०डी० से भी पैसे की जरूरत है। पब्लिक हैल्थ से भी, इरीगेशन विभाग ने भी पानी देना है। इसलिए इस तरफ अधिक ध्यान देने की जरूरत है ताकि वह काम जल्दी सम्पूर्ण हो सके।

श्री ए०सी० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, कुरुक्षेत्र डिवैल्पमैंट बोर्ड जैसा मैंने पहले कहा

[श्री ए०सी० चौधरी]

कि यह अपने तौर पर 48 कोस के दायरे के अन्दर फंक्शनल है और उसकी अध्यक्षता महामहिम राज्यपाल महोदय करते हैं। उनकी अध्यक्षता में जो ये 48 कोस के अन्तर्गत आने वाले जिले कुरुक्षेत्र, जीन्द, करनाल, पानीपत और कैथल हैं। इन जिलों के जिला उपायुक्त मीटिंग में पूरी तरह से महामहिम राज्यपाल को एसिस्ट करते हैं। जैसा कि अभी लेटैस्ट मुद्रिका मंदिर है उसका जिक्र आया है और हमने उसे लिया है। मैं माननीय सदस्य की भावनाओं को बोर्ड तक पहुँचाकर यह आग्रह करूँगा कि अगर ये तीर्थ स्थल हैं या तीर्थ से जुड़े हैं तो उसे प्रोपोजल में डाल लिया जाये।

श्रीमती प्रसन्नी देवी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने 48 कोस का जिक्र किया है इस सिलसिले में मैं बताना चाहूँगी कि मेरा गाँव सींख जिला पानीपत भी इसी के अन्तर्गत आता है। जैसे 4 जगहों पर यक्ष की मूर्तियाँ बनी हुई हैं उनमें से एक मूर्ति मेरे गांव में तरखू तीर्थ में भी लगी हुई है। वहाँ पर कुरुक्षेत्र के मैदान की आखिरी छोर है। वहाँ पर जमीन भी बहुत है और उस जमीन से आमदनी भी बहुत होती है लेकिन वहाँ पर डिवैल्पमैंट कुछ भी नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से और सरकार से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि ऐसी जगहों को बोर्ड के अन्तर्गत लिया जाना चाहिए ताकि उस आमदनी का गलत हाथों में पड़कर दुरुपयोग न हो। अतः मेरा अनुरोध है कि इस जगह को भी बोर्ड के अन्तर्गत ले लिया जाये।

श्री ए०सी० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी रिक्वैस्ट की थी कि जो भी ऐतिहासिक महत्व के मंदिर या संस्थान हैं उन्हें हम एक-एक करके टेकओवर कर रहे हैं। हमारा मेन कनसंट्रेशन कुरुक्षेत्र से शुरू हुआ है उसका एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है और वह गीता से जुड़ा हुआ है। माननीय सदस्या ने अपने गाँव के जिस मन्दिर का जिक्र किया है उसका नाम तो मुझे समझ नहीं आया, मैं उनसे एक रिक्वैस्ट करना चाहूँगा कि वे मुझे लिखकर भेज दें हम उसको भी एग्जामिन करवा लेंगे।

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, हमारे रोहतक संसदीय क्षेत्र में बेरी के मेले का जिक्र आता है, बेरी तीर्थ स्थल है जिसमें हमारे बच्चों के बाल भी उतरवाये जाते हैं। वहाँ पर गधों का बड़ा भारी मेला लगता है और वहाँ पर दूर-दूर से गधे आते हैं। पिछले दो अढ़ाई साल पहले वहाँ पर बहुत बीमार गधे आ गये थे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार इस तरह का कोई प्रावधान कर रही है कि वहाँ पर स्वस्थ गधे ही मिलें और दोबारा इस तरह के बीमार गधे मेले में न आयें।

श्री ए०सी० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही क्लियर कहा है कि सरकार की मंशा है कि वह राष्ट्रीय महत्व की, ऐतिहासिक महत्व की चीजों का संरक्षण करती है और धार्मिक संस्थाओं/स्थलों को बोर्ड के अन्तर्गत लेती है गधों और खच्चरों का उसके अन्तर्गत कोई जिक्र नहीं है। मैं बहन जी से रिक्वैस्ट करता हूँ कि इस तरह की एक-आध जिम्मेदारी वे स्वयं भी ले सकती हैं।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the question hour is over.

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Total Number of Doctors Posted against Sanctioned Strength

*741. **Shri Ranbir Singh Mahendra :** Will the Health Minister be pleased to state—

(a) the number of doctors posted at the following Hospital/PHC against sanctioned posts :—

(i) Ranila

(ii) Baund Kalan

(iii) Dhanana; and

(b) the steps being taken to fill up the vacant posts ?

स्वास्थ्य मंत्री (बहन करतार देवी) : श्रीमान् जी,

(क) निम्नलिखित अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

		स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
(i)	रानीला			
	चिकित्सा अधिकारी	2	1	1
(ii)	बौन्द कलां			
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1	–
	चिकित्सा अधिकारी	4	1	3
(iii)	धनाना			
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	–	1
	चिकित्सा अधिकारी	2	1	1

(ख) 232 चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए मांग-पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया है। 24 चिकित्सा अधिकारियों को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति का मामला विचाराधीन है और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के 23 रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरने के लिए मांग-पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जा रहा है।

To Improve Drinking Water Facilities

*748. **Dr. Shiv Shankar Bhardwaj :** Will the Water supply & Sanitation Minister be pleased to state whether the Government has sanctioned any amount to improve the drinking water facilities in Bhiwani; if so, the amount released so far ?

बिजली मंत्री (रणदीप सिंह सुरजेवाला) : हाँ, श्रीमान् जी। वर्ष 2007-08 के दौरान जिला भिवानी शहर की पेयजल वितरण सुविधाओं में सुधार के लिए 33.00 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई है।

Land for HUDA Sector in Narnaund Town

*751. **Sh. Ram Kumar Gautam** : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to acquire land for HUDA Sector in Narnaund Town; if so, the details thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : नहीं, श्रीमान् जी।

Enrolment in Govt. Primary Schools in Rural Areas

*759. **Sh. Sher Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state whether it is fact that enrolment in the Govt. Primary Schools in rural areas of the State is declining; if so the reason thereof together with the steps taken or proposed to be taken to improve the enrolment and quality of education ?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : नहीं, श्रीमान् जी, फिर भी सरकार द्वारा दाखिलों में सुधार तथा अच्छी प्राथमिक शिक्षा के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। जो इस प्रकार हैं :—

1. रिक्त पदों को भरने के लिए अनुबन्ध आधार पर व्यक्ति लगाए जा रहे हैं।
2. ऐजूसेट का लगाना।
3. साधनों के सुधार हेतु कमरों का निर्माण, शौचालय, पीने के पानी की सुविधा तथा बिजली की उपलब्धता इत्यादि।
4. मध्याह्न भोजन।
5. अनुसूचित जाति तथा बच्चियों के लिए प्रोत्साहन योजना।

Upgradation of I.T.I. at Kaithal to a Polytechnic

*777. **Sh. S.S. Surjewala** : Will the Industrial Training and Vocational Education Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to upgrade the I.T.I. Kaithal Town to a Polytechnic in view of the backwardness of the area; and

(b) if so, the time by which it is likely to be upgraded ?

शहरी विकास मंत्री (श्री ए०सी० चौधरी) :

(क व ख) श्रीमान् जी नहीं।

Allocation of Amount for Education

*768. **Sh. K.L. Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state the amount earmarked/spent on the Education in the State during the last 3 years from the total budget provisions of Haryana State ?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : श्रीमान् जी, राज्य में पिछले 3 वर्षों में शिक्षा के लिए किये गये बजट प्रावधान/खर्चे का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(रुपये करोड़ों में)

वर्ष	शिक्षा के लिए बजट प्रावधान	शिक्षा पर खर्चा
2004–05	1800.74	1597.53
2005–06	1985.63	1868.63
2006–07	2200.14	2161.71

Land Acquired for SEZs

*772. **Sh. Balwant Singh Sadhora :** Will the Industries Minister be pleased to state—

(a) the total land acquired for the SEZs in the State; and

(b) the details of compensation awarded to the owners of land ?

उद्योग मंत्री (श्री लछमन दास अरोड़ा) :

(क) श्रीमान् जी, विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए कुल 1484 एकड़ 4 कनाल 19 मरला भूमि अर्जित है।

(ख) अवॉर्ड के अनुसार, मुआवजे की कुल राशि 3,45,64,61,944/- रुपये (तीन अरब पैंतालिस करोड़ चौंसठ लाख इकसठ हजार नो सौ चवालिस रुपये) है।

To improve the Living condition in Jails

*785. **Smt. Sumita Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to improve the living conditions of the inmates of the Jails ;

[Smt. Sumita Singh]

(b) whether the relatives / friends can be allowed to meet the inmates of the Jails in better environment in a little bit privacy ; and

(c) whether the inmates of the Jails are getting proper facilities as provided in the Jails Manual ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) हाँ, श्रीमान् जी।

(ख) बन्दियों के रिश्तेदार तथा दोस्तों को जेल परिसर में बन्दियों से जेल कर्मचारी की उपस्थिति में मिलने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(ग) हाँ, श्रीमान् जी।

To Set-up Power Stations

*797. **Sh. Nirmal Singh :** Will the Power Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to set-up Power Stations at Villages Naneola, Jaitpura and Durana of Naggal Constituency; if so, the capacity thereof and time by which these are likely to be set-up ?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : हाँ, श्रीमान् जी। गांव नन्योला में 10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 66/11 के०वी० का, 2×12.5/16 एम०वी०ए० ट्रांसफार्मेशन क्षमता का एक 66 के०वी० उप-केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। गांव जेतपुरा में 10 एम०वी०ए० की क्षमता के एक 33 के०वी० उप-केन्द्र के निर्माण करने के लिए गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं तथा यह उप-केन्द्र सितम्बर, 2008 में चालू होना निर्धारित है। गांव दुड़ाना में उप-केन्द्र स्थापित करने के लिए अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Details of the Registration of Gift Deeds

*709. **Sh. Karan Singh Dalal :** Will the Minister of State for Revenue be pleased to state the district wise and year wise details of the registration of gift deeds of self acquired Agricultural lands made in favour of blood relations such as brother, sister, son, daughter, grandson, grand-daughter, spouse, nephew, niece, father and mother of the donor from April, 2005 to 31st March, 2007 ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री जिंदल) : श्रीमान् , वांछित सूचना सदन के पटल पर अनुबंध-'क' पर रखी जाती है।

अनुबंध-'क'

अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2007 तक स्वयं अर्जित कृषि भूमियों को सगे संबंधियों के पक्ष में दान देने वालों के उपहार विलेखों के पंजीकरण का जिलावार तथा वर्षवार ब्यौरा :

क्र०	जिला	2005-06 दान-विलेखों की संख्या	2006-07 दान-विलेखों की संख्या	योग
1.	अम्बाला	871	507	1378
2.	भिवानी	347	558	905
3.	फरीदाबाद	94	83	177
4.	फतेहाबाद	129	382	511
5.	गुड़गांव	451	571	1022
6.	हिसार	402	336	738
7.	झज्जर	210	257	467
8.	जींद	401	326	727
9.	कैथल	240	231	471
10.	करनाल	438	505	943
11.	कुरुक्षेत्र	283	301	584
12.	महेन्द्रगढ़	143	379	522
13.	मेवात	124	178	302
14.	पंचकूला	247	228	475
15.	पानीपत	35	446	481
16.	रेवाड़ी	135	402	537
17.	रोहतक	511	589	1100
18.	सिरसा	168	281	449
19.	सोनीपत	383	188	571
20.	यमुनानगर	294	200	494
	योग	5906	6948	12854

Upgradation of C.H.C. and P.H.C.

***713. Sh. Dharampal Singh :** Will the Health Minister be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to upgrade the C.H.C. Gohana and P.H.C. Lath to General Hospitals, and

(b) the details of vacant posts of doctors, specialized doctors, staff nurses and class-IV employees in C.H.C. Gohana and P.H.C. Lath ?

स्वास्थ्य मंत्री (बहन करतार देवी) :

(क) हाँ श्रीमान् जी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहाना का दर्जा बढ़ा कर 50 बिस्तरीय हस्पताल करना प्रस्तावित है परन्तु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लाठ का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) **सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहाना में रिक्त पद :**

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	–	1
चिकित्सा अधिकारी	–	1
विशेषज्ञ डॉक्टर	–	हरियाणा में विशेषज्ञ डॉक्टरों का अलग कैडर नहीं है।
स्टाफ नर्स	–	शून्य
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	–	2

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लाठ में रिक्त पद :

चिकित्सा अधिकारी	–	1

Construction of Canals

***723. Dr. Sushil Indora :** Will the Irrigation Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct new canals in the State ;

(b) the number of canals on which the work is in progress or has been completed ; and

(c) the manner in which the water will be made available in these canals in addition to the existing available water in the State ?

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

(क) जी हाँ, श्रीमान् जी। 26 नई नहरों पर कार्य आरम्भ करने की प्रस्तावना है।

(ख) 2005 से 51 नहरों पर कार्य पूरा किया जा चुका है और 89 नहरों पर कार्य प्रगति पर है।

(ग) उपलब्ध नहरी पानी का निष्पक्ष वितरण पूरे राज्य में बारी-बारी के कार्यक्रम (रोटेशनल प्रोग्राम) के अनुसार किया जायेगा।

Raids Coducted by the Vigilance Department

*724. **Dr. Sita Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state the number of raids conducted by the Vigilance Department in the State during the period from 1.4.2005 to date togetherwith the names and addresses of the Govt. officials who were caught taking bribes.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान् जी, सूची सदन के पटल पर उपलब्ध है।

सूची

चौकसी विभाग द्वारा 1-4-2005 से 31-8-07 तक की अवधि के दौरान 487 रेड किये गये जिनका विवरण इस प्रकार है :—

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	विभाग का नाम
1.	राम चन्द्र, पटवारी हल्का बाबरपुर, जिला पानीपत।	राजस्व
2.	सूबे सिंह, पटवारी हल्का, रेवाड़ी, थाना कनीना, जिला महेन्द्रगढ़।	-उपरोक्त-
3.	शमशेर सिंह, ए०एल०एम०, डी०एच०बी०पी०एन०एल०, रतिया, जिला फतेहाबाद।	विद्युत
4.	बुद्धी सिंह, ग्राम सचिव कार्यालय बी०डी०पी०ओ०, सोहना, जिला गुड़गांव।	पंचायत
5.	सूरजमल कार्यकारी अधिकारी, दी पानीपत केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, सनौली खुर्द, थाना सदर, पानीपत।	सहकारी
6.	एम०एल० कालड़ा, कार्यकारी अधिकारी, डी०एच०बी०पी० एन०एल०, महेन्द्रगढ़।	विद्युत
7.	आत्म प्रकाश मेहता, उप मण्डल शिक्षा अधिकारी, जींद।	शिक्षा

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	विभाग का नाम
8.	राम किशन, पटवारी हल्का खैरमपुर, थाना आदमपुर, जिला हिसार।	राजस्व
9.	महेन्द्र सिंह, कनिष्ठ अभियंता, आप्रेशन उप मण्डल, विद्युत बोर्ड, पेहवा, जिला कुरुक्षेत्र।	विद्युत
10.	सरदूल सिंह, पटवारी, सोनीपत।	राजस्व
11.	ओम प्रकाश, ए०एफ०एम० (ऑप्रेशन), एच०वी०पी०एन०एल०, अजराना कलाँ, जिला कुरुक्षेत्र।	विद्युत
12.	बलराज सिंह, एस०डी०ओ०, कार्यालय हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हिसार।	प्रदूषण बोर्ड
13.	राम सिंह, जिला कर निरीक्षक, नारनौल।	कराधान
14.	जय प्रकाश, पटवारी, हल्का मोफरा, जिला भिवानी।	राजस्व
15.	गजे सिंह, पटवारी, हल्का असन्ध, जिला करनाल।	–उपरोक्त–
16.	ए०एस०आई० सरुप सिंह, थाना होडल, जिला फरीदाबाद।	पुलिस
17.	हीरा लाल, पटवारी, हल्का बरौदा, जिला जींद।	राजस्व
18.	बलवंत सिंह, पटवारी, हल्का चिंधड़, जिला हिसार।	राजस्व
19.	सुरेश कुमार, स्टैनो, कार्यालय उप मण्डल शिक्षा अधिकारी, अम्बाला छावनी।	शिक्षा
20.	ललित मोहन गुलाटी, पटवारी, हल्का पाटली, हाजीपुर, जिला गुड़गांव।	राजस्व
21.	गफ्फूर अली, रैंट कलैक्टर, वक्फ बोर्ड, रोहतक।	वक्फ बोर्ड
22.	गुलशन अरोड़ा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, सामान्य अस्पताल, गुड़गांव।	स्वास्थ्य
23.	सतीश कुमार शर्मा, आशुलिपिक, कार्यालय जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, सोनीपत।	शिक्षा
24.	अभय सिंह, पटवारी हल्का बेवला सेहरान, जिला महेन्द्रगढ़।	राजस्व
25.	आर०के० सिक्का, कार्यकारी अभियंता, काडा, फतेहाबाद।	काडा
26.	अशोक कुमार भल्ला, उप मण्डल अभियंता, हुडा पानीपत।	हुडा
27.	मोहन लाल, सी०ए, डी०एच०बी०पी०एन०एल०, ज्वाहर कालौनी, फरीदाबाद।	विद्युत

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	विभाग का नाम
28.	किशन लाल, ए०एफ०एम०, उप मण्डल सिटी, डी०एच०बी०पी० एन०एल०, हिसार।	विद्युत
29.	भले राम, पटवारी हल्का लाखू बुआना, जिला पानीपत।	राजस्व
30.	अनिल पुत्र किशन सिंह वासी कजला एवं सुन्दर सिंह पुत्र किशन लाल वासी भरत नगर, कजला गैस एजैंसी, बीड, जिला हिसार।	प्राईवेट
31.	थावर सिंह कटारिया, फील्ड ऑफिसर, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्तीय निगम, गुड़गांव।	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्तीय निगम
32.	पृथी सिंह, ग्राम सचिव, हल्का पेहोवा।	पंचायत
33.	विजयपाल, लिपिक कार्यालय खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, रिवाड़ी।	खाद्य एवं आपूर्ति
34.	सतीश कुमार, लिपिक, कार्यालय राज्य भंडारण निगम, कैथल।	राज्य भांडारण निगम
35.	दिलबाग सिंह, पटवारी, हल्का कलायत, जिला कैथल।	राजस्व
36.	भीम सिंह, नहरी पटवारी, पानीपत।	सिंचाई
37.	कर्मबीर सिंह पुत्र श्री बालक राम हरिजन वासी फूसगढ़, करनाल।	प्राईवेट
38.	स्वर्ण सिंह, स्टोर कीपर, कान्फैड एवं अन्य।	कान्फैड
39.	विजय प्रकाश, पटवारी, हल्का जटवाड (शहजादपुर), अम्बाला।	राजस्व
40.	सहायक उप-निरीक्षक विजय आनंद, थाना सदर रेवाड़ी।	पुलिस
41.	उप-निरीक्षक नारायण चंद थाना बाढड़ा जिला भिवानी।	पुलिस
42.	कली राम उप-मण्डल अधिकारी, यू०एच०बी०वी०एन०एल०, उप-मण्डल नं०, कैथल।	विद्युत
43.	सुनील कुमार अरोड़ा, कनिष्ठ अभियंता, यू०एच०बी०वी०एन०एल०, उप मण्डल नं० 2 शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र।	विद्युत
44.	यासीन खान, एल०वी०ओ०, लैण्ड मोर्टगेज बैंक, नूंह।	लैंड मोर्टगेज बैंक
45.	कृष्ण लाल, पटवारी, हल्का सलपानी कलां, कुरुक्षेत्र।	राजस्व
46.	बनवारी लाल, पटवारी हल्का सिंगरा, निसिंग।	-उपरोक्त-
47.	रणधीर सिंह, खण्ड स्तरीय विस्तार अधिकारी, उद्योग विभाग, सफीदों, जिला जीन्द।	उद्योग

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	विभाग का नाम
48.	मंगल राय, उप-मण्डल अभियन्ता, जन स्वास्थ्य विभाग मण्डल नं० 6, हिसार।	जन स्वास्थ्य
49.	एम०एस० हुड्डा, उप-मण्डल अधिकारी एवं बलराज सिंह लेखाकार, द०ह०बि०वि०नि०लि०, टोहाना जिला फतेहाबाद।	विद्युत
50.	दीपक कुमार, सचिव, सहकारी बैंक चांग, जिला भिवानी।	सहकारिता
51.	शाम लाल, क्षेत्रीय अधिकारी, एच०एस०एफ०डी०सी०, अम्बाला शहर।	वित्तीय विकास निगम
52.	राज कुमार गुप्ता पुत्र श्री भगत सिंह मालिक मैसर्ज राज फूड, बबैन रोड़, गाँव खिरड़वा, गौरव गुप्ता, विनोद सिसोदिया, कैमिस्ट संजीव कुमार फर्म का लेखाकार।	प्राईवेट
53.	श्रीचन्द, खजानची, सहकारी समिति, कुरुक्षेत्र।	सहकारिता
54.	(क) मै० जैन शिव ईन्डस्ट्रीज, चरखी दादरी, जिला भिवानी। (ख) श्री जितेन्द्र सिंह सपुत्र श्री महाबीर सिंह। (ग) श्री सत नारायण, स्टोर कीपर, लो० नि० विभाग (भ० व स०) चरखी दादरी, जिला भिवानी। (घ) श्री सुरेश कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, लो० नि० विभाग (भ० व स०) चरखी दादरी, जिला भिवानी।	लोक निर्माण विभाग (भ० एवं स०) एवं प्राईवेट
55.	निरंजन कुमार, पटवारी, हल्का नारायणगढ़, जिला अम्बाला।	राजस्व
56.	(क) श्री जोगिन्द्र सिंह, पटवारी, हल्का 3 हिसार। (ख) श्री करतार सिंह सपुत्र श्री गोपाल राम, निवासी भनभोरी, जिला हिसार।	राजस्व
57.	रणधीर शर्मा, स्टैनो, कार्यालय बी०डी०पी०ओ०, समालखा, जिला पानीपत।	पंचायत
58.	कृष्ण लाल, कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय डी०ई०ओ०, कैथल।	शिक्षा
59.	ओम प्रकाश, पटवारी, हल्का गवालडा, जिला पानीपत।	राजस्व
60.	श्रीमती स्नेह लता, क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा पिछड़ी जातीय वित्त एवं विकास निगम, नारनौल।	हरियाणा पिछड़ी जातीय वित्त एवं विकास निगम
61.	डॉ० मधु पाल, सिविल अस्पताल, कैथल।	स्वास्थ्य
62.	हरि पाल, उद्यान विकास अधिकारी, नारनौल।	उद्यान

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	विभाग का नाम
63.	राजेश, ए०एल०एम० उत्तर हरियाणा विद्युत निगम लिमिटेड, जींद।	विद्युत
64.	हवा सिंह, पटवारी हल्का रायपुर जाटान, जिला करनाल।	राजस्व
65.	जे०पी० दहिया, जे०ई०, द०ह०वि०प्र०नि०लि०, उद्योग विहार, गुड़गांव।	विद्युत
66.	ओम प्रकाश, ए०एल०एम०, द०ह०वि०प्र० निगम लिमिटेड, अग्रोहा जिला, हिसार।	-उपरोक्त-
67.	राज सिंह हल्का पटवारी, सोकरा, तरावड़ी, जिला करनाल।	राजस्व
68.	कालू राम, कानूनगो, हल्का हाट, जिला जीन्द।	-उपरोक्त-
69.	बाल सिंह, लिपिक, कार्यालय एच०एस०एफ०डी०सी०, करनाल।	वित्तीय विकास निगम
70.	सत्यवान, ए०एल०एम०, 33 के०बी० सब स्टेशन, डाबा कैथल।	विद्युत
71.	शमशेर सिंह, यू०डी०सी०, द०ह०वि०प्र०नि०लि०, पटौदी, गुड़गांव।	-उपरोक्त-
72.	(क) मदन लाल आढ़ती, सब्जी मण्डी, गुड़गांवा। (ख) मुकेश कुमार, विक्रेता, निवासी मोलाहेड़ा, गुड़गांव। (ग) पंकज मुनीम, निवासी बहरामपुर, यू०पी०। (घ) जय प्रकाश, आक्शन रिकार्डर, मार्केट कमेटी, गुड़गांव।	प्राईवेट
73.	(क) देवी दास, आढती, सब्जी मण्डी, गुड़गांवा। (ख) संजय कुमार, मुनीम, निवासी ज्योति पार्क, गुड़गांव। (ग) भीम सेन, आक्शन रिकार्डर, मार्केट कमेटी, गुड़गांव।	प्राईवेट
74.	सुरेन्द्र पाल, रेडीयोग्राफर, सिविल हस्पताल, कैथल।	स्वास्थ्य
75.	राम स्वरूप महता, पटवारी, हल्का कोटली जिला सिरसा।	राजस्व
76.	उप नि० चरण सिंह, थाना प्रबन्धक मेवात एवं उप-सहायक निरीक्षक, थाना नगीना।	पुलिस
77.	बलबीर सिंह, लाईन मैन, द०ह०वि०प्र०नि०लि०, नजदीक डबल फाटक, हिसार।	विद्युत
78.	राम करण, ए०एफ०एम० कार्यालय एस०डी०ओ०, उ०वि०प्र० नि०लि० बहोली, पानीपत।	विद्युत
79.	नरेश कुमार पटवारी, हल्का बापौली, पानीपत।	राजस्व
80.	मेवा लाल, ए०एफ०एम०, भानुखेड़ा दुराना फीडर सब-डिविजन-1 अंबाला कैन्ट।	विद्युत

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	विभाग का नाम
81.	ए०एस०आई० हवा सिंह, थाना सिटी गोहाना तथा नरेश कुमार पुत्र राम मेहर, निवासी हसनगढ़।	पुलिस
82.	राज सिंह, ए०एल०एम०, डी०एच०बी०पी०एन०एल०, नारनौल।	विद्युत
83.	राजपाल, ए०एफ० एवं नन्द किशोर ए०एल०एम०।	-उपरोक्त-
84.	उप-निरिक्षक सुरेश कुमार, सहकारी समिति गुड़गांव।	सहकारिता
85.	ओम प्रकाश पटवारी, हल्का सेवली, जिला सोनीपत।	राजस्व
86.	मु०सि० प्रेम सिंह, 854/अम्बाला, चौकी तोपखाना (अम्बाला)।	पुलिस
87.	उप-सहायक निरीक्षक कैलाश चन्द्र, चौकी बालसमन्द, जिला हिसार।	पुलिस
88.	के०के० मिश्रा, कार्यकारी अभियन्ता, एच०बी०पी०एन०, फरीदाबाद एवं संजय भाटिया, आम व्यक्ति।	विद्युत
89.	रमेश, हल्का पटवारी, भम्भेवा, जींद।	राजस्व
90.	राजिन्द्र प्रकाश, फोरमैन, एच०बी०पी०एन०एल०, जींद।	विद्युत
91.	सुदर्शन कुमार ग्रोवर, उप-मण्डल अभियंता, डी०एच०बी०पी० एन०एल०, जुई।	विद्युत
92.	हरभजन दास, ए०एफ०एम०, यू०एच०बी०पी०एन०एल०, उप-मण्डल, बब्याल, अम्बाला छावनी।	-उपरोक्त-
93.	सतीश कुमार शर्मा, हल्का पटवारी, बोदनी, थाना पेहवा, जिला कुरुक्षेत्र।	राजस्व
94.	उप-निरीक्षक राधे श्याम कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, गुड़गांव।	सहकारिता
95.	मदन लाल, लिपिक, आवास बोर्ड, सैक्टर-55, बल्लभगढ़।	आवास बोर्ड
96.	धर्मपाल, यू०डी०सी०, डी०एच०बी०पी०एन०एल०, रानियां, जिला सिरसा।	विद्युत
97.	अनिल कुमार, सेवादार, वर्किंग एज क्लर्क, कार्यालय नगरपालिका गुड़गांव।	स्थानीय निकाय
98.	ईश्वर सिंह मलिक, सहायक उप-निरीक्षक, थाना, सैक्टर-5, पंचकूला।	पुलिस
99.	उप-निरीक्षक दाता राम, प्रभारी थाना अलेवा, जिला जींद।	-उपरोक्त-

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	विभाग का नाम
100.	बालू लाल, राजस्व पटवारी, हल्का भुर्जत वासी खैरोली, थाना महेन्द्रगढ़।	राजस्व
101.	सिपाही वेद पाल, नम्बर 755/पानीपत, सुरक्षा एजैंट, ईसराना, पानीपत।	पुलिस
102.	एम०पी० सिंगला, ए०एफ०एस०ओ०, गुड़गांव।	खाद्य एवं आपूर्ति
103.	अशोक कुमार, लिपिक कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र, सिरसा।	उद्योग
104.	उप-निरीक्षक जगदीश चन्द्र, यातायात सहायता केन्द्र, जयपुर राजमार्ग, गुड़गांव।	पुलिस
105.	हरपाल सिंह, लिपिक सहकारी समिति हथवाला, पानीपत।	सहकारिता
106.	सिपाही लक्ष्मी चंद, नं० 660/जींद, पुलिस पोस्ट सफीदों मण्डी, जींद।	पुलिस
107.	जीतू राम तंवर, उप-मण्डल अधिकारी, यू०एच०बी०पी०एन०एल०, पानीपत।	विद्युत
108.	विरेन्द्र सिंह, ए०एल०एम०-सह-सी०सी०, यू०एच०बी०पी०एन०एल०, उप-मण्डल, इस्माईलाबाद।	विद्युत
109.	ए०एस०आई० बरयाम सिंह, 179/कुरुक्षेत्र, थाना ढाण्ड, कैथल।	पुलिस
110.	डॉ० नरेश कुमार, जिला आयुर्वैदिक अधिकारी, अम्बाला।	स्वास्थ्य
111.	दर्शन सिंह, हल्का पटवारी, हल्का जखवाला, इस्माईलाबाद।	राजस्व
112.	(क) अविनाश कुमार, जे०ई०, बागवानी, फरीदाबाद। (ख) सुमेर सिंह, जे०ई० -उपरोक्त-	उद्यान
113.	कंवर सैन, लाईसैंस लिपिक, कार्यालय उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, नरवाना।	राजस्व
114.	राजेश पुत्र श्री राम कुमार, जोनी पुत्र श्री बेजा एवं अशोक पुत्र राम लाल वासी लक्ष्मी नगर, दादरी गेट, भिवानी।	प्राईवेट
115.	श्री राज पाल, कनिष्ठ अभियंता, ऑपरेशन सब-डिविजन, नं०-1, रोहतक।	विद्युत
116.	श्री पंकज सागर, कर निरीक्षक, गुड़गांव।	आबकारी एवं कराधान विभाग
117.	सुंदर दास अरोड़ा, निरीक्षक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, नूंह।	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	विभाग का नाम
118.	सूबे सिंह, पटवारी, भैणी बादशाहपुर, जिला हिसार एवं बलवान सिंह पुत्र फतेह सिंह, निवासी बाडो पट्टी, बरवाला हिसार।	राजस्व विभाग
119.	श्री राजेश, लेखाकार, नगर परिषद्, रोहतक।	स्थानीय निकाय
120.	स्वर्ण सिंह, शाखा प्रबंधक, सहकारी बैंक, झालनिया, फतेहाबाद।	सहकारिता
121.	आनंद कुमार, कार्यकारी अभियंता, सिंचाई विभाग, गोहाना।	सिंचाई
122.	सुरेश कुमार, लेखाकार, एवं सुखमिन्दर पाल, कनिष्ठ अभियंता, नगर पालिका, सिरसा।	स्थानीय निकाय
123.	आशिक अली खान, सम्पदा अधिकारी एवं खुर्शीद अहमद, रैन्ट कलैक्टर, हरियाणा वक्फ बोर्ड, करनाल।	हरियाणा वक्फ बोर्ड
124.	भरत, पटवारी, सुण्डाना, रोहतक।	राजस्व
125.	सतीश कुमार, उद्यान विकास अधिकारी, भिवानी।	हुडा
126.	मुख्य सिपाही रामानंद, नं० 548 / नारनौल।	पुलिस
127.	ब्रहमदत्त, प्रवाचक, उप-मण्डल न्यायधीश, रोहतक।	राजस्व
128.	उप-निरीक्षक विक्रम सिंह, इंचार्ज गुप्तचर स्टाफ, अंबाला।	पुलिस
129.	मुख्य सिपाही सरूप सिंह, इंचार्ज, पुलिस चौकी, पिनगवां, मेवात।	पुलिस
130.	सहायक उप-निरीक्षक राम फल, इंचार्ज, पुलिस चौकी हेली मण्डी, थाना पटौदी, गुड़गांव।	पुलिस
131.	चंदर मोहन, कनिष्ठ अभियंता, डी०एच०बी०पी०एन०एल०, पटौदी, गुड़गांव।	विद्युत
132.	रमेश गोयल, लेखाकार, जिला परिषद्, फरीदाबाद।	स्थानीय निकाय
133.	श्री पी०डी० शर्मा, एल०वी०ओ०, भूमि विकास बैंक, गोहना, सोनीपत।	सहकारिता
134.	श्री देवेन्द्र सिंह, नायब तहसीलदार, अंबाला।	राजस्व
135.	श्री हरपाल सिंह, पटवारी, हल्का पट्टाखेड़ा, जींद।	राजस्व
136.	महाबीर सिंह, ए०आ०सी० पटवारी, सिंचाई विभाग जींद एवं बलवान सिंह, जिलेदार।	सिंचाई
137.	जगदीश प्रकाश, फायर ऑफिसर, दमकल केन्द्र, रेवाड़ी।	स्थानीय निकाय

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	विभाग का नाम
138.	सिपाही कप्तान सिंह, नं० 929/कुरुक्षेत्र, पुलिस चौकी – ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र।	पुलिस
139.	सहायक उप-निरीक्षक देवेन्द्र कुमार, पुलिस चौकी बिलासपुर, गुड़गांव।	पुलिस
140.	मुख्य सिपाही रणबीर सिंह, नं० 425/रोहतक।	पुलिस
141.	सुनील कुमार मल्होत्रा, कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य विभाग, नूंह।	जन स्वास्थ्य
142.	सुरेश कुमार, पटवारी, हल्का ख्वारका, कैथल एवं केवल कृष्ण पुत्र राम किशन मकान नं० 734/19, हुडा, कैथल।	राजस्व
143.	चमन लाल, पटवारी, हल्का सुनारियां, सब-डिविजन बबैन, कुरुक्षेत्र।	राजस्व
144.	परमजीत सिंह, पटवारी, हल्का बाला, असंध, करनाल।	राजस्व
145.	अनिल कुमार, पटवारी, हल्का मिर्जापुर, कुरुक्षेत्र।	राजस्व
146.	राम स्वरूप, श्रम निरीक्षक, सर्कल-1, अंबाला।	श्रम एवं रोजगार
147.	इन्द्रराज, जिला प्रबंधक, हरियाणा पिछड़ा वर्ग विकास निगम, यमुनानगर।	समाज कल्याण
148.	तरसेम सिंह, पटवारी, हल्का नगला, नारायणगढ़, अंबाला।	राजस्व
149.	मदन लाल, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, कैथल एवं जान पाल, ड्राईवर।	विकास एवं पंचायत
150.	मुख्य सिपाही दिनेश सिंह, थाना फरूख नगर गुड़गांव व महिला सिपाही वीणा।	पुलिस
151.	जोगेन्द्र सिंह, पटवारी हल्का धान्सू, हिसार।	राजस्व
152.	ईश्वर दास, कनिष्ठ अभियंता, यू०एच०बी०वी०एन०, सब-डिविजन, अंबाला।	विद्युत
153.	राजेश कुमार, पटवारी, हल्का इसराना, पानीपत एवं राम नारायण पुत्र राम सिंह निवासी पानीपत।	राजस्व
154.	सूरजभान, उप-निरीक्षक, खाद्य एवं पूर्ति विभाग, बहादुरगढ़।	खाद्य एवं पूर्ति
155.	श्री भूप सिंह, आबकारी निरीक्षक, हिसार।	आबकारी एवं कराधान

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	विभाग का नाम
156.	मुख्य सिपाही जगदीश चन्द्र, नं० 145/भिवानी, पुलिस चौंकी–जूई, भिवानी।	पुलिस
157.	देवी दयाल, कनिष्ठ अभियंता, यू०एच०बी०वी०एन० डिविजन सीवन गेट, कैथल।	विद्युत
158.	चंदर मोहन, एस०डी०ओ०, जन स्वास्थ्य विभाग, सिरसा।	जन स्वास्थ्य
159.	ध्यान सिंह, ड्यूटी निरीक्षक, हरियाणा रोडवेज, सिरसा डिपो, सिरसा।	परिवहन
160.	जगदीप सिंह, पटवारी, हल्का भैणी चंदरपाल, जिला रोहतक।	राजस्व
161.	सूरज लिपिक एवं गुरमीत कालड़ा, फील्ड ऑफिसर, हरियाणा पिछड़ा वर्ग विकास निगम, करनाल।	समाज कल्याण
162.	वेद प्रकाश, सी०ए०, डी०एच०बी०वी०एन०एल० मानेसर, गुड़गांव।	विद्युत
163.	ईश्वर सिंह, यू०डी०सी०, डी०एच०बी०वी०एन०एल०, सांजरवास, भिवानी।	विद्युत
164.	सुधीर कुमार, मैनेजर प्रोक्यूरमैंट, वीटा मिल्क प्लांट, अंबाला।	डेरी विकास
165.	डॉ० पवन चौधरी, बी०के० अस्पताल, फरीदाबाद।	स्वास्थ्य
166.	जय प्रकाश, पटवारी, रानीला, जिला भिवानी।	राजस्व
167.	अमृत राय रंगीरा, निरीक्षक, खाद्य एवं पूर्ति विभाग, इसराना, पानीपत।	खाद्य एवं पूर्ति
168.	सहायक उप–निरीक्षक सुखबीर सिंह, नं० 522/सोनीपत, थाना सिविल लाईन्स, रोहतक।	पुलिस
169.	ओंकार सिंह, पटवारी, हल्का खेड़ी गुज्जर, सोनीपत व वेद प्रकाश पुत्र शोभा चंद निवासी आहुलाना, सोनीपत।	राजस्व
170.	राजेन्द्र सिंह, बी०डी०पी०ओ०, अग्रोहा, हिसार।	विकास एवं पंचायत
171.	राम स्वरूप, लाईनमैन, उग्राखेड़ी, पानीपत।	विद्युत
172.	राजेश मदान, प्रारूपकार, हुडा एवं बिजेन्द्र सिंह, रजिस्टर्ड पलंबर, हुडा, गुड़गांव।	हुडा
173.	मुख्य सिपाही रविन्द्र, नं० 168/गुड़गांव व करतार सिंह, मुख्य सिपाही।	पुलिस

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	विभाग का नाम
174.	चमन लाल, सहायक लाईनमैन, यू०एच०बी०वी०एन०, अंबाला शहर।	विद्युत
175.	सफल अंसारी, सम्पदा अधिकारी, वक्फ बोर्ड, रेवाड़ी एवं अब्दुल जयफल, रैंट लिपिक, वक्फ बोर्ड, रेवाड़ी।	वक्फ बोर्ड, हरियाणा
176.	ज्वाला राम, पटवारी, हल्का लस्करीवाला, सब तहसील रायपुर रानी, पंचकूला।	राजस्व
177.	राम अवतार, लाईनमैन, डी०एच०बी०वी०एन०एल०, अटेली, नारनौल।	विद्युत
178.	सहायक उप निरीक्षक महेन्द्र सिंह, पुलिस चौकी, रैजीमैंट बाजार, अंबाला एवं एच०सी० कृष्ण कुमार नं० 944/अंबाला।	पुलिस
179.	सिपाही कुलविन्द्र सिंह, थाना मतलौडा, पानीपत।	पुलिस
180.	डॉ० विनोद कुमार, चिकित्सा अधिकारी, सामान्य अस्पताल, करनाल।	स्वास्थ्य
181.	जय भगवान, पटवारी, हल्का अकबरपुर बरोटा, सोनीपत।	राजस्व
182.	अशोक कुमार, सहायक लाईनमैन, डी०एच०बी०वी०एन०एल०, फरीदाबाद।	विद्युत
183.	करन सिंह, सहायक लाईनमैन, यू०एच०बी०वी०एन०एल०, गन्नौर, सोनीपत।	विद्युत
184.	रमेश, कनिष्ठ अभियंता, एच०वी०पी०एन०एल०, असंध, करनाल।	विद्युत
185.	निरीक्षक बलजीत सिंह, एस०एच०ओ०, थाना – डी०एल०एफ०, गुड़गांव।	पुलिस
186.	अतर सिंह, हल्का कानूनगो, निगधु, करनाल एवं श्री केहर सिंह, हल्का पटवारी।	राजस्व
187.	सहायक उप–निरीक्षक सूरज भान, नं० 116 / कुरुक्षेत्र, थाना सदर, थानेसर, कुरुक्षेत्र।	पुलिस
188.	लक्ष्मी चंद, उप–अधीक्षक, कार्यालय जिला नगर आयोजक, पंचकूला।	नगर विकास
189.	डॉ० प्रभात सूद, मनोचिकित्सक, सामान्य अस्पताल, पंचकूला।	स्वास्थ्य
190.	बिरेन्द्र सिंह कम्बोज, एस०डी०ओ०, यू०एच०बी०वी०एन०एल० सब–डिविजन 1, अंबाला।	विद्युत
191.	सतीश कुमार, कर निरीक्षक, रेवाड़ी।	आबाकरी एवं कराधान

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	विभाग का नाम
192.	उप-निरीक्षक रतन लाल, इंचार्ज, सी०आई०ए० यूनिट, चरखी दादरी, भिवानी।	पुलिस
193.	एच०सी० मदन लाल, पुलिस चौकी, हुडा, सिरसा।	पुलिस
194.	सहायक उप-निरीक्षक लक्ष्मी नारायण, थाना सदर, नरवाना, जींद।	पुलिस
195.	रणबीर, पटवारी, थाना इसराना, पानीपत।	राजस्व
196.	कमल पुरी, लोन क्लर्क एवं सोम प्रकाश सेवादार कार्यालय जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, अंबाला।	विकास एवं पंचायत
197.	कृष्ण कुमार, हल्का पटवारी, पटटी गदादन, कैथल एवं श्री सतपाल, हल्का पटवारी, दयौरा, कैथल।	राजस्व
198.	हरज्ञान सिंह, सहायक परियोजना अधिकारी, डी०आर०डी०ए० कार्यालय ए०डी०सी०, फतेहाबाद।	राजस्व
199.	अनिल कुमार भाटिया, एस०डी०ओ०, यू०एच०बी०वी०एन०, कुरुक्षेत्र।	विद्युत
200.	सुभाष चंद, पटवारी, हल्का शेरपुर, गुड़गांव।	विद्युत
201.	नंद किशोर, कनिष्ठ अभियंता, डी०एच०बी०बी०एन०एल०, मांडकोला, जिला मेवात।	विद्युत
202.	रमेश कुमार, पटवारी, हल्का गिदरखेड़ा, सिरसा।	राजस्व
203.	बलजीत सिंह, प्रारूपकार, कार्यालय कार्यकारी अभियंता, डी०एच०बी०बी०एन०एल०, नरवाना, जींद।	विद्युत
204.	ईश्वर सिंह, कनिष्ठ अभियंता, पंचायती राज, यमुनानगर।	विकास एवं पंचायत
205.	स०उ०नि० उमेद सिंह, औद्योगिक क्षेत्र दुलिना, झज्जर।	उद्योग
206.	नरेश कुमार, लिपिक, कार्यालय सहायक खाद्य एवं पूर्ति विभाग अधिकारी, गोहाना, सोनीपत।	खाद्य एवं पूर्ति
207.	हरिचंद, लीज क्लर्क, कार्यालय नगर परिषद, अंबाला छावनी।	स्थानीय निकाय
208.	राजेन्द्र सिंह, लिपिक, समाज कल्याण अधिकारी, करनाल।	समाज कल्याण
209.	कर्मबीर, कनिष्ठ अभियंता, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, मोरनी, पंचकूला।	विद्युत

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	विभाग का नाम
210.	राजीव कुमार, ए०डी०ए०ए० जे०एम०आई०सी०, हिसार।	अभियोजन
211.	स०उ०नि० छतरमल, पुलिस चौकी गुजरानी, थाना सदर, भिवानी।	पुलिस
212.	एच०सी० ओम प्रकाश, नं० 525/फतेहाबाद, थाना भूना।	पुलिस
213.	प्रेम चंद, फोरमैन, यू०एच०बी०वी०एन०एल० हाट एवं रणधीर सिंह, लाईनमैन, सफीदों, जींद।	विद्युत
214.	रामकिशन, पटवारी हल्का पहरावर, रोहतक।	राजस्व
215.	चेतन कुमार पुत्र विजय कुमार निवासी मकान नं० 847/डी, इन्द्रपुरी, रेलवे रोड, अंबाला।	विद्युत
216.	सिपाही अजीत सिंह, 517 / रेवाड़ी।	पुलिस
217.	सुरेन्द्र कुमार, सहायक लाईनमैन, डी०एच०बी०वी०एन०एल०, एन०आई०टी०, फरीदाबाद।	विद्युत
218.	एच०सी० उमर मोहम्मद, थाना फिरोजपुर झिरका, मेवात।	पुलिस
219.	स०उप०नि० नरेश कुमार, थाना पेहवा, कुरुक्षेत्र।	पुलिस
220.	राम करण, फोरमैन, डी०एच०बी०वी०एन०एल०, रानियां, जिला सिरसा।	विद्युत
221.	राजबीर सिंह फोगाट, कनिष्ठ अभियंता, सांपला जल सेवाएं डिविजन, रोहतक।	जन स्वास्थ्य
222.	पवन कुमार, खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक, बिलासपुर।	खाद्य एवं पूर्ति
223.	एच०सी० राम करण नं० 476 / जींद।	पुलिस
224.	उस्मान खान, कापी राईटर, न्यायालय जे०एम०आई०सी०, फिरोजपुर झिरका, मेवात।	अभियोजन
225.	धर्मपाल, कानूनगो, रतिया, फतेहाबाद।	राजस्व
226.	काशी राम, लिपिक, लोक निर्माण विभाग, करनाल।	लोक निर्माण
227.	सुरेश कुमार, आबकारी निरीक्षक, रोहतक।	आबकारी एवं कराधान
228.	राजकुमार, पटवारी, हल्का गुभाना, बहादुरगढ़, झज्जर।	राजस्व
229.	हरिओम पटवारी, हल्का दूबलधन, रोहतक।	राजस्व
230.	हरिचंद, कानूनगो, हल्का गढ़ी बीरबल, जिला करनाल।	राजस्व

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	विभाग का नाम
231.	रामकरण जिंदल, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, पानीपत।	खाद्य एवं पूर्ति
232.	मनोहर लाल भाटिया, उप-अधीक्षक, कार्यालय कार्यकारी अभियंता विभाग, राजमार्ग कन्स्ट्रक्शन डिविज़न, पंचकूला।	लोक निर्माण
233.	राज कुमार, पटवारी हल्का सिघानी, फतेहाबाद।	राजस्व
234.	मोहिन्द्र सिंह, कनिष्ठ अभियंता, यू०एच०बी०वी०एन०, सब डिविज़न नं० 2, अंबाला।	विद्युत
235.	जगपाल सिंह, पटवारी, हल्का नारवाल, कैथल।	राजस्व
236.	शमशेर, रजिस्ट्री क्लर्क, बोंद कलां जिला भिवानी एवं संदीप पुत्र महाबीर, निवासी बोंद कलां, भिवानी।	राजस्व
237.	भगवान दत्त, कनिष्ठ अभियंता, डी०एच०बी०वी०एन०एल०, माधो सिंधाना, जिला सिरसा।	विद्युत
238.	राकेश, पटवारी हल्का भटसाना, मुकेश पटवारी हल्का अलावलपुर तहसील धारूहेड़ा, रेवाड़ी।	राजस्व
239.	यादविन्द्र कुमार, वरिष्ठ औषधी निरीक्षक, स्वास्थ्य विभाग, कुरुक्षेत्र व धन सिंह, लिपिक।	स्वास्थ्य
240.	ई०एच०सी० बलजीत सिंह, थाना सदर, हांसी, हिसार।	पुलिस
241.	एच०सी० नत्थी राम, नं० 216 / कैथल, थाना गुहला, कैथल।	पुलिस
242.	हरिचंद नायब तहसीलदार, सुरेश कुमार रजिस्ट्री क्लर्क, उदयवीर, स्टैम्प वैंडर, तहसील बास, जिला हिसार।	राजस्व
243.	धर्मपाल नहरी पटवारी हल्का सिवाना माजरा, बवानीखेड़ा, भिवानी।	सिंचाई
244.	राजपाल मलिक, ए०ई०टी०ओ०, भिवानी, प्रहलाद सिंह, सहायक, कार्यालय डी०ई०टी०सी० भिवानी एवं राम सिंह सेवानिवृत्त ड्राईवर, लोक निर्माण विभाग, भिवानी।	आबकारी एवं कराधान
245.	एच०सी० बाबू राम, नं० 610 / कैथल।	पुलिस
246.	मोहिन्द्र सिंह, लिपिक, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, दतौली।	शिक्षा
247.	राम निवास गर्ग, कनिष्ठ अभियंता, यू०एच०बी०वी०एन०, बहादुरगढ़।	विद्युत
248.	दलीप सिंह, उद्योग विकास अधिकारी, डी०आई०सी० जींद एवं राम कुमार फील्ड इन्वेस्टीगेटर जिला उद्योग केन्द्र, जींद।	उद्योग

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	विभाग का नाम
249.	जगदीश प्रसाद, मैनेजर, केन्द्रीय सहकारी बैंक, महेन्द्रगढ़ ब्रांच निजामपुर।	सहकारिता
250.	बलबीर सिंह, पटवारी, हल्का उझा, जिला पानीपत एवं जगदीश पुत्र ग्यानी राम, निवासी गुढ़ा, जिला करनाल।	राजस्व
251.	पदम सिंह, उप-निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, गृह रक्षी, भिवानी।	होम गार्ड
252.	ललित गुप्ता, नायब तहसीलदार, बाला, जिला करनाल एवं ग्यान सिंह, डीड राईटर निवासी असंध, जिला करनाल।	राजस्व
253.	सूबे सिंह पालवान, माल हल्का, पीलूखेड़ा, जिला जींद।	राजस्व
254.	कंवर सिंह ढिल्लो, कनिष्ठ अभियंता, यू०एच०बी०वी०एन०एल०, अंबाला एवं विनोद कुमार मै० रत्ना राम विनोद कुमार इलैक्ट्रिकल, कोर्ट रोड, अंबाला, शिव कुमार मै० स्वामी हार्डवेयर।	विद्युत
255.	गुरमीत सिंह, पटवारी, हल्का निसिंग, करनाल।	राजस्व
256.	सतबीर सिंह, निरीक्षक, खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, हिसार।	खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड
257.	वेद पाल, निरीक्षक, खाद्य एवं पूर्ति विभाग, कोसली, रेवाड़ी।	खाद्य एवं पूर्ति
258.	राम कुमार, लिपिक कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी, कैथल।	समाज कल्याण
259.	मंगेश कुमार, पटवारी, चकबंदी, हल्का पिथरवास, रेवाड़ी।	चकबंदी
260.	एच०सी० सुखदेव दत्त नं० 374 / कुरुक्षेत्र, पुलिस चौकी हुडा, शाहबाद, कुरुक्षेत्र।	पुलिस
261.	सुनील कुमार, पटवारी एवं राजबीर सिंह, प्राईवेट व्यक्ति।	राजस्व
262.	मनोज कुमार, सहायक लाईनमैन, डी०एच०बी०पी०एन०एल०, रतिया, फतेहाबाद।	विद्युत
263.	डॉ० कृष्ण कुमार, चिकित्सा अधिकारी, सामान्य अस्पताल, फतेहाबाद।	स्वास्थ्य
264.	मंजीत सिंह, रेडियोग्राफर, सामान्य अस्पताल, यमुनानगर।	स्वास्थ्य
265.	रणदीप सिंह, एल०ओ०ओ० एवं इन्द्रजीत, लेखाकार कार्यालय प्राथमिक सहकारी एवं कृषि विकास बैंक, सोहना, मेवात।	सहकारिता
266.	जान मोहम्मद, पटवारी हल्का धरे, फतेहाबाद।	राजस्व
267.	एच०सी० जय पाल, नं० 190 / सोनीपत थाना सदर, सोनीपत।	पुलिस

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	विभाग का नाम
268.	सतपाल, सेल्समैन, सहकारी लोन एवं सेवा समिति, मखोड, यमुनानगर।	सहकारिता
269.	दरबारा सिंह, लिपिक, कार्यालय उपायुक्त कैथल।	राजस्व
270.	कुलदीप सिंह, एस०डी०सी०, यू०एच०बी०वी०एन०, पिंजौर।	विद्युत
271.	सतनारायण गुप्ता, कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय कार्यकारी अभियंता, काडा डिविज़न, करनाल।	सिंचाई
272.	शिव कुमार, कार्यकारी अभियंता, यू०एच०बी०वी०एन०, सफीदों, जींद।	विद्युत
273.	बाबू लाल, पटवारी, हल्का, काशीपुर, पलवल, फरीदाबाद।	राजस्व
274.	भवानी शंकर, सहायक, कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी, अंबाला।	आबकारी एवं कराधान
275.	दर्शन कुमार गोयल, खाद्य निरीक्षक, खाद्य एवं पूर्ति विभाग, अंबाला शहर।	खाद्य एवं पूर्ति
276.	जगजीत सिंह कुंडु, पटवारी, पटटी डोगरा, कैथल एवं भजन सिंह (प्राईवेट व्यक्ति)।	राजस्व
277.	ई०एच०सी० वेद प्रकाश नं० 1242 / अंबाला, सी०आई०ए० स्टॉफ, अंबाला।	पुलिस
278.	हवा सिंह, नायब तहसीलदार, अटेली मण्डी, रेवाड़ी, विनोद कुमार, रजिस्ट्री क्लर्क, कमल कांत रजिस्ट्री क्लर्क व ओम प्रकाश, गिरदावर, अटेली मण्डी, रेवाड़ी।	राजस्व
279.	इब्राहिम, पटवारी, पटवारखाना, पुन्हाना, मेवात।	राजस्व
280.	कृष्ण कुमार चोपड़ा, कर निरीक्षक, फरीदाबाद एवं परवीन कुमार शर्मा, लिपिक, कार्यालय जिला आबकारी एवं कराधान अधिकारी, गुड़गांव।	आबकारी एवं कराधान
281.	विरेन्द्र सिंह, मोटर मेट, कार्यालय, सम्पदा अधिकारी, आवास बोर्ड, पानीपत।	नगर विकास
282.	बाल किशन, पटवारी, हल्का बिघनाल, खरखौदा, सोनीपत।	राजस्व
283.	प्रीतम सिंह, सहायक फोरमैन, यू०एच०बी०वी०एन०, अजवाना कलां, कुरुक्षेत्र।	विद्युत
284.	वार्डर जसविन्द्र सिंह, नं० 1171, सब जेल, जगाधरी।	जेल

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	विभाग का नाम
285.	सहायक उप-निरीक्षक जगबीर सिंह, नं० 474 करनाल, थाना असंध, करनाल।	पुलिस
286.	राजेश कुमार श्रीवास्तव, कनिष्ठ अभियंता, एच०एस०आई०डी०सी० कुंडली, सोनीपत।	उद्योग
287.	राकेश कुमार गोयल, विकास अधिकारी, हाउसिंग फैडरेशन, सैक्टर-2, पंचकूला।	नगर विकास
288.	बालकिशन शर्मा, निजि सहायक, कार्यालय अतिरिक्त उपायुक्त, गुड़गांव।	राजस्व
289.	मामचंद, दफ्तरी कार्यालय तहसीलदार, नारायणगढ़, अंबाला।	राजस्व
290.	श्रीमती उर्मिला देवी, लिपिक, कार्यालय महा प्रबन्धक, जिला उद्योग निगम, कैथल।	उद्योग
291.	चरणदास, तहसीलदार, आदमपुर, हिसार।	राजस्व
292.	स०उ०नि० दीपक कुमार, इंचार्ज पुलिस चौकी, सैक्टर-8, अंबाला शहर।	पुलिस
293.	जय प्रकाश, उप-निरीक्षक, खाद्य एवं पूर्ति विभाग, सिरसा।	खाद्य एवं पूर्ति
294.	सिफल खान, पटवारी, हल्का पिनगवां, मेवात।	राजस्व
295.	स०उ०नि० प्रेम सिंह नं० 727/कुरुक्षेत्र, थाना बिलासपुर, यमुनानगर।	पुलिस
296.	शाम बाबू, सहायक, सर्टीफिकेट शाखा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।	शिक्षा
297.	स०उ०नि० रामफल, पुलिस चौकी खेरकी दौला, जिला गुड़गांव।	पुलिस
298.	राजेन्द्र बब्बर, कनिष्ठ अभियंता, नगर पालिका, रोहतक।	स्थानीय निकाय
299.	नरेश कुमार, एस०डी०ओ०, यू०एच०बी०वी०एन०, नारायणगढ़, अंबाला।	विद्युत
300.	सुरेन्द्र भारद्वाज, पटवारी, हल्का घेल, अंबाला शहर एवं बसेसर नाथ खुल्लर (प्राईवेट व्यक्ति)।	राजस्व
301.	नरेश कुमार, लिपिक, कार्यालय लैण्ड मोर्टगेज बैंक, गन्नौर, सोनीपत।	सहकारिता
302.	खुशी राम, सहायक लाईनमैन, यू०एच०बी०बी०एन०एल०, सिन्ह, कैथल।	विद्युत
303.	उमर मोहम्मद, खाद्य एवं पूर्ति निरीक्षक, नूंह, मेवात।	खाद्य एवं पूर्ति

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	विभाग का नाम
304.	स०उ०नि० नंद लाल, सी०आई०ए०, सैक्टर-46, गुड़गांव।	पुलिस
305.	उजागर सिंह, एम०वी०आई०, अंबाला एवं श्री अमित कुमार, निवासी जंडली, अंबाला।	परिवहन
306.	स०उ०नि० नंद लाल, फरूख नगर चौकी, गुड़गांव।	पुलिस
307.	महेन्द्र सिंह, लिपिक, ब्लाक शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद।	शिक्षा
308.	जगपाल, पटवारी, हल्का अटावला एवं श्री सुभाष (प्राईवेट व्यक्ति) निवासी दरियापुर, पानीपत।	राजस्व
309.	राम निवास, एस०एस० टीचर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पानीपत।	शिक्षा
310.	महेन्द्र सिंह चौहान, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, हुडा, गुड़गांव।	हुडा
311.	एस०एन० गर्ग, अधीक्षक अभियंता, सिंचाई विभाग, नारनौल।	सिंचाई
312.	प्रकाश चंद, फोरमैन, डी०एच०बी०वी०एन०एल०, गुड़गांव।	विधुत
313.	रोहताश तंवर, दंत मैकेनिक, सामान्य अस्पताल, सीवन, कैथल।	स्वास्थ्य
314.	ओम प्रकाश, पटवारी एवं ओम प्रकाश गिरदावर।	राजस्व
315.	सुनील कुमार, कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय ब्लाक विकास एवं पंचायत अधिकारी, कलानौर, रोहतक।	विकास एवं पंचायत
316.	एच०सी० मांगे राम, नं० 204 / अंबाला एवं एच०सी० मुन्नी लाल नं० 130 / अंबाला, थाना शहजादपुर, अंबाला।	पुलिस
317.	सतीश, कनिष्ठ अभियंता, डी०एच०बी०वी०एन०एल०, बरवाला, जिला हिसार।	विद्युत
318.	सुभाष चंद, हल्का पटवारी, चकवारी, करनाल।	राजस्व
319.	जरनैल सिंह, डीड राईटर एवं जय राम, ऑडिटर, कार्यालय तहसीलदार, अंबाला शहर।	राजस्व
320.	रामेश्वर दास शर्मा, खाद्य एवं पूर्ति निरीक्षक, कैथल, फूल चंद मै० सिंगला एग्रो इन्डस्ट्रीज, पुंडरी व श्री हरबंस लाल मिगलानी, एग्रो लक्ष्मी, कैथल।	खाद्य एवं पूर्ति
321.	कृष्ण कुमार धीमान, लैक्चरार, राजकीय बहुतकनीकी, अंबाला।	तकनीकी शिक्षा
322.	कुंदन लाल डागर, एल०डी०सी० बिजली विभाग, डिगोट, फरीदाबाद।	विद्युत

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	विभाग का नाम
323.	विनोद कुमार, रीडर, कार्यालय नायब तहसीलदार, कलायत, कैथल।	राजस्व
324.	सुरेन्द्र सिंह, पटवारी, हल्का बीजूवास, सिरसा।	राजस्व
325.	दिलीप सिंह प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, सोनीपत एवं जयपाल सिंह, लिपिक, सहकारी बैंक, भैंसवान।	सहकारिता
326.	डॉ० राजेन्द्र सिंह व सिपाही राजेन्द्र सिंह, थाना पटौदी, गुड़गांव।	स्वास्थ्य, पुलिस
327.	गुरदयाल सिंह, लिपिक, कार्यालय जिला राजस्व अधिकारी, पानीपत।	राजस्व
328.	सुनील कुमार, कनिष्ठ अभियंता, एच०वी०पी०एन०, झज्जर।	विद्युत
329.	संजय कुमार, कनिष्ठ अभियंता, एच०वी०पी०एन०एल०, गन्नौर, सोनीपत।	विद्युत
330.	श्री भगवान, रजिस्ट्री लिपिक, चरखी दादरी, भिवानी।	राजस्व
331.	भागीरथ लाल, हल्का पटवारी, डाकवाला, करनाल।	राजस्व
332.	सुरेश कुमार, चौकीदार कार्यालय खाद्य एवं पूर्ति विभाग, आदमपुर।	खाद्य एवं पूर्ति
333.	डॉ० एस०के० वर्मा, चिकित्सा अधिकारी, सामान्य स्वास्थ्य केंद्र, तावडू।	स्वास्थ्य
334.	स०उ०नि० राम सिंह, सुरक्षा शाखा, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, गुड़गांव।	पुलिस
335.	राकेश, कनिष्ठ अभियंता, यू०एच०बी०वी०एन० सब-स्टेशन, ज्योतीसर, कुरुक्षेत्र।	विद्युत
336.	वजीर सिंह, उप-मण्डल अभियंता, कृषि विभाग, पिंजौर।	कृषि
337.	श्याम लाल, सेवादार, तहसील बापोली, पानीपत।	राजस्व
338.	राम कुमार सैनी, जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण लिपिक, सामान्य स्वास्थ्य केंद्र, रादौर।	स्वास्थ्य
339.	कश्मीरा सिंह, सहायक लाईनमैन, यू०एच०बी०वी०एन०, मॉडल टाउन, यमुनानगर।	विद्युत
340.	सुरेश शर्मा, सचिव, नगर पालिका चीका, कैथल।	स्थानीय निकाय
341.	महावीर सिंह, शाखा प्रबंधक, सहकारी बैंक, सुबाना, झज्जर।	सहकारिता

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	विभाग का नाम
342.	मुकेश कुमार उप-निरीक्षक, खाद्य एवं पूर्ति विभाग, मतलौडा, पानीपत।	खाद्य एवं पूर्ति
343.	चांद सिंह, लेखाकार, कार्यालय ब्लाक विकास एवं पंचायत अधिकारी, बहादुरगढ़।	विकास एवं पंचायत
344.	उप-निरीक्षक राम सिंह, एस०एच०ओ० व स०उ०नि० सुमेर सिंह, थाना महेन्द्रगढ़।	पुलिस
345.	रघुबीर सिंह, भूमि अर्जन अधिकारी, लैण्ड मोर्टगेज बैंक, भिवानी।	सहकारिता
346.	अनुराग ठाकुर व दीपाली अग्रवाल मै० स्वास्तिक इंटरप्राईजिज लिमिटेड, डी०एल०एफ०, फेस-4, गुड़गांव।	प्राईवेट व्यक्ति
347.	शौकत अली, मैनेजर, सहकारी बैंक, बहीन, फरीदाबाद।	सहकारिता
348.	वजीर सिंह एवं ओम प्रकाश, सुपरवाईजर कार्यालय एस०डी०ओ०, हुडा, गुड़गांव।	हुडा
349.	राजेन्द्र कुमार, पटवारी, मेवात।	राजस्व
350.	रण सिंह, पटवारी, हल्का नाहड़ कोसली, रेवाड़ी।	राजस्व
351.	गंगा राम, सेवादार, कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, फरीदाबाद।	समाज कल्याण
352.	डॉ० राम मेहर श्योराण, एच०सी०एम०एस०, नारनौल।	स्वास्थ्य
353.	अनिल कुमार, सहायक, कार्यालय सचिव, आर०टी०ए०, गुड़गांव व 9 टाउट।	राजस्व
354.	सुनील कुमार, स्टेनो, कोर्ट ऑफ सी०जे०एम०, गुड़गांव।	अभियोजन
355.	गजा नंद, प्रवाचक, कार्यालय एस०डी०एम०, नारनौल।	राजस्व
356.	राधेश्याम, क्लर्क, कार्यालय हुडा, सोनीपत।	हुडा
357.	जय नारायण, पटवारी, हल्का पेटवाड़ द्वितीय, हिसार।	राजस्व
358.	अजीत सिंह पटवारी, हल्का खूबड़ी कलां, गादली, फतेहाबाद।	राजस्व
359.	सतपाल, मैनेजर, मिनी बैंक, पटूरी, अंबाला।	सहकारिता
360.	स०उ०नि० बलदेव राज नं० 95 / ए, पुलिस चौकी-हरसौला, कैथल।	पुलिस
361.	शंकर लाल, उप-मण्डल अभियंता, यू०एच०बी०वी०एन०एल०, हिसार।	विद्युत

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	विभाग का नाम
362.	स०उ०नि० सुनील दत्त, चौकी प्रबंधक, अर्जुन नगर, गुड़गांव।	पुलिस
363.	नफे सिंह, क्लर्क, कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र, जींद।	उद्योग
364.	जे०बी० चौधरी, जिला परिवहन अधिकारी, पानीपत।	परिवहन
365.	सोहन लाल, पटवारी, हल्का हंगोली, रायपुर रानी, पंचकूला।	राजस्व
366.	राजकुमार यादव, खनन अधिकारी जींद व श्री राजेश कुमार लेखाकार, खनन विभाग, जींद।	भुगर्भ व खान
367.	संजय शर्मा पुत्र मूली राम, निवास संतहेड़ी, थाना इंदरी, करनाल।	प्राईवेट व्यक्ति
368.	शेरगंज, सचिव, मार्केट कमेटी, मुस्तफाबाद, यमुनानगर।	कृषि विपणन बोर्ड
369.	सुमेर सिंह, जे०ई०, यू०एच०बी०वी०एन०एल०, मातनहेल, झज्जर।	विद्युत
370.	हरि किशन, पटवारी, सिंचाई, हल्का जागसी, सोनीपत।	सिंचाई
371.	कृष्ण कुमार, गिरदावर व लाल चंद, लिपिक, स्टेट बैंक पटियाला, नई अनाज मण्डी, भिवानी।	राजस्व
372.	प्रेम नाथ, हल्का पटवारी, गुमथला, यमुनानगर।	राजस्व
373.	मेवा सिंह, पटवारी, हल्का बेलरखां, जींद।	राजस्व
374.	जगदीश सिंह, सेवादार व दिलीप सिंह, कम्प्यूटर क्लर्क, जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन, कार्यालय सामान्य चिकित्सा अधिकारी, कुरूक्षेत्र।	स्वास्थ्य
375.	एच०सी० बलबीर सिंह, पुलिस चौकी, दाबुआ कालोनी, फरीदाबाद।	पुलिस
376.	एच०सी० जगबीर सिंह, थाना उद्योग विहार, गुड़गांव।	पुलिस
377.	स०उ०नि० राम कुमार, पुलिस चौकी बुटाना, सोनीपत।	पुलिस
378.	राम कुमार, पटवारी, हल्का बुढाखेड़ा लाठर, तहसील जुलाना, जींद।	राजस्व
379.	चन्द्रभान, जेल वार्डन, सोनीपत।	जेल
380.	राजेन्द्र कुमार सभरवाल, पटवारी, हल्का सरदेरी, जफ़रपुर मुलाना व श्री तरुण कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार।	राजस्व
381.	ओम पाल, हल्का पटवारी मंडार, यमुनानगर।	राजस्व

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	विभाग का नाम
382.	नरेन्द्र कुमार, एल०डी०सी० कार्यालय एस०डी०ओ०, यू०एच०बी० वी०एन०एल०, पानीपत।	विद्युत
383.	अनिल कुमार, लिपिक, कार्यालय कोषाधिकारी, रेवाड़ी।	खज़ाना एवं लेखा
384.	माया राम, क्लर्क, कार्यालय उपायुक्त, करनाल।	राजस्व
385.	नूरूदीन, एस०डी०ओ०, पंचायती राज, होडल, फरीदाबाद।	विकास एवं पंचायत
386.	दिनेश कुमार, कनिष्ठ अभियंता, यू०एच०बी०वी०एन०एल०, पेहवा, कुरूक्षेत्र।	विद्युत
387.	रमेश कुमार, लिपिक, कार्यालय जिला प्रबंधक, हरिजन कल्याण निगम, अम्बाला।	समाज कल्याण
388.	लाला राम, ग्राम सचिव, कार्यालय बी०डी०पी०ओ०ए०, नारायणगढ़, अम्बाला।	विकास एवं पंचायत
389.	एच०सी० परमजीत सिंह व प्रेम चंद, कम्पनी कमांडर, होम गार्ड, कुरूक्षेत्र।	गृह
390.	धर्मवीर, पटवारी, हल्का जौरासी, गुड़गांव व सुनील (प्राईवेट व्यक्ति)	राजस्व
391.	अनिल कुमार, जे०ई०, लोक, निर्माण विभाग, सैक्टर-11, फरीदाबाद।	लोक निर्माण
392.	चमेल सिंह, पटवारी, हल्का इन्द्री, करनाल।	राजस्व
393.	सतीश कुमार, प्रारूपकार, बिजली बोर्ड, करनाल।	विद्युत
394.	लछमन दास, पटवारी, हल्का सम्सपुर, भिवानी।	राजस्व
395.	घनश्याम, जिला विकास अधिकारी, यमुनानगर।	पंचायत एवं विकास
396.	ओम प्रकाश, पटवारी, सल्पानी, पटवारखाना धुराला, कुरूक्षेत्र।	राजस्व
397.	ईश्वर दत्त शर्मा, एस०डी०ओ०, यू०एच०बी०वी०एन०, चीका, कैथल।	विद्युत
398.	शशि बाला, प्रिंसिपल, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नई कॉलोनी, गुड़गांव।	शिक्षा
399.	एच०सी० रणबीर सिंह, नं० 74 / पानीपत, थाना सदर, पानीपत।	पुलिस

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	विभाग का नाम
400.	रामकिशन, यू०डी०सी०, डी०एच०बी०वी०एन०, तोशाम, भिवानी।	विद्युत
401.	पुरुषोत्तम दास, फार्मासिस्ट	स्वास्थ्य विभाग
402.	रूप चन्द शर्मा, कर्मचारी कार्यालय पिछड़े वर्ग एवं कल्याण।	सहकारिता विभाग
403.	प्रवीन कुमार, मीटर रीडर, डी०एच०बी०वी०एन०एल०	विद्युत विभाग
404.	अमर चन्द, तहसील कल्याण अधिकारी, यमुनानगर।	राजस्व
405.	दीप चन्द, नायब तहसीलदार, बावल।	राजस्व
406.	मुख्य सिपाही रणधीर सिंह, चौकी भाड़ावास, रेवाड़ी।	पुलिस
407.	शेर सिंह नाहर, उप-जिला न्यायवादी, कार्यालय भूमि अधिग्रहण, गुड़गांव।	कृषि
408.	डॉ० लाल सिंह एवं निरूदीन, कम्पाउडर, सिविल हॉस्पिटल, नूंह।	स्वास्थ्य विभाग
409.	बलजीत सिंह, पियन एवं अमरजीत सिंह, मार्केट कमेटी, अम्बाला शहर।	निकाय
410.	चांदी राम, उप-मण्डल अधिकारी एवं तारा चंद, कनिष्ट अभियन्ता हुडा, हिसार।	हुडा
411.	सा०उ०नि०, ईश्वर सिंह, चौकी भोली।	पुलिस
412.	सा०उ०नि०, अरविन्द कुमार, डी०एल०एफ० फेस-2, गुड़गांव।	पुलिस
413.	सुदर्शन सिंह, तहसीलदार, सफीदों।	राजस्व
414.	तरसेम कुमार, जे०ई०, डी०टी०पी०ओ०, अम्बाला।	योजनाकार
415.	विजय कुमार, पटवारी, मुकलवास, गुड़गांव।	राजस्व
416.	बलविन्द्र सिंह, पटवारी, हल्का लखनौर, नारायणगढ़।	राजस्व
417.	कृष्ण कुमार, पटवारी, हल्का धान्सु, हिसार।	राजस्व
418.	डॉ० रविन्द्र सिंह, दन्त चिकित्सक, सिविल हस्पताल, पेहवा।	स्वास्थ्य
419.	मोहम्मद अली, कनिष्ठ अभियन्ता, हुडा।	हुडा
420.	हवा सिंह, पटवारी।	राजस्व
421.	फूलचन्द, पलाटून कमांडर, होम गार्ड, कुरुक्षेत्र।	गृह रक्षक विभाग
422.	कुलवन्त सिंह, एल०डी०सी०, यू०एच०बी०वी०एन०एल०, अम्बाला।	विद्युत विभाग

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	विभाग का नाम
423.	राम प्रसाद, फील्ड क्लर्क, नगर निगम, हिसार।	नगर निगम
424.	राज कुमार, एस०डी०ओ० कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान, हिसार।	शिक्षा विभाग
425.	ओम प्रकाश, शाखा प्रबन्धक, सहकारी बैंक, हिसार।	सहकारी
426.	दर्शन लाल, ग्राम सचिव, अम्बाला।	ग्राम पंचायत
427.	मुख्य सिपाही, गुलजार सिंह, नं० 736/कैथल, पुलिस चौकी, क्योरक और राम मेहर रसोईया, पुलिस चौकी, क्योरक।	पुलिस
428.	पुरुषोत्तम लाल, लिपिक, सहकारिता विभाग, यमुनानगर।	सहकारिता विभाग
429.	राम मेहर, तहसील कल्याण अधिकारी, रोहतक।	कल्याण
430.	एच०सी० परमवीर, थाना, सोहना, गुड़गांव।	पुलिस
431.	मदन लाल, दमकल अधिकारी, नगर पालिका, फतेहाबाद। सोमेश कुमार, फायरमैन, दमकल केंद्र, फतेहाबाद।	स्थानीय निकाय
432.	स०उ०नि० दिनेश कुमार, थाना शहर, बल्लभगढ़।	पुलिस
433.	ई०एच०सी० कर्मवीर सिंह, थाना पुण्डरी, कैथल।	पुलिस
434.	खिल्लू राम, लाईनमैन, डी०एच०बी०वी०एन०, गुड़गांव।	विद्युत
435.	सुरेश चन्द, प्रिंसिपल, राजकीय उच्च विद्यालय, फरीदाबाद।	शिक्षा
436.	ओम प्रकाश, नहरी पटवारी, हल्का किरमारा, हिसार।	सिंचाई
437.	दीन दयाल, कोषाधिकारी, सिरसा। सतनाम सिंह, लिपिक, राजकीय उच्च विद्यालय, भरोनल वाली, सिरसा।	लेखा एवं खजाना
438.	बाबू राम, पटवारी, हल्का करोडा, पुण्डरी।	राजस्व
439.	लखबीर सिंह, लिपिक, कार्यालय महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा।	स्वास्थ्य
440.	कृष्ण दत्त, ए०एफ०एस०ओ०, कैथल।	खाद्य एवं पूर्ति
441.	विजय सिंह सुपुत्र श्री अभे राम राजपूत, निवासी थाना असंध, करनाल।	प्राईवेट व्यक्ति
442.	राम अवतार, आबाकरी एवं कराधान विभाग, पानीपत।	आबकारी एवं कराधान
443.	सोहन लाल, लेखाकार, नगर पालिका कालांवाली, सिरसा।	स्थानीय निकाय

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	विभाग का नाम
444.	शाम सुन्दर, एस०डी०ओ०, यू०एच०बी०वी०एन०एल० गढ़ी, जिला जींद।	विद्युत
445.	एच०सी० रघुबीर सिंह, नं० 990 / करनाल।	पुलिस
446.	रमेश कुमार, पटवारी, हल्का सांभी, करनाल।	राजस्व
447.	श्री रूप चंद, जे०ई० कार्यालय जिला नगर योजनाकार, कुरुक्षेत्र।	नगर विकास
448.	श्री दलेल सिंह, लिपिक, बिजली विभाग, पानीपत।	विद्युत
449.	राम कुमार, ए०एल०एम० कैशियर, कार्यालय, एस०डी०ओ० यू०एच०बी०वी०एन०, कैथल।	विद्युत
450.	4. बाबू लाल, पंजीकरण लिपिक, तहसील हथीन, गुड़गांव। 5. रामजी लाल, कम्प्यूटर क्लर्क, तहसील हथीन, गुड़गांव। 6. कैल राम, सेवादार, तहसील हथीन, गुड़गांव।	राजस्व
451.	देस राज, सहायक पटवारी, हल्का ईच्छमपुर, करनाल।	प्राईवेट व्यक्ति
452.	1. रामेश्वर दास, ड्यूटी निरीक्षक, हरियाणा रोडवेज सब-डिपो, पंचकूला। 2. ओम प्रकाश, ड्यटी क्लर्क, यथोपरी।	परिवहन
453.	महावीर सिंह, पैंशन सहायक, सहकारी समितियां, पंचकूला।	सहकारिता
454.	राजीव गुप्ता, क्लर्क, जिला उद्योग विभाग, गुड़गांव।	उद्योग
455.	स०उ०नि० जिले सिंह, थाना लाडवा, कुरुक्षेत्र।	पुलिस
456.	अजय कुमार सुपुत्र पूर्ण चंद, निवासी रेवाड़ी।	प्राईवेट व्यक्ति
457.	सुबूदी खान, एस०आई० ऑडिट, कार्यालय सहकारी परिवहन समिति, नूंह, मेवात।	सहकारिता
458.	सूबे सिंह, नायब सदन कानूनगो, महेन्द्रगढ़।	राजस्व
459.	1. कृष्ण पाल सिंह, बीज विकास अधिकारी, कार्यालय एस०डी०ओ०, सिरसा। 2. लाल सिंह पटेल, क्षेत्रीय अधिकारी, सिरसा।	कृषि
460.	3. स०उ०नि० दलेल सिंह, सी०आई०डी०, अपराध शाखा, मधुबन। 4. विनोद कुमार, सी०आई०डी०, अपराध शाखा, मधुबन।	पुलिस
461.	परमजीत सिंह पुत्र श्री आत्मा राम सरपंच, गांव बरनाला, अंबाला।	प्राईवेट व्यक्ति
462.	विरेन्द्र सिंह, सहायक, बीज उत्पादन अधिकारी, पिपली, कुरुक्षेत्र।	कृषि
463.	स०उ०नि० सरदारा राम, थाना मधुबन।	पुलिस

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	विभाग का नाम
464.	बलबीर सिंह, पटवारी, हल्का छात्तर, जींद।	राजस्व
465.	शाम सुंदर, हल्का पटवारी, बरही बस्सी, शहजादपुर, अंबाला।	राजस्व
466.	स०उ०नि० महाबीर सिंह, नं० 356 / करनाल।	पुलिस
467.	कमल, हल्का पटवारी, अर्जुन नगर, कैथल।	राजस्व
468.	सुरेन्द्र सिंह, लिपिक, कार्यालय आबकारी एवं कराधान विभाग, बहादुरगढ़।	आबकारी एवं कराधान
469.	बस्ती राम, पटवारी, पटवारखाना, रेवाड़ी।	राजस्व
470.	जगपाल सिंह, वरिष्ठ लेखाधिकारी, एच०एस०ए०एम०बी०, गुड़गांव।	विद्युत
471.	सुरेश चंद गुप्ता, जे०ई०, जिला नगर योजनाकार, भिवानी।	नगर विकास
472.	धर्म सिंह, नहरी पटवारी, हल्का बरौदा, झज्जर।	राजस्व
473.	चंदन सिंह, पटवारी, हल्का चौधरी, जिला हिसार।	राजस्व
474.	नरेश कुमार, निरीक्षक, आबकारी एवं कराधान, नारनौल।	आबकारी एवं कराधान
475.	कर्मबीर सिंह, बेलदार, सिंचाई विभाग, कलायत।	सिंचाई
476.	मफे सिंह, ब्रांच मैनेजर, केन्द्रीय सहकारी बैंक, स्याहडवा, जिला हिसार।	सहकारिता
477.	स०उ०नि० जय भगवान, थाना बुटाना, करनाल।	पुलिस
478.	उमेश तोमर, उप-मुख्य औषधीकार, चीनी मिल, पानीपत।	सहकारिता
479.	धर्मपाल, पटवारी, हल्का निसिंग, करनाल।	राजस्व
480.	डॉ० सूरज कुमार, एस०एम०ओ० सामान्य अस्पताल, भूना, फतेहाबाद।	स्वास्थ्य
481.	राम सिंह, एस०डी०सी० कार्यालय काडा, फतेहाबाद।	सिंचाई
482.	जोरा सिंह, फोरेस्ट गार्ड, भिवानी।	वन
483.	अनिल कुमार, पटवारी, हल्का हस्नका, रेवाड़ी।	राजस्व
484.	अमित कुमार, सहायक मोहरर नं० 718/नारनौल।	पुलिस
485.	पी०के० मुखीजा, एस०डी०ओ० तथा नरेन्द्र सिंह जे०ई०, हरियाणा आवास बोर्ड, करनाल।	आवास
486.	जयपाल, हल्का पटवारी, जैतपुर जटवाड़ा, झज्जर।	राजस्व
487.	शकुंतला देवी, स्टॉफ नर्स, सामान्य हस्पताल, कलायत, कैथल।	स्वास्थ्य

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Action taken on the observation of the Court (F.I.R. No. 199)

79. **Shri Karan Singh Dalal** : Will the Chief Minister be please to state—

(a) whether the court has pronounced the Judgement in FIR No. 199 registered in Police Station Hodal, Distt. Faridabad on 20-7-2006;

(b) whether it is a fact that Court has passed strictures and made some observations on the act and conduct of the investigating officer; if so, the details thereof together with the action taken by the Govt. against the said investigating officer and other guilty persons; and

(c) the exact amount of embezzlement in the said case together with the number of persons involved therein alongwith the action taken by the Govt. to recover the embezzled amount ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) नहीं श्रीमान् जी।

(ख) लागू नहीं है।

(ग) लागू नहीं है।

Path between Village Modia Baruwali

85. **Shri Bharat Singh Beniwal** : Will the Agriculture Minister be please to state—

(a) the length and breadth of the Path between village Modia to Baruwali in district Sirsa;

(b) whether any road is being constructed on the said path;

(c) whether there is any dispute on the said path; and

(d) if so, the steps taken by the Govt. to resolve the said dispute ?

कृषि मंत्री (सरदार एच०एस० चट्ठा) :

(क) श्रीमान् जी गाँव मोडिया से बारूवाली के बीच के रास्ते की लम्बाई 4950 मीटर है और इसकी चौड़ाई 5 करम है।

(ख) आर०डी० मीटर से 3300 मीटर लम्बी सड़क का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

(ग) आर०डी० 3300 मीटर से आगे के रास्ते पर विवाद था क्योंकि सरकार ने अपने आदेश दिनांक 21.1.2003 द्वारा आर०डी० 4200 मीटर से आगे अलाइनमैंट को

[सरदार एच०एस० चट्ठा]

बदल दिया गया और बदली हुई अलाईनमैंट पर विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा मिट्टी भराई का कार्य किया गया था। बाद में सरकार ने इस बदली हुई अलाईनमैंट को माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 8.9.2003 जिसके द्वारा निर्देश दिए गए थे कि इस सड़क को असली अलाईनमैंट पर बनाया जाए, के आधार पर पुनः बदल दिया गया। ग्राम पंचायत बारूवाली-II व माधोसिंघाणा ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध बदली हुई अलाईनमैंट पर सड़क का निर्माण करवाना चाहती है, जो सम्भव नहीं है।

(घ) इस विवाद को निपटाने के लिये उपायुक्त सिरसा ने कार्यकारी अभियन्ता हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, सिरसा को माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार असली अलाईनमैंट पर सड़क बनाने के निर्देश दिये और विकास एवं पंचायत विभाग को भी शेष भाग पर मिट्टी भराई करने के आदेश दिये। विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा मिट्टी भराई का कार्य करने पर ही सड़क के निर्माण कार्य को पूरा किया जा सकेगा।

Provisions of Uniform for the Class III & IV Employees of Police Deptt.

95. **Dr. Sita Ram :** Will the Chief Minister be please to state—

(a) The number of times the uniform (summer and winter) and shoes provided in a year by the Govt. to the Class III and Class IV) employees of Police Deptt.

(b) whether it is ensured that all the employees are getting the uniform and shoes well in time; and

(c) if so, the total number of Class III and Class IV employees in the Police Deptt. together with the total number of uniforms and shoes provided to the above said employees during the year 2006-07 ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) तृतीय श्रेणी के लिए :—

1.	गर्म वर्दी	3 साल में दो सैट
2.	ठण्डी वर्दी	3 साल में दो सैट
3.	डर्बी जूता	1 जोड़ा प्रति वर्ष
4.	ऐंकल जूता	3 वर्ष में एक जोड़ा
5.	जंगल जूता	1 जोड़ा प्रति वर्ष

चतुर्थ श्रेणी के लिए :—

इनको 120 रुपये प्रति माह वर्दी भत्ता दिया जाता है।

(ख) हाँ, श्रीमान् जी।

(ग)	तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की कुल संख्या	—	46035
	जितने कर्मचारियों को वर्दी प्रदान की गई	—	21110
	जितने कर्मचारियों को जूते प्रदान किए गए	—	25098

Self Financing B. Ed. Colleges in the State

80. **Karan Singh Dalal** : Will the Education Minister be please to state—

(a) the names and address of the self financing B.Ed. Colleges alongwith the seats allotted and the academic session from which they were accorded permission ;

(b) the names and academic qualification of the teaching staff for each subject alongwith the Principals in the each College referred to in part(a) above as on 1st February, 2007 together with the terms of their appointment ;

(c) the names of colleges out of those referred to in part(a) above have all the infrastructure including Library and Laboratory as per the requirement together with the action taken or proposed to be taken against the College which are lacking in required infrastructure ; and

(d) the date and month of start of B.Ed. classes for the academic session of 2006-2007 ?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) :

(क) सूचना अनुलग्नक (ए) पर देखी जा सकती है।

(ख) सूचना बहुत विस्तृत है जो सम्बन्धित संस्थाओं से एकत्रित की जा रही है। संकलित होने के पश्चात् सूचना प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(ग) सूचना विस्तृत प्रकृति की है व इसको सम्बन्धित संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एवम् सम्बन्धित प्रबन्धक समितियों से एकत्र करने में समय लगेगा।

(घ) शैक्षणिक सत्र 2006-07 दिनांक 22.12.2006 से प्रारम्भ हुआ था।

[श्री मांगे राम गुप्ता]

अनुबन्ध-ए

क्र०	स्व वित्तीय शिक्षण महाविद्यालयों के नाम व पते	स्वीकृत सीटें	स्वीकृत सत्र
1.	शिवा शिक्षण महाविद्यालय, तिगाँव	100	1992–93
2.	शिक्षण महिला महाविद्यालय, फतेहपुर पुण्डरी (कैथल)	100	1995–96
3.	संत निश्चल सिंह शिक्षण महिला महाविद्यालय, यमुनानगर	100	1998–99
4.	भारत शिक्षण महिला महाविद्यालय, बबैन (कुरुक्षेत्र)	100	2002–03
5.	शिक्षण महाविद्यालय, सिरसा	100	2002–03
6.	देवी लाल शिक्षण महाविद्यालय, जगाधरी	100	2002–03
7.	ताऊ देवीलाल मेमोरियल शिक्षण महाविद्यालय, मनाना	100	2002–03
8.	हरियाणा शिक्षण महाविद्यालय, जींद	100	2004–05
9.	स्वामी देवी दयाल शिक्षण महाविद्यालय, गोलपुरा (पंचकूला)	100	2004–05
10.	बी०एस० अनंगपुरिया संस्थान तकनीकी और प्रबन्धक शिक्षण महाविद्यालय, फरीदाबाद	100	2004–05
11.	श्री कृष्णा शिक्षण महाविद्यालय, महेन्द्रगढ़	100	2004–05
12.	सत्यांम शिक्षण महाविद्यालय, जींद	100	2004–05
13.	प्रताप सिंह शिक्षण महाविद्यालय, गुड़गांव	100	2004–05
14.	जन-नायक चौधरी देवी लाल मेमोरियल शिक्षण महाविद्यालय, सिरसा	100	2004–05
15.	एम०आर० शिक्षण महाविद्यालय, एम०आर० कैम्पस, फरीदाबाद	100	2004–05
16.	मनोहर मेमोरियल शिक्षण सोसायटी, फतेहाबाद	100	2004–05
17.	डिफेंस शिक्षण महाविद्यालय, टुहाना	100	2004–05
18.	सटारेक्स शिक्षण संस्थान, बिनौला (गुड़गांव)	100	2004–05
19.	श्री शांति सागर जैन शिक्षण महिला महाविद्यालय, फिरोजपुर झिरका (गुड़गांव)	100	2004–05
20.	दून वैली संस्थान शिक्षण महाविद्यालय, करनाल	100	2004–05
21.	तुलसी शिक्षण महाविद्यालय, अम्बाला शहर	100	2005–06
22.	एम०एम० शिक्षण महाविद्यालय, मुलाना (अम्बाला)	100	2005–06

क्र०	स्व वित्तीय शिक्षण महाविद्यालयों के नाम व पते	स्वीकृत सीटें	स्वीकृत सत्र
23.	पी०के०आर० शिक्षण महाविद्यालय, अम्बाला	100	2005-06
24.	महाराणा प्रताप शिक्षण महाविद्यालय, भिवानी	100	2005-06
25.	पी०डी०एम० शिक्षण महाविद्यालय, बहादुरगढ़ (झज्जर)	100	2005-06
26.	भगवान परशुराम शिक्षण महाविद्यालय, बाली ब्राह्मण, गोहाना (सोनीपत)	100	2004-05
27.	आर०के०एस०डी० शिक्षण महाविद्यालय, कैथल	100	2005-06
28.	नई दिशा शिक्षण महाविद्यालय, गांव एम०पी० माजरा (झज्जर)	100	2005-06
29.	एस०आर०एम० शिक्षण महाविद्यालय, वी०पी०ओ० तलवंडी राणा (हिसार)	100	2006-07
30.	जानकी जी शिक्षण महाविद्यालय, गांव मारवा कालन, जगाधरी	100	2006-07
31.	श्री राम मुलख शिक्षण महाविद्यालय, गांव भूरीवाला, जिला अम्बाला	100	2006-07
32.	गीता शिक्षण महाविद्यालय, गांव निंमबरी सनौली रोड, पानीपत	100	2006-07
33.	विक्रमादित्या शिक्षण महाविद्यालय, मौरखेड़ी (रोहतक)	100	2006-07
34.	राव अभय सिंह सह-शिक्षण महाविद्यालय, गांव-गंगोली, जिला रिवाड़ी	100	2006-07
35.	गुरु हरकृष्ण शिक्षण महाविद्यालय, थाना छापर मंक्का, जगाधरी	100	2006-07
36.	गुरु द्रोणाचार्य शिक्षण महाविद्यालय, भूना (फतेहाबाद)	100	2006-07
37.	दयावंती मैमोरियल शिक्षण महाविद्यालय, पाड़ा जिला नूहं, जिला गुड़गांव।	100	2006-07
38.	सेठ टेक चंद शिक्षण महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र	100	2006-07
39.	दर्श शिक्षण महाविद्यालय, वी०पी०ओ० कलानियालुका महमूदपुर, जिला गोहाना, सोनीपत	100	2006-07
40.	सरदार पटेल शिक्षण महाविद्यालय, फारूकनगर, जिला गुड़गांव	100	2006-07
41.	लार्ड कृष्णा शिक्षण महाविद्यालय, अधोया, जिला अम्बाला	100	2006-07

[श्री मांगे राम गुप्ता]

क्र०	स्व वित्तीय शिक्षण महाविद्यालयों के नाम व पते	स्वीकृत सीटें	स्वीकृत सत्र
42.	त्रिवेणी शिक्षण महाविद्यालय, सिरसा	100	2006-07
43.	राईज मैक्स शिक्षण महाविद्यालय, गाँव झारसेंटली, दिल्ली-मथुरा रोड, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद	100	2006-07
44.	एस०जे०एस० अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण महाविद्यालय, वी०पी०ओ० डिकाडला, समालखां	100	2006-07
45.	गौड़ शिक्षण महाविद्यालय, बल्लभगढ़, जिला हिसार	100	2006-07
46.	लींगया शिक्षण महाविद्यालय, फरीदाबाद	100	2006-07
47.	नलवा शिक्षण महाविद्यालय, उज्जाह, जिला पानीपत	100	2006-07
48.	आई०पी० शिक्षण महाविद्यालय, वी०पी०ओ० जसिया, रोहतक	100	2006-07
49.	श्री बालाजी शिक्षण महाविद्यालय, सांपला, जिला रोहतक	100	2006-07
50.	रवीन्द्र भारती शिक्षण महाविद्यालय, झज्जर (रोहतक)	100	2006-07
51.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस शिक्षण महाविद्यालय, चरखी दादरी, जिला भिवानी	100	2006-07
52.	सत जिंदा कल्याणा शिक्षण महाविद्यालय, कालनपुर, जिला रोहतक	100	2006-07
53.	लाला अमी चंद मौंगा मैमोरियल शिक्षण महाविद्यालय, उजाला, जिला अंबाला	100	2006-07
54.	दीन दयाल रस्तौगी शिक्षण महाविद्यालय, गांव खंडेलवाल जिला गुड़गांव	100	2006-07
55.	युद्धवंशी शिक्षण महाविद्यालय, महेन्द्रगढ़	100	2006-07
56.	दून वैली शिक्षण महाविद्यालय, चिराउं, जिला करनाल	100	2006-07
57.	रशौबा शिक्षण महाविद्यालय, मौरिवालिया, सिरसा	100	2006-07
58.	लार्ड शिवा शिक्षण महाविद्यालय, वी०पी०ओ० लाहली, जिला रोहतक	100	2006-07
59.	ओम शिक्षण महाविद्यालय, खंडराई गोहाना, सोनीपत	100	2006-07
60.	आदित्य शिक्षण महाविद्यालय, चरखी दादरी, भिवानी	100	2006-07
61.	तिरुपती शिक्षण महाविद्यालय, रतिया, जिला फतेहाबाद	100	2006-07

क्र०	स्व वित्तीय शिक्षण महाविद्यालयों के नाम व पते	स्वीकृत सीटें	स्वीकृत सत्र
62.	लक्ष्मी शिक्षण महाविद्यालय, कसन, जिला गुड़गांव	100	2006-07
63.	महर्षि किशोरी मेमोरियल शिक्षण महाविद्यालय, होडल, फरीदाबाद	100	2006-07
64.	सरस्वती शिक्षण महाविद्यालय, गांव मंगली ब्रहमनाम (मंगली अकलन) तौशाम रोड, हिसार	100	2006-07
65.	गीता आदर्श शिक्षण महाविद्यालय, मेहरा, जिला कुरुक्षेत्र	100	2006-07
66.	हिमालय शिक्षण महाविद्यालय, गाँव रानवर, जिला करनाल	100	2006-07
67.	एस०एस० शिक्षण महाविद्यालय, गोहाना, जिला सोनीपत	100	2006-07
68.	लार्ड शिवा शिक्षण महाविद्यालय, गाँव खलीला माजरा नन्यान, तहसील इसराना, जिला पानीपत	100	2006-07
69.	ग्रामीण शिक्षण महाविद्यालय, जम्मलपुर शेखान, जिला फतेहाबाद	100	2006-07
70.	प्रोगरेसीव लर्निंग शिक्षण महाविद्यालय, रिवाड़ी	100	2006-07
71.	श्री गणेश शिक्षण महाविद्यालय, नांगल सिरोही, जिला महेन्द्रगढ़	100	2006-07
72.	चौधरी कपूरी राम शिक्षण महाविद्यालय, बी०पी०ओ० महावटी, तहसील समालखां, जिला पानीपत	100	2006-07
73.	अमीर चंद ककड़ शिक्षण महाविद्यालय, शाहबाद मारकण्डा, कुरुक्षेत्र	100	2006-07
74.	अल-फलहा शिक्षण महाविद्यालय, गाँव धूज, फरीदाबाद	100	2006-07
75.	जी०वी०एम० शिक्षण महिला महाविद्यालय, गीता भवन चौक रेलवे रोड, सोनीपत	100	2006-07
76.	जे०के० मेमोरियल शिक्षण महाविद्यालय, बरसाना मौरभीरी कालन, चरखी दादरी, जिला भिवानी	100	2006-07
77.	महिला शिक्षण महाविद्यालय, झोझूकलां, जिला भिवानी	100	2006-07
78.	किसान शिक्षण महाविद्यालय, लाखन माजरा, जिला रोहतक	100	2006-07
79.	विश्व भारती शिक्षण महाविद्यालय, जगाधरी, यमुनानगर	100	2006-07
80.	महाराणा प्रताप शिक्षण महाविद्यालय, धनुधा, जिला महेन्द्रगढ़।	100	2006-07
81.	श्री सत गुरु शिक्षण महाविद्यालय, गाँव गोलपुरा, जिला पंचकूला	100	2006-07

[श्री मांगे राम गुप्ता]

क्र०	स्व वित्तीय शिक्षण महाविद्यालयों के नाम व पते	स्वीकृत सीटें	स्वीकृत सत्र
82.	सेठ बनारसी दास शिक्षण महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र	100	2006-07
83.	विज्ञा शिक्षण महाविद्यालय, लौहारू, जिला भिवानी	100	2006-07
84.	डॉ० बी०आर० अम्बेदकर शिक्षण महाविद्यालय, खेरी मारकण्डा, जिला कुरुक्षेत्र	100	2006-07
85.	स्वामी विवेकानन्द शिक्षण महाविद्यालय, हेनीवालिया अपोजिट सैक्टर-18, जगाधरी, जिला यमुनानगर	100	2006-07
86.	दशमेश शिक्षण महाविद्यालय, बूढ़हेड़ा जिला गुड़गांव	100	2006-07
87.	टिसुनामी शिक्षण महाविद्यालय, गुड़गांव	100	2006-07
88.	आर०एल० शिक्षण महाविद्यालय, जिला करनाल	100	2006-07
89.	वर्दी देवी शिक्षण महाविद्यालय, ब्राहाणवास जुलाना, जिला जींद	100	2006-07
90.	परम पिता शाह सतनाम जी शिक्षण महाविद्यालय, सिरसा	100	2006-07
91.	के०आई० आई०टी० शिक्षण महाविद्यालय, के०आई०टी० कैम्पस, सुहाना रोड भौंडसी, गुड़गांव	100	2006-07
92.	सरस्वती विद्या मन्दिर शिक्षण महाविद्यालय, हिसार बाईपास, महम, रोहतक	100	2006-07
93.	मुखी महावीर शिक्षण महाविद्यालय, कुण्डली, सोनीपत	100	2006-07
94.	के०वी०एम० शिक्षण महाविद्यालय, रोहतक	100	2006-07
95.	भगवान महावीर शिक्षण महाविद्यालय, कुण्डली, सोनीपत	100	2006-07
96.	शांति निकेतन शिक्षण महाविद्यालय, 12 कि०मी० तोशाम रोड, वी०पी०ओ० लाडवा, जिला हिसार	100	2006-07
97.	लार्ड कृष्णा शिक्षण महाविद्यालय, जम्मलपुर, गुड़गांव	100	2006-07
98.	ग्रीन वुड शिक्षण महाविद्यालय, मेरठ रोड, रानवार, करनाल	100	2006-07
99.	डी०ए०वी० शिक्षण महाविद्यालय, हसनगढ़, रोहतक	100	2006-07
100.	बाबा जय राम दास शिक्षण महाविद्यालय, महेन्द्रगढ़	100	2006-07
101.	अरावली शिक्षण महाविद्यालय, गाँव पाली, जिला फरीदाबाद	100	2007-08
102.	श्रीमती इन्दिरा देवी शिक्षण महाविद्यालय, वी०पी०ओ० सांगीपुर, जिला यमुनानगर	100	2007-08

क्र०	स्व वित्तीय शिक्षण महाविद्यालयों के नाम व पते	स्वीकृत सीटें	स्वीकृत सत्र
103.	सतप्रिया शिक्षण महाविद्यालय, 0.5 कि०मी० जींद रोड, रोहतक	100	2007–08
104.	मां बाला सुन्दरी शिक्षण महाविद्यालय, बी०पी०ओ० जफरपुर तहसील बराड़ा, जिला अम्बाला	100	2007–08
105.	मटटुराम शिक्षण महाविद्यालय, जयपुरजत्तन, जिला कुरुक्षेत्र	100	2007–08
106.	बी०पी०आर० शिक्षण महाविद्यालय, गाँव ढांड, जिला कैथल	100	2007–08

Encroachments on the Phirni of the Village Darba Kalan

86. Shri Bharat Singh Beniwal : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of Persons who have illegally encroached on the phirni of village Darba Kalan in district Sirsa; and

(b) the steps taken by the Govt. to remove the encroachments from the above said phirni ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

श्रीमान् जी,

(क) नायब तहसीलदार, नाथुसरी चौपटा द्वारा प्रस्तुत निशानदेही रिपोर्ट दिनांक 9 सितम्बर, 2007 के अनुसार सिरसा जिला के गाँव दड़बा कलां की फिरनी पर निम्नलिखित लोगों का अवैध कब्जा बताया गया है :—

1. श्री जगदीश सपुत्र श्री जस राम
2. श्री दयाल सपुत्र श्री राजू राम
3. श्री अमी लाल सपुत्र श्री दीपा राम
4. श्री अनिल सपुत्र श्री नन्द लाल
5. श्री जगदीश आदि सपुत्र श्री मनफूल
6. श्री राम चन्द सपुत्र श्री लिच्छी राम

(ख) उपायुक्त ने ग्राम पंचायत दड़बा कलां को फिरनी से नाजायज कब्जा कानूनी प्रावधान अनुसार हटवाने हेतु निर्देश जारी कर दिए हैं।

Budget Calendar for the year 2007-08

81. **Shri Karan Singh Dalal :** Will the Finance Minister be pleased to state—

(a) whether any Budget Calendar has been prepared in the State for the year 2007-08;

(b) if so, details thereof; and

(c) whether there is any provision in the Rules of the department to issue such Budget Calendar?

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) :

(क) हाँ।

(ख) बजट कलैन्डर का विस्तृत ब्यौरा 'अनुबन्ध' पर संलग्न है।

(ग) हाँ, ऐसा बजट कलैन्डर पंजाब बजट मैनुअल के नियम 7.3 परिशिष्ट 'सी' के अनुबन्ध-I की अनुपालना में जारी किया जाता है।

'Annexure'

Details of Budget Calendar

SCHEDULE OF DATES FOR THE SUBMISSION OF RETURNS TO THE FINANCE DEPARTMENT IN CONNECTION WITH THE PREPARATION OF THE BUDGET ESTIMATES, 2007-08

I. Ordinary Budget

(a)	**Receipts Estimates - (Receipt Budget Material)**	
(i)	Other than Land Revenue, Irrigation and Civil works by	3rd October, 2006
(ii)	Land Revenue by	25th October, 2006
(iii)	Irrigation by	6th November, 2006
(iv)	Civil works by	20th November, 2006
(v)	Final Receipts Estimates in respest of Land Revenue, State Excise Duties, Stamps Interest, Irrigation and Extraordianary Receipt by	3rd January, 2007
(b)	Expenditure Estimates (Permanent Budget Material)	From 16th October, 2006

II Schedule of New Expenditure

A-NON-PLAN-2007-2008

(a) Technically New Schemes-(Material for continued SNEs) 28th August, 2006

(b) Proposals for New Schemes ______________ 30th September, 2006.

B-PLAN-2007-2008

(i)	Discussion with the Planning Commission to be arranged by the Planning Department by	1st week of December, 2006
(ii)	Revised Schedule in Forms B.M. 2 and Memoranda, where necessary on the basis of the discussion with the Planning Commission to be supplied to the Finance Department.	within one week from the discussion with the Commission.

III. Statement of Excesses and Surrenders

Statement of Excesses and Surrenders to be supplied to the Finance Department by the Head of Department by	1st December, 2006

CHAPTER 7. —Estimates of New Expenditure

7.1 Under the Rules of Business Finance Department is required to examine and advise on all schemes of 'New Expenditure' for which it is proposed to make provision in the estimates.

It is not possible to define rigidly the term 'New Expenditure', and in actual practice, based on convention, it bears a wide interpretation. Broadly speaking, expenditure involved on a New Scheme, in the adoption of a new policy, provisions of a new facility, or any substantial alteration in character or extent of an existing facility, is normally treated as constituting 'New Expenditure'. In some cases, increase in expenditure, other than increase due to normal growth or rise in prices; on the extention or development of an existing scheme or facility is also, where it is appreciable, treated as 'New Expenditure'.

7.2 The estimates of 'New Expenditure' consist of two classes, namely, 'New Expenditure' on works to be carried out by the Public Works Department and other 'New Expenditure'. The 'List of Major and Minor Works' deals with the former class and the "Schedules of New Expenditure" with the latter.

The provision for determining the items to be included in the Estimates of 'New Expenditure' are laid-down in paragraph 5.1 of the Manual.

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

7.3 To enable a proper and detailed examination to be carried out by the Finance Department, the departments should arrange to send to the Finance Department all proposals involving new expenditure on technically new schemes and new schemes both the Plan and Non-Plan strictly in accordance with the Schedule of dates prescribed in Annexure I to Appendix 'C'. The total departmental effort should be presented at one place *in a single case* for each of the categories. 'Technically New Schemes' and 'New Schemes'. The Finance Department shall ordinarily decline to provide in the estimates any scheme which has not been submitted in time by the Administrative Department and administratively approved by the Finance Department, after proper examination. The Schedules and Memoranda should likewise be submitted to the Finance Department according to the dates prescribed in the said Annexure I.

The following instructions should be observed carefully by the Administrative Department when preparing such proposals :—

(a) While forwarding its case, the Department should send to the Finance Department, in addition to individual schemes and the connected files, information in statements No. I to III referred to in Annexure I (Appendix C) which will indicate the extent of the total departmental effort. A brief Memorandum bringing out the salient points should also accompany the case of the Department. At the same time the information in respect of individual schemes relating to proposals for staff or for works expenditure (in departments other than B & R., Irrigation and Capital) should be furnished by the Department, in the *pro-forma* given in Annexure II of Appendix 'C', along with the individual files;

(b) a clear statement should be made of the additional expenditure arising out of travelling allowance, other allowances and honorarium and contingencies;

*(c) if a scheme involves the construction of buildings or other works the cost of such works should be stated;

(d) if the cost of a scheme is likely to increase from year to year the ultimate liability of Government should be specifically stated;

(e) if a scheme involves any loss of revenue to Government, this should be stated;

(f) the proposals should show clearly what expenditure, if any, will be incurred in England;

(g) "Hill Area Schemes" should be shown under a separate heading 'Hilly Area Schemes' in the Schedules of New Expenditure under

---

* Proposals for minor works are not required to be referred to the Finance Department.

the relevant Major Head/Plan Head. Each scheme will then be exhibited in the Budget as a separate sub-head under the Major Head concerned.

Note.—The Department may, at their option, send the cases individually or in one lot/group-wise. However, after the schemes have been got approved, a memorandum explaining the overall assessment of the departmental effort major headwise/plan headwise, separately for Non-Plan/Plan schemes, may be forwarded to the Finance Department along with the schedules and the memoranda for Technically New and New Schemes.

APPENDIX 'C'

Schedule of dates for the submission of returns to Finance Department

Copy of Letter No. 4500-B & C-63/7043, dated the 27th June, 1963 from Secretary to Government, Punjab, Finance Department to all Heads of Departments, Registrar, Punjab High Court, and Commissioners of Divisions in the Punjab.

Subject :— Submission of returns to the Finance Department in connection with the preparation of Budget Estimates for the year 1964-65.

I am directed to say that, for the preparation of the Budget Estimates for the year 1964-65, it has been decided to observe the schedule of dates for the submission of various returns by the Heads of Departments to the Finance Department as indicated in Annexure I. It may be pointed out that these are the latest dates and the returns should not be delayed if these can be prepared earlier.

2. In this connection, attention is invited to the instructions contained in Finance Department letter No. 5275-B & C-62/8027, dated the 20th July, 1962 in which it was explained that, in the interest of better planning as well as expeditious execution of schemes, etc., it is necessary that the total departmental effort should be presented to Government at one place in a single case so that the Finance Department may accept or advise on it as the next year's plan of that particular Department. The intention underlying this arrangement is that before presenting the departmental demands, the Head of Department should view the total departmental effort as an integrated whole and consider it as such and the Administrative Secretary should also examine the departmental efforts in the same manner before sending the scheme to the Finance Department for financial scrutiny. Accordingly, the Head of Department and the Administrative Secretary should discuss the departmental programme for the year 1964-65 between themselves in all its details and implications before referring it to the Finance Department. The following detailed procedure is, therefore, prescribed for adoption of

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

conducting the requisite scrutiny of schemes to be incorporated in the Budget for the year 1964-65 :—

(a) The total efforts of the Department under each of the three categories, namely, technically new schemes, new schemes and ordinary expenditure, both for Plan and Non-Plan, should be forwarded to the Finance Department as one case by the dates set out in Annexure I. This means that the total Budget of the Department should be sent to the Finance Department in three different sets at three different stages.

(b) While forwarding its case under each of the above categories, the department should send to the Finance Department, in addition to individual schemes and the connected files, information in the attached statements No. I to III which will indicate the extent of the total departmental effort. A brief memorandum bringing out the salient points should also accompany the case of the Department. For schemes included in the ordinary Budget, no new statements are being prescribed and in respect of them only an over all memorandum giving indication of the total effort will be necessary. At the same time, the information in respect of individual schemes should be furnished by the Departments in the *pro forma* at Annexure II along with the individual files.

(c) The Finance Department will examine individual cases, but will accept each set of schemes and advise on it as a single case, after scrutinising all the schemes concerned as a integrated whole.

3. It is requested that the procedure outlined above should be strictly adhered to so that the whole programme of Budget preparation runs smoothly.

ANNEXURE - I

Schedule of dates for the submission of returns to the Finance Department in connection with the preparation of the Budget Estimates for the year 1964-65.

I—ORDINARY BUDGET—

(a)	*Receipt Estimates*	
(i)	Other than Land Revenue, Irrigation and Civil Works by	1st October
(ii)	Land Revenue by	25th October
(iii)	Irrigation by	5th November

(iv)	Civil Works by	20th November*
(v)	Final Receipt Estimates in respect of Land Revenue, State Excise Duties, Stamps, Interest, Irrigation and Extraordinary Receipt by	25th January, 1964
(b)	*Expenditure Estimate*	From 10th October to 25th October

II—SCHEDULE OF NEW EXPENDITURE—

A.—NON-PLAN—

(a)	*Technically new schemes—*	
(i)	Proposals to be sent to the Finance Department by	1st August
(ii)	Proposals to be returned by Finance Department after examination for conveying administrative approval/ financial sanction by	31st August
(iii)	Statement of Major Works for inclusion in the lists of Major and Minor Works to be submitted by the Administrative Department to the Chief Engineer, P.W.D., B.&R./ Public Health by	15th August
(iv)	Schedules and Memoranda to be submitted by the Head of Department to the Administrative Department by	20th September
(v)	Schedules and Memoranda to be submitted by the Administrative Department to the Finance Department *in duplicate by*	1st October
(b).—*New Schemes*		
(i)	Proposals to be sent to the Finance Department by	1st October
(ii)	Proposals to be returned by Finance Department after examination for conveying administrative approval / financial sanction by	15th October

*Amended,—*vide* Punjab Government letter No. 4268-B & C-64/5764, dated the 22nd June, 1964.

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

(iii)	Schedules and Memoranda to be submitted by the Head of Department to the Administrative Department by	31st October
(iii)	Schedules and Memoranda to be supplied by the Administrative Department to the Finance Department *in duplicate* by	7th November

B.—PLAN—

(a)	*Technically New Schemes*—	
(i)	Proposals to be submitted to the Finance Department by	1st August
(ii)	Proposals to be returned by the Finance Department after examination for conveying administrative approval/financial sanction by	31st August
(b)	*New Schemes* —	
(i)	Proposals to be submitted to the Finance Department by	1st October
(ii)	Proposals to be returned by the Finance Department to the Administrative Department after examination, for conveying administrative approval/financial sanction by	15th October
(c)	Schedules and Memoranda in respect of Plan Schemes, both Technically New and New, to be supplied by the Head of Department on the basis of discussions with the State Planning Department, to the Finance Department, *in duplicate*, a copy being supplied simultaneouly to the Planning Department by	7th November
	Discussions with the Planning Commission, to be arranged by the Planning Department	1st week of December
	Revised Schedules and Memoranda, where necessary on the basis of the	

III.— STATEMENT OF EXCESSES AND SURRENDERS.—

Statement of Excesses and Surrenders to be supplied by the Head of Department to the Finance Department by	1st December

---

Constitution of Advisory Board

82. Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the State Govt. is competent to constitute Advisory Board under Article 22 of the Constitution of India for preventive detention in the State;

(b) whether the Government has constituted the Advisory Board in the State; if so, the district-wise details thereof?

मुख्यमंत्री (भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर निम्नलिखित अधिनियमों के अन्तर्गत सलाहकार बोर्डों का गठन किया है :—

(1) विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियाँ निरोधक अधिनियम, 1974।

(2) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 ।

(3) नशीले पदार्थ अधिनियम 1988 के अनुसार नशीले पदार्थ अवैध रूप से लाने व ले जाने पर रोक।

उपरोक्त सभी सलाहकार बोर्डों में निम्न सम्मिलित हैं :—

(1)	माननीय न्यायाधीश के०एस० ग्रेवाल, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।	अध्यक्ष
(2)	श्री आर०सी० गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अम्बाला।	सदस्य
(3)	श्री पी०एल० आहूजा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, करनाल।	सदस्य

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएँ

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, जीरो आवर में लोक महत्व के कुछ मुद्दे हम उठाना चाहते हैं। हरियाणा प्रदेश में वर्तमान में कानून-व्यवस्था ठप्प पड़ी हुई है। प्रदेश में बिजली पानी का संकट है। हमने इन मुद्दों पर हाउस में डिस्कशन के लिए आपकी सेवा में नोटिस दिये हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, आप अपनी सीट पर बैठें। मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, *** *** ***

श्री अध्यक्ष : आप दोनों इकट्ठे बोल रहे हैं (विघ्न एवं शोर) आप लोग वन बाई वन अपनी बात कहें (विघ्न एवं शोर) आप अपनी सीटों पर बैठें। जो ये बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। (विघ्न एवं शोर)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, आपने तीन कॉलिंग अटैंशन मोशन्ज दी हुई हैं। (विघ्न एवं शोर) आप अपनी सीटों पर बैठें। (विघ्न एवं शोर) आप दोनों में से कौन बोलेगा पहले आप लोग यह फैसला करें। (विघ्न एवं शोर) जो यह बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। डॉ० साहब, आपको अभी और काफी मौका मिलेगा उस वक्त आप अपनी बात कह लेना। (विघ्न एवं शोर) आपको और भी काफी मौके मिलेंगे इसलिए अभी आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, आप अपनी सीट पर बैठें (शोर एवं व्यवधान) डॉ० साहब आप लोगों की तीन कॉलिंग अटैंशन मोशन्ज आई हुई हैं। एक कॉलिंग अटैंशन मोशन जो कि दलितों पर एट्रोसिटीज के बारे में है वह सरकार को कमैंटस के लिए भेजी हुई है। आप लोगों की दूसरी कॉलिंग अटैंशन मोशन जो कि राज्य सरकार में बिजली की कमी के बारे में है वह कल के लिए एडमिट कर ली गई है। तीसरी कॉलिंग अटैंशन मोशन जो पीने के पानी की कमी के बारे में है वह भी कल के लिए एडमिट कर ली गई हैं। डॉ० साहब, इसके अलावा भी आप लोगों को अपनी बात कहने के लिए कई मौके मिलेंगे इसलिए आप अभी अपनी सीटों पर बैठें (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, आपने कॉलिंग अटैंशन मोशन्ज तो एडमिट की हैं इस बाबत मेरा कहना यह है कि कॉलिंग अटैंशन मोशन पर केवल दो सप्लीमैंट्रीज पूछने का मौका होता है। लेकिन हमने दूसरे विषयों के बारे में भी लिख कर दिया हुआ है। ये प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इसलिए यदि आप इन्हें डिस्कशन के लिए एडमिट कर लें तो इस पर हाउस में चर्चा हो जाएगी और सब को अपनी बात कहने का भी मौका मिलेगा। ये विषय सारे प्रदेश के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इनको डिस्कशन के लिए एडमिट करने की कृपा करें। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात सुन तो लें। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, आप इन लोगों को बिठाएं। (विघ्न) स्पीकर साहब, मुझे आपके प्रोटैक्शन की जरूरत है। (विघ्न)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, आप हमारी बात सुन लें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, आपको बोलने के और भी मौके मिलेंगे इसलिए अब आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) आपको अपनी बात कहने के और मौके भी मिलेंगे। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आपकी कालिंग अटैंशन मोशन एडमिट हो गई है। (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी बात एक्सैस डिमांड्ज़ पर और सप्लीमैंट्री एस्टीमेट्स पर बोल लेना। उस समय आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा। (शोर एवं व्यवधान) अब कर्ण सिंह दलाल अपनी कालिंग अटैंशन मोशन को पढ़ें।

डॉ० सीता राम : * * * *

डॉ० सुशील इन्दौरा : * * * *

श्री अध्यक्ष : ये जो भी बोल रहे हैं कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : डॉक्टर साहब, आपने कुछ बात कही है और मैं उसका जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। (शोर एवं व्यवधान) आप जवाब तो सुन लें। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, ये दूसरे सदस्यों को उंगली लगाकर खड़े होने के लिए कह रहे हैं। ये इस तरह से कैसा व्यवहार कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) आपके साथी आपकी ही बात नहीं मान रहे हैं। आपको इनको पहले सिखा कर आना चाहिए था। (शोर एवं व्यवधान) इन्दौरा जी, अब टी०वी० पर रिकार्डिंग नहीं हो रही है जो आप इस तरह से कर रहे हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर आपकी बात का जवाब देने के लिए खड़े हैं। आपको उनकी बात सुननी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) आप बैठें।

डॉ० सुशील इन्दौरा : * * * *

श्री अध्यक्ष : इनका कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : इन्दौरा जी, आपने कुछ बात कही थी मैं उसका जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उस पर चर्चा की जाएगी। आप अपोजीशन में हैं और आपका फर्ज बनता है कि आप यहाँ पर मुद्दा उठाएं और हम उसका जवाब देंगे। अगर आप उस जवाब से सहमत नहीं हैं तो आप उस बारे में अध्यक्ष महोदय को कहें। (शोर एवं व्यवधान) अब आप यहाँ पर सिर्फ अखबार की सुर्खियों में आने के लिए इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि कल अखबार में आए कि अपोजीशन ने सदन में हंगामा किया और सदन की कार्यवाही को चलने नहीं दिया। (शोर एवं व्यवधान) मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि इस चीज के लिए आपको हरियाणा की जनता कभी माफ नहीं करेगी। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : * * * *

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आपका कुछ भी रिकार्ड नहीं हो रहा है। (शोर एवं व्यवधान) कर्ण सिंह दलाल जी आप अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, ये मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। आप इनको बिठाएं।

डॉ० सीता राम : * * * *

डॉ० सुशील इन्दौरा : * * * *

श्रीमती रेखा राणा : स्पीकर सर, आप मेरी बात सुनें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी में एक ही माननीय सदस्या हैं और ये साथी उनको भी अपनी बात कहने नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आप सभी सदस्य अपनी सीटों पर बैठ जाएं। मैं रेखा राणा को बोलने का समय देता हूँ। बोलिए मैडम जी आप क्या कहना चाहती हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, ये अपनी पार्टी की एक मात्र सदस्या को भी अपनी बात नहीं कहने देना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : * * * *

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आप अपनी सीट पर बैठें। आपका कुछ भी रिकार्ड नहीं हो रहा है। कर्ण सिंह जी आपने अपना कालिंग अटैंशन मोशन पढ़ दिया है अब मंत्री जी जवाब देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : सर, मैंने अभी अपना कालिंग अटैंशन मोशन नहीं पढ़ा है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : * * * *

श्री अध्यक्ष : इनका कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए। (शोर एवं व्यवधान) इन्दौरा जी, आपकी कालिंग अटैंशन मोशन कल के लिए ऐडमिट हो गई है, आप उस समय भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी बात सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस पर कह लेना, एक्सैस डिमांड्ज पर बोल लेना। (शोर एवं व्यवधान) It is not the way. अब आप अपनी सीट पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) डॉक्टर साहब आपका यह गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार है। आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) यह बात ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, डॉ० इन्दौरा की मन्शा केवल सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने की है। ये जो भी बात कह रहे हैं अगर ये सुनने के लिए तैयार हों

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

तो हम उनकी सब बातों को जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये जो भी मुद्दा उठाएंगे हमारे पास हर उस मुद्दे का जवाब है लेकिन इनको बैठकर सुनना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, मैं आपको बोलने का मौका दूँगा इसलिए अभी आप बैठिए। डॉ० सीता राम जी आप जितना बोल सकते हैं बोल लेना मैं आपको बोलने का मौका दूँगा। (शोर एवं व्यवधान) डॉ० साहब, आपका यह गैर जिम्मेवाराना व्यवहार है। बहन जी, आप किसलिए खड़ी हैं? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीताराम : * * * *

डॉ० सुशील इन्दौरा : * * * *

श्री अध्यक्ष : आपका कुछ भी रिकार्ड नहीं हो रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, इनकी यह एक साजिश है क्योंकि ये सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, इन्दौरा साहब, इनके नेता और इनकी पार्टी के दूसरे सभी सदस्य यह निर्णय करके आए हैं कि इन्होंने सदन की कार्यवाही नहीं चलने देनी है और जो हरियाणा की जनता के हित से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा नहीं होने देनी है। ये फैसला करके आए हैं कि किसी भी माननीय सदस्य को सदन में अपनी बात नहीं रखने देनी है और न ही सरकार को कोई भी जवाब देने देना है। अध्यक्ष महोदय, जब तक ये इस तरह से शोर करेंगे तब तक इनकी पोल नहीं खुलेगी। जब सरकार अपना जवाब देने लगेगी तो माननीय इंदौरा जी की और इनकी पार्टी की पोल खुल जाएगी। अध्यक्ष महोदय, इनकी जो ढोल की पोल है वह तो हरियाणा की जनता ने फरवरी, 2005 के चुनावों में ही खोल दी थी। स्पीकर साहब, संसदीय कार्य प्रणाली के अंदर यही होता है कि विपक्ष एक मुद्दा उठाता है और सरकार की तरफ से उसका जवाब आता है। अगर इनका कोई मुद्दा है तो सरकार उसका जवाब देगी लेकिन ये तो केवल सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना चाहते हैं, ये किसी भी सदस्य की बात नहीं सुनना चाहते हैं और न ही किसी भी सदस्य को अपनी बात कहने देना चाहते हैं। इनका इस तरह से शोर मचाना पूरी तरह से नाजायज है। स्पीकर साहब, माननीय इन्दौरा जी संसद के सदस्य भी रहे हैं इसलिए इनको संसदीय कार्य प्रणाली की जानकारी है। लेकिन ये एक ऐसे स्कूल के अंदर भर्ती हो गये हैं जहाँ पर जाकर पढ़ा लिखा आदमी भी अनपढ़ हो जाता है इसलिए सर, हम कुछ भी नहीं कर सकते। (शोर एवं व्यवधान)

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : स्पीकर साहब, ये लोग हाउस का समय बर्बाद कर रहे हैं इसलिए आप इनको हाउस से बाहर निकालो।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, * * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. (Noises & Interruptions)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

कैप्टन अजय सिंह यादव : हम तो उस समय बोल ही नहीं पाते थे। ये श्रीमान जी चौटाला साहब यहाँ बैठे हुए हैं ये तो उस समय हमें बोलने ही नहीं दिया करते थे।

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, बहुत ही इम्पोर्टेन्ट कालिंग अटेंशन मोशन है। यह कालिंग अटेंशन मोशन कर्ण सिंह दलाल, डॉ० सीताराम जी और अन्य दो विधायकों की तरफ से है जोकि क्लब किया गया है। यह कालिंग अटेंशन मोशन एक्यूट शोर्टेज आफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के बारे में है। इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट है। कृपया मंत्री जी को इस बारे में अपना जवाब देने दीजिए। आपको भी बोलने का पूरा मौका मिलेगा। आप एक्सेस डिमांडज और सप्लीमेंट्री ऐस्टीमेंटस पर बोल सकते हैं आपको पूरा मौका बोलने का मिलेगा। अब आप सभी बैठिए। Please maintain the decorum and dignity of the House.

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, आप आश्वासन दीजिए कि जो मुद्दे हमने उठाए हैं उन पर पूरे विस्तार से चर्चा होगी।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, इंडियन नेशनल लोकदल के डॉ० सीताराम का खुद का कालिंग अटेंशन मोशन है लेकिन ये अपने खुद के कालिंग अटेंशन मोशन पर चर्चा नहीं होने देना चाहते हैं। मैंने तो ऐसा पहली बार सदस्य देखा है कि जो खुद ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दे और फिर खुद ही उस पर चर्चा न होने दे। अध्यक्ष महोदय, सीता राम जी का खुद का ध्यानाकार्षण प्रस्ताव है मंत्री जी उस पर जवाब देना चाहते हैं। अगर उस जवाब के बारे में इनको ऐतराज हो तो यह बताएं। सीताराम जी ने खुद अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है लेकिन खुद ही ये उसका जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। इनकी यह मंशा ही नहीं है कि उसका जवाब आए।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न)

Mr. Speaker : Hon'ble members I have received a Calling Attention Notice from Shri Karan Singh Dalal, M.L.A., regarding acute shortage of irrigation water in the State. I admit it. Dr. Sita Ram and two other M.L.A.s also gave Calling Attention Notice on similar subject. All the signatories are permitted to ask a question. Shri Karan Singh Dalal may read his notice.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान राज्य में इस समय यमुना नहर योजना के कमांड एरिया में अनुभव की जा रही सिंचाई पानी की भारी कमी के संबंध में एक अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। इन क्षेत्रों में भूमिगत जल कम हो रहा है। हाल ही में यह प्रकट हुआ है कि हरियाणा राज्य को सिंचाई पानी तथा रेणुका बांध से पैदा की जाने वाली बिजली में इसके हिस्से से वंचित किया जा रहा है। मैं सरकार से इस संबंध में एक वक्तव्य देने का निवेदन करता हूँ कि वह पानी तथा रेणुका बांध द्वारा पैदा की जाने वाली बिजली तथा यमुना योजना में हरियाणा राज्य के हिस्से तथा यमुना योजना में सहभागी राज्यों के

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

हिस्सों को कब तथा कैसे निर्धारित किया गया, के तथ्यों के बारे में सदन को सूचित करें तथा यमुना पानी के हिस्से में कमी को पूरा करने के लिए क्या पग उठाए गए या उठाए जाने प्रस्तावित हैं। यह अत्यन्त लोक महत्व का विषय है, इसलिए सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, हरियाणा प्रदेश के करोड़ों किसानों के साथ जुड़ा हुआ यह मुद्दा है। इस पर चर्चा होने दें। You are not serious about it. यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। (विघ्न)

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, डॉ० सीता राम जी का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। फिर भी यह उस पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। हमने तो पार्लियामैंट्री प्रैक्टिस में ऐसा पहली बार देखा है कि अपने ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब नहीं देने दे रहे हैं। (विघ्न)

वक्तव्य—

सिंचाई मंत्री द्वारा

Mr. Speaker : Irrigation Minister Sahib, please make a statement on it.

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Mr. Speaker Sir, State Government is well aware of the shortage of irrigation water in Haryana. Against the total water requirement of 36 MAF, the availability of water in the State from surface as well as ground water sources is only about 14 MAF, thereby leaving a gap of about 22 MAF between availability and water requirements. Due to the huge gap between demand and availability of surface water, farmers are installing increasing number of tubewells resulting in depletion of ground water table in the sweet water zone. The State Government is adopting a multi-pronged strategy to reduce the gap between availability and requirement of water. Efforts are being made to distribute the available water fairly in all the areas of the State including Yamuna Command and Lift Canal areas. For this purpose several new irrigation schemes have been formulated by the State Government. These schemes include Bhakra Main Line-Hansi Branch, Butana Branch, Multipurpose Link Channel, Dadupur-Shahbad Nalvi Canal Project, Mewat Canal Project, Ambala Irrigation Scheme etc. These schemes are under various stages of project formulation and execution. BML-Hansi Branch-Butana Branch Multipurpose Scheme costing Rs. 354.00 crore is likely to be completed by 31.12.2007. Dadupur Shahbad Nalvi Canal Project, costing Rs. 267.00 crore is also under construction and is likely to be completed by 30.06.2009. Ambala Irrigation Project, costing Rs. 294.00 crore and Mewat Canal Project, costing Rs. 326.00 crore has been sent to Central Water Commission for clearance and shall be undertaken after the approval is received from Central Water Commission. Some other schemes have also been formulated for better management and utilization of existing available

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[Capt. Ajay Singh Yadav]

water resources and for equitable utilization of water. These schemes are increasing capacity of WJC system, projects of construction of low height dams on river Ghaggar namely Kaushalya, Diwana, Dangrana and Chhamla. A Project for rehabilitation and restoration of capacity of Ottu Lake is under execution. Government has also approved a project to utilize existing Massani Barrage for strong and utilizing surplus flood water of river Yamuna. Existing Kotla lake and Bibipur Lake are also proposed to be renovated for storing and utilizing surplus water available during monsoon season.

All-out efforts are being made by the State Government for getting additional water for the State. For this purpose State Government is vigorously pursuing the Sutlej Yamuna Link case in the Hon'ble Supreme Court of India so that Haryana can get its remaining rightful share in the Ravi-Beas Waters. I would also like to bring to the notice of the august House that about 3.0 MAF of Ravi water is still flowing to Pakistan through Punjab area. स्पीकर सर, हमारे जो इनैलो के साथी हैं उनको अकालियों से इस बारे में बातचीत करनी चाहिए कि हमारे प्रदेश के हिस्से का पानी पाकिस्तान जा रहा है लेकिन हमारे प्रदेश को नहीं मिल पा रहा है जिससे हमारे प्रदेश के हितों के साथ कुठाराघात हो रहा है। (शोर एवं विघ्न) आप लोगों ने भी उनका बड़ा साथ दिया था। आप लोगों को पंजाब की सरकार से इस बारे में बातचीत करनी चाहिए। यह बहुत ही अहम मुद्दा है। आपकी भी हरियाणा की जनता के प्रति जिम्मेदारियां बनती हैं। (शोर एवं विघ्न) It is possible to tap this precious source of water, by constructing a Barrage across River Ravi and second Ravi-Beas Link upstream Harika Barrage. Haryana has taken up this issue with the Ministry of water Resources, Government of India. Haryana has requested Government of India that this proposal may be got examined from the Central Water Commission, so that wastage of water from river Ravi to Pakistan can be stopped. Availability of water to Haryana will also increase if this link is constructed. अध्यक्ष महोदय, यह इतना महत्वपूर्ण इश्यू है आज भी पानी पाकिस्तान में जा रहा है। मुझे इस बात का बेहद खेद है कि मौजूदा पंजाब सरकार को और सी०डब्ल्यू०सी० को भी डी०ओ० लैटर लिखा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी खुद डी०ओ० लैटर लिखा है लेकिन पंजाब सरकार उस पानी को पाकिस्तान में तो देने को तैयार है लेकिन हरियाणा को देने को तैयार नहीं है और इनैलो के सदस्य उन लोगों की मदद करते हैं। (Interruption)

श्री बलवन्त सिंह सढौरा : अध्यक्ष महोदय, पंजाब की कांग्रेस की सरकार ने ऐसा कानून पास किया था जो दोनों स्टेट्स के लिए ठीक नहीं था। (विघ्न एवं शोर)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

श्री बलवन्त सिंह सढौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * *

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि जो रेजोलूशन पंजाब सरकार ने पास किया था उस पर अकालियों के और सरदार प्रकाश सिंह

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

बादल के भी दस्तखत थे। For getting additional Yamuna water, State Government is pursuing the case of construction of storages in the Upper reaches of Yamuna namely Kishau Dam, Renuka Dam and Lakhwar Vyasi Dams. The State Government is in regular correspondence with the Government of India for this purpose. Chief Minister, Haryana also met the Prime Minister and urged for early execution of these projects. It was on Haryana's persuasion that the meeting of Upper Yamuna Review Committee, having Chief Ministers of the basin States as members, was called in April, 2006, after a gap of about 9 years, to sort out the issues regarding construction of these dams. इनके राज में अपर यमुना बोर्ड की मीटिंग एक बार भी नहीं बुलाई गई क्योंकि यह पानी सिरसा में नहीं जाता था। In a special meeting convened under the Chairmanship of Union Minister of Water Resources and attended by the Irrigation/Water Resources Minister of the Upper Yamuna Basin States on 20.12.2006, it was on Haryana's insistence that the Union Minister of Water Resources agreed for reduction in the construction period of Kishau Dam. अध्यक्ष महोदय, किसाऊ डैम को बनाने की अवधि पहले 9 साल की रखी गई थी।

डॉ० सीताराम : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ।

Mr. Speaker : Dr. Sita Ram, please listen the reply.

कैप्टन अजय सिंह यादव : लेकिन मुख्यमंत्री जी ने लैटर लिखने से यह मुद्दा उठाया और इस सरकार ने उस डैम को बनाने की अवधि को 9 साल से घटाकर 6 साल का पीरियड प्रोसीडिंग्ज में करवाया है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं।

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. Dr. Indora, please listen the reply.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * *

कैप्टन अजय सिंह यादव : अब वे डैम जब भी बनना शुरू होगा तो वह 6 साल में बनकर तैयार हो जायेगा।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * *

कैप्टन अजय सिंह यादव : इन्दौरा जी, आप इस बारे में सप्लीमैंटरी पूछ सकते हैं।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * *

Mr. Speaker : Please listen reply. Nothing is to be recorded. Dr. Indora, I warn you. Mr. Indora, I warn you. The Minister is giving the reply to the Calling Attention Motion. This issue is very important and pertaining to the farmers of the State. Please listen. जब मंत्री जी जवाब देते हैं तो आप बीच में कोई मुद्दा नहीं उठा सकते। Listen the reply please.

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1994 तक वहां पर यमुना के पानी के बारे कोई समझौता नहीं हुआ। Till 1994, the water of Yamuna was allocated to Haryana and Uttar Pradesh in the ratio of about 2/3rd and 1/3rd, respectively, in terms of Agreement of 1954 between the then States of Punjab and Uttar Pradesh.

वाक-आऊट

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

श्री ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, * * * *

Mr. Speaker : Minister is giving the reply of Calling Attention Motion. Please sit down. Nothing is to be recorded. कालिंग अटैंशन मौशन के रिप्लाई के बीच में कोई डिस्कशन अलाऊड नहीं है।

श्री ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, * * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. Minister is giving the reply of Calling Attention Motion. Please listen. कालिंग अटैंशन मौशन के रिप्लाई के समय कोई सप्लीमैंटरी नहीं होती, और इस पर कोई डिस्कशन भी नहीं होती है। (Noises & Interruptions) Not at all. Please sit down.

श्री ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री अध्यक्ष : आप कम से कम सदन की गरिमा को बनाये रखें। सदन का कोई सलीका है आप अपने तजुर्बे और अपनी उम्र का तो ख्याल रखें।

श्री ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, * * * *

Mr. Speaker : Minister is giving the reply on the floor of the House. इनके जवाब से आपको कोई तकलीफ है और आपको इस विषय में अगर कुछ कहना है तो आप लिखकर भिजवा दें। No discussion is allowed.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, * * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. (Interruptions)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. (Interruptions)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप हमें हमारी बात कहने का अवसर नहीं दे रहे इसलिए हम as a protest सदन से वाक आऊट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नैशनल लोक दल के सभी सदस्य सदन से वाक आऊट कर गये।)

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, यह तो इण्डियन नैशनल लोकदल की पार्टी का दुर्भाग्य है कि उनके नेता को जनता ने विपक्ष का नेता बनने का स्टेटस भी नहीं दिया। लेकिन उनकी पार्टी के नेता ओम प्रकाश चौटाला जी कई बार इस सदन के सदस्य रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं इसलिए उनको कम से कम प्रजातांत्रिक प्रणाली की रिवायतों की जानकारी और संसदीय प्रणाली की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि जब मंत्री जी कालिंग अटैंशन मोशन का जवाब दे रहे हैं तो किसी भी सदस्य द्वारा उसके बीच में इंटरवीन नहीं हो सकता। उनको यह भी जानकारी होनी चाहिए यदि वे किसानों के हितों को लेकर चिंतित थे तो माननीय कर्ण सिंह दलाल जी जो ध्यानाकर्षण सरकार के सामने लेकर आये थे और उनकी पार्टी के सदस्य डॉ० सीता राम जी भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आये थे और अध्यक्ष महोदय, इन दोनों प्रस्तावों को आपने बड़ी फिराखदिली से क्लब कर दिया क्योंकि दोनों एक नेचर के थे। उन्होंने तो उस पर दस्तखत भी करना उचित नहीं समझा। माननीय मंत्री जी बहुत ही महत्त्वपूर्ण कालिंग अटैंशन मोशन पर जवाब दे रहे थे लेकिन ये लोग तो घर से तैयार होकर आते हैं कि सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे और कल के अखबारों में खबर बनायेंगे और सदन में हर बात पर शोर-गुल करेंगे। जो मुद्दा उठाते हैं उसका जवाब नहीं सुनते क्योंकि सुनेंगे तो ढोल की पोल खुल जायेगी। मुझे लगता है कि यदि हम सदन में रहें तो जो इन खम्बों पर लिखा है उस पर हमें जरूर गौर करना चाहिए और कम से कम जो दो-दो, तीन-तीन और चार-चार बार इस सदन के सदस्य रहे चुके हैं उनको तो इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे सदन में बहुत सारे नये सदस्य भी हैं। उनके लिए हम कुछ रिवायतें सदन में पैदा करें जिनसे वे कुछ सीखें। कहीं यदि ओम प्रकाश चौटाला और उनकी पार्टी के सदस्यों से नये सदस्यों ने सीख ले ली तो प्रजातांत्रिक मूल्यों का और परम्पराओं का क्या होगा? अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कालिंग अटैंशन मोशन पर जवाब दे रहे हैं और वे उसके अंदर विघ्न डाल रहे हैं। अगर उन्होंने कोई बात कहनी थी तो वे आपसे अनुरोध कर सकते थे। आपने उन्हें बार-बार कहा कि आप अपने सवाल रिप्लाई के बाद उठा सकते हैं, सप्लीमैंटरी डिमांडज पर बोल सकते हैं, एक्सैस डिमांडज पर बोल सकते हैं। पहले कर्ण सिंह दलाल जी इस कालिंग अटैंशन मोशन पर सप्लीमैंटरी पूछने का अधिकार रखते हैं, उसके बाद डॉ० सीता राम जी सप्लीमैंटरी पूछने का अधिकार रखते हैं। उसके बाद कोई और सदस्य परमिट हो सकता है। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी अपने सदस्यों के अधिकारों का हनन जब इस तरफ बैठते थे तब भी करते थे और अब उस तरफ बैठते हैं तब भी अपने सदस्यों के अधिकारों का हनन करते हैं। अध्यक्ष महोदय, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में इस सदन ने प्रजातांत्रिक मूल्यों का निर्वहन करने की कई नई परम्परायें चलाई हैं और माननीय सभी सदस्यों से मैं अनुरोध करूँगा कि जो लोग चाहे वे किसी भी दल से हों जो सदस्य इन परम्पराओं का उल्लंघन कर रहे हैं वे पूरे सदन का अनादर कर रहे हैं। इस तरह का व्यवहार करने वाले सदस्यों के खिलाफ पिछले सैशन में भी पूरे सदन ने सर्वसम्मति से सभी पार्टियों के सदस्यों ने कंडमनेशन रैज्योल्यूशन पास किया था। पिछली बार भी कई सदस्यों ने ब्रीच ऑफ प्रीविलेज किया था और इनको चेयर पर और सदन

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]
पर अनावश्यक छींटाकसी करने की आदत पड़ गई है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि यदि उनमें अंतंआत्मा नाम की कोई चीज है तो इनको अपने अन्तर्मन में झांककर अपने व्यवहार में दुरुस्ती करनी चाहिए और शायद यह दुरुस्त रहेगा कि वे सदन में आपके माध्यम से अपने व्यवहार के लिए पूरे सदन से माफी मांगे।

वक्तव्य (पुनरारम्भ)

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं खासतौर पर यह बात हाईलाईट करना चाहता था कि after the gap of nine years जो पिछली सरकारें रही किसी ने भी किशाऊ डैम और लखवार डैम के बारे में एक भी मीटिंग नहीं बुलाई। इसी बात को छुपाने के लिए ये लोग सदन से बाहर गये हैं क्योंकि इन लोगों ने प्रदेश की जनता के साथ बहुत ज्यादा बेइंसाफी की है। अगर ये भाई इस बारे में कुछ काम करते तो हो सकता है कि किशाऊ डैम

11.00 बजे

वगैरा पर काम शुरू हो जाता लेकिन इन्होंने कुछ काम नहीं किया। After formation of Haryana in 1966 this agreement became applicable to Uttar Pradesh and Haryana. On 12.05.1994, a Memorandum of Understanding was signed between Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan, Himachal Pradesh and NCT of Delhi. On behalf of these States the Memorandum of Understanding was signed by the Chief Minister of all these five States in the presence of Union Minister for Water Resources. Under this MOU the water of river Yamuna was agreed to be allocated to these five States as follows :—

(i)	Haryana	=	5.730 BCM
(ii)	U.P.	=	4.032 BCM
(iii)	Rajasthan	=	1.119 BCM
(iv)	H.P.	=	0.378 BCM
(v)	Delhi	=	0.724 BCM
	Total	=	**11.983 BCM**

Thus, while the share of Haryana got reduced from 66.66% to 47.8%, the share of U.P. was got slightly increased from 33%. Whatever was given to H.P., Rajasthan and Delhi went out of the share of Haryana.

Two draft Agreements were prepared between these five States regarding construction of Kishau Dam on river Tons in Uttar Pradesh (now Uttrakhand) and Renuka Dam across river Giri in H.P. The draft agreement of Renuka Dam stipulated that the entire cost of this dam shall be borne by Delhi and H.P. shall construct, operate and maintain this project. It was further stipulated that the entire water from this dam shall be given to Delhi and all other economic benefits of this dam including generation of hydro-power shall go to H.P. It was further stipulated that once other storage dams are made on Yamuna then the total water shall be distributed as per the MoU earlier signed.

This draft was signed by the Chief Ministers of Haryana, U.P., H.P. and Delhi but was not signed by the Chief Minister, Rajasthan. We have taken a stand that legally this agreement has not come into being because one of the contracting parties has not signed it. In the meeting held at Delhi on 20.12.2006, the Irrigation Minister, Haryana and the Irrigation Ministers of Rajasthan and U.P. had made it very clear that this Agreement has not come into being and all the co-basin States have to get their respective shares from the water and power of this project. It was also made clear that the co-basin States are willing to give their share of the cost of the project.

Surprisingly, after January, 2007 in spite of the fact that the meeting of 20.12.2006 was followed by a written communication dated 29.01.2007 from Haryana reiterating our views an arrangement was worked out between Government of India, H.P. and Delhi in accordance with the above-mentioned draft Agreement for Renuka Dam. Some money has been deposited by Delhi with H.P. and H.P. Government is taking steps for the construction of this dam.

A meeting was called by Secretary, Ministry of Water Resources, Government of India on 5.9.2007 to endorse these steps of Government of India, H.P. and Delhi. We very strongly reiterated our views given in December, 2006 and stated it very clearly that unless this project is made as a shared project between the co-basin States, Haryana will not cooperate in the delivery of water from this project to Delhi.

I have written D.O. letters to the Union Minister for Water resources on 3.9.2005, 29.1.2007, 30.3.2007 and 4.9.2007. I also met him on several occasions to convey the stand of Haryana.

Government of Haryana is of the view that to overcome the delay in taking up the construction of these storage projects, it is necessary that the construction of these projects is taken up by some Central Agency with adequate funding by Government of India. Now, this position has again been conveyed by the Chief Minister to Union Minister for Water Resources through a D.O. letter dated 16.7.2007.

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, इस तरह से मुझे दो सप्लीमैंटरी की इजाजत होगी या एक की?

श्री अध्यक्ष : आपको दो सप्लीमैंटरी पूछने की इजाजत दी जाती है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इन्होंने इतना लम्बा-चौड़ा वक्तव्य सदन के सामने पढ़कर सुनाया है मगर अध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह जानते हैं कि यमुना का जो पानी हरियाणा के अन्दर आता है उसके बारे में इन्होंने यह भी नहीं बताया कि यह जो वाटर एकोर्ड हुआ उसके क्या हालात थे? इस वाटर एकोर्ड को करने की जरूरत क्यों आ पड़ी थी? स्पीकर सर, जैसा इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि यमुना का पहले हरियाणा का 2/3 पानी था और 1/3 यू०पी० का था। इसमें बुनियादी तौर पर यू०पी० और हरियाणा राज्यों का पानी था। यह ठीक है कि आज की सरकार

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

ने जो कदम उठाये हैं हम उनकी प्रशंसा करते हैं। जैसे कि इनकी प्रस्तावना में भी था कि हम पानी के समान बंटवारे के लिए नई नहर बनायेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय इन्हें यह भी बताना चाहिए कि क्या इस तरह की एकोर्ड के लिए हरियाणा विधानसभा में कभी यह प्रस्ताव रखा, विधान सभा से या इस प्रदेश के लोगों से इसकी इजाजत ली है? अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे इलाके से सम्बन्ध रखता हूँ कि जो हरियाणा का बिल्कुल एक आखिरी छोर है। हमारे इलाके जिला फरीदाबाद और गुड़गाँव में केवल यमुना का पानी ही पहुँच सकता है। अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद, गुड़गांव और मेवात में खेतों की बात तो छोड़िये वहाँ पर पीने के पानी की भी भारी किल्लत है। इतना बड़ा नुकसान प्रदेश को हुआ ये खुद मानते हैं। मैं कहता हूँ कि जिला फरीदाबाद को इतना बड़ा नुकसान हुआ इस जल बंटवारे से और मंत्री महोदय ने यह भी नहीं बताया कि इस बंटवारे को करने की जरूरत क्या थी? एक तो मैं आपके माध्यम से इनसे यह पूछना चाहता हूँ कि इस बंटवारे से उत्तर प्रदेश को बिना माँगे ही फालतू पानी क्यों मिला जबकि उन्होंने डिमांड भी नहीं रखी? फालतू पानी यू०पी० को क्यों दे दिया गया? अध्यक्ष महोदय, पानी का जो बंटवारा है वह ओखला बैराज और ताजेवाला हैड से हुआ है। उस करार को मैंने पढ़ा है जो उस वक्त हुआ था। मैं तो आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि हिंडन नदी का पानी दिल्ली और फरीदाबाद के ऐरिया के बॉर्डर के पास से गुजरता है। क्या माननीय मंत्री जी उस हिंडन नदी के पानी से हमारा बढ़ा हुआ पानी जो उत्तर प्रदेश को मिला है उस पानी को फरीदाबाद, गुड़गाँव या मेवात में देने की कोशिश करेंगे? अध्यक्ष महोदय, जब पानी का बंटवारा हुआ तो दिल्ली को पानी फालतू मिला। दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश तो इस पानी के हकदार ही नहीं थे। उनको पानी इन्होंने दे दिया और जो ये रेणुका बाँध और किशाऊ बाँध की इन्होंने चर्चा की है, जिक्र किया है यह ठीक है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। चौटाला जी तो सदन को छोड़कर चले गये यह बहुत ही दुःख की बात है कि प्रदेश के हितों पर इस तरह से कुठाराघात हो और वे वाक आऊट करके चले जायें। उनकी सरकार रही लेकिन उन्होंने कभी इस तरह का मुद्दा सदन में नहीं उठाया। ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और नीचे उनकी सरकार थी लेकिन उन्होंने कभी यह कोशिश नहीं की कि यमुना वाटर एकोर्ड की वजह से हरियाणा को जो नुकसान हुआ है, जो पानी घटा है उसकी भरपाई की जाये। समान पानी के वितरण के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस समय प्रस्ताव दर्शाये हैं उनको माना जा सकता है कि वे हरियाणा के हित में हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेवात के बारे में तो कहा है कि वे मेवात नहर बनाने की योजना सैन्ट्रल वाटर कमीशन को भेजेंगे लेकिन मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि हमारे जिले फरीदाबाद और गुड़गाँव के लिए जहाँ आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है वहाँ पीने का पानी भी नहीं है। फरीदाबाद के गाँवों में हमारी बहन-बेटियों को, लोगों को कई मील तक पीने के पानी के लिए जाना पड़ता है। इस सारे जवाब में हमारे जिले फरीदाबाद, गुड़गाँव और मेवात के लिए कब नहर बनेगी और कब पानी आयेगा? हमारे खेतों की बात तो आप छोड़िए हमारे लिए पीने का पानी हमको मिले क्या वे इसका कोई इंतजाम करेंगे? इसके बारे में इनको सदन को बताना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस बारे में जानकारी सदन के पटल पर रखें।

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं यह बात बताना चाहता हूँ कि यह जो एकोर्ड है 1994 में इसका एम०ओ०यू० साईन हुआ था। इसमें केन्द्र सरकार के लोग भी इनवोल्व थे और 5 स्टेट्स के लोग भी इनवोल्व थे। लेकिन मुझे इस बात से बड़ा

दुख है कि जो इनैलो के साथी हैं, इतना लेटैस्ट इश्यू है जो कि इस राज्य के हित में है, उन्होंने अपने समय में कभी भी यह मामला केन्द्र में नहीं उठाया कि यह हमारा यमुना का शेयर क्यों घटा। अध्यक्ष महोदय, 20 परसैंट शेयर कम करना यह कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि मुझे मालूम है कि उस वक्त प्रदेश की बागडोर जिन लोगों के हाथों में थी उन लोगों ने इस बात की कोई परवाह नहीं की। यमुना का पानी न तो सिरसा में जाता था और न ही उन लोगों के ऐरियाज में जाता था जिनके हाथों में उस वक्त प्रदेश की बागडोर थी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात समझ नहीं पाया कि उस एम०ओ०यू० पर दस्तखत करते हुए उनके हाथ काँपे क्यों नहीं क्योंकि हरियाणा प्रदेश का 20 परसैंट शेयर कम हुआ और इसी रेशो में तो उत्तर प्रदेश का पानी भी कम होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1954 से पहले जो एग्रीमैंट था वह उत्तर प्रदेश और गवर्नर ऑफ पंजाब के बीच में था। उस एग्रीमैंट में यह बात थी कि 2/3 हिस्सा पंजाब का होगा और 1/3 हिस्सा यू०पी० का होगा। उसके बाद हरियाणा अलग प्रदेश बन गया। उस समझौते में यह बात थी कि अगर यमुना में 5890 से 8790 क्यूसिक तक पानी होता हो तो 3880 क्यूसिक से लेकर 6680 क्यूसिक तक पानी तो हरियाणा प्रदेश को मिलेगा और 2010 क्यूसिक पानी उत्तर प्रदेश को मिलेगा। इसके अलावा अगर नदी में 9280 से 10900 क्यूसिक तक पानी होगा तो हरियाणा का शेयर 8400 क्यूसिक और उत्तर प्रदेश का शेयर 2500 क्यूसिक होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि, कि दो स्टेटों के बीच में पानी के बंटवारे का यह एग्रीमैंट हुआ था लेकिन उस वक्त 1994 में जो सरकार थी उसके वक्त में एम०ओ०यू० साईन हुआ था जिसमें हरियाणा को 5.73 बी०सी०एम० पानी दिया गया था और यू०पी० को 4.032 बी०सी०एम० पानी दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, 1993 में जो लास्ट एग्रीमैंट साईन किया गया था जिसे कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्ज के सामने रखा गया था उसमें सबसे बड़ी खामी जो मुझे नजर आई वह मैं आपको बताना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने मैं गलत बात नहीं कह सकता क्योंकि सदन में हमेशा सही बात कहनी चाहिए, ऐसा सामने लिखा हुआ भी है। अगर मैं इस बात पर नहीं चलूँगा तो कल को हरियाणा के लोग कहेंगे कि कैप्टन अजय सिंह यादव ने सही बात छिपा दी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूँगा कि उस वक्त कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्ज के सामने 12.08.1994 को जो समझौता किया गया उससे पहले 1993 में एक ड्राफ्ट हुआ which was approved by the Council of Ministers on 04.02.1993 and M.O.U. was signed on 12.05.1994. अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि मैमोरैंडम में यह बताया गया है कि हरियाणा का ताजेवाला से जो हिस्सा होगा वह 22.230 बी०सी०एम० और यू०पी० का 2.540 बी०सी०एम० हिस्सा होगा। कैबिनैट के सामने जो दिखाया गया है उसमें यह दिया गया है कि राजस्थान का शेयर ताजेवाला से निल दिखाया गया था और हिमाचल प्रदेश का 0.378 बी०सी०एम० और दिल्ली का 1.177 बी०सी०एम० दिखाया गया था। उसके बाद ओखला से जो पानी मिला था वह दो हिस्सों में किया गया था। कुछ पानी ताजेवाला से मिलेगा और कुछ पानी उत्तर प्रदेश से मिलेगा। जो मसौदा कैबिनैट के सामने रखा गया था उसमें दिखाया गया था कि हरियाणा को .50 बी०सी०एम० और यू०पी० को 1.452 बी०सी०एम०, राजस्थान को 1.119 बी०सी०एम०, हिमाचल प्रदेश को निल और दिल्ली को 5.47 बी०सी०एम० पानी मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, समस्या यह आ गई थी कि राजस्थान वाले यह कहने लगे हैं कि हमें ताजेवाला से पानी दो। यह बात कैबिनेट के सामने कभी नहीं रखी गई लेकिन जब पांच स्टेटों में एम०ओ०यू० साईन किया गया तो उस वक्त राजस्थान को ताजेवाला से पानी दे दिया गया था।

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

अध्यक्ष महोदय, यह सबसे बड़ी खामी थी जो उस वक्त के एग्रीमैंट में रही और मैं समझता हूँ कि इससे हरियाणा प्रदेश के हितों को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा रेणुका डैम के बारे में पाँच स्टेटों ने एग्रीमैंट साईन किया लेकिन राजस्थान ने एग्रीमैंट पर साईन नहीं किये। जो पानी इस रेशों में आता है हमने जो समझौता किया है उसी रेशों में पानी बंटना चाहिए लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि रेणुका डैम का सारा पानी देहली के लिये कर दिया गया। हमने उस पर ऑब्जैक्शन किया। श्रीमान् ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त न तो उन्होंने अपर यमुना बोर्ड की कभी मीटिंग बुलाई और न ही उन्होंने इस ईशू को भी रेज किया। यह तो मुख्यमंत्री जी ने केन्द्रीय सरकार के वाटर रिसोर्सिज मिनिस्टर और प्रधानमंत्री जी से बात करी है कि किशाऊ डैम बनना चाहिए। वहाँ पर डैम न होने की वजह से लाखों क्यूसिक पानी बहकर चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत पानी का नुकसान होता है। स्पीकर सर, मैं सदन में आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि हम भी फ्लड कंट्रोल के लिए डैम बनाने पर काफी पैसा खर्च करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें मुझे सबसे बड़ी बात यह लगती है कि इन लोगों ने ऑब्जैक्शन इसलिए नहीं किया क्योंकि इनके खेतों में भाखड़ा का पानी जाता है। अध्यक्ष महोदय, यमुना का पानी करनाल, पानीपत, यमुनानगर से निकलते हुए अम्बाला में जाता है और उसके बाद रोहतक, जीन्द, भिवानी, रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़ में जाता है। मैं समझता हूँ कि जो 1994 में एग्रीमैंट हुआ था उसमें बे-इन्साफी हुई है और उसकी वजह से हमारे पानी का हिस्सा भी कम हुआ है। इस बारे में हमने अपनी स्ट्रौंग ऑब्जर्वेशन यूनियन मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सिज को लिखकर भेजी है। अध्यक्ष महोदय, रेणुका डैम और किशाऊ डैम के जो दो एग्रीमैंट हैं, इस बारे में इसलिए मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि राजस्थान ने इसके एम०ओ०यू० में साईन नहीं किए हैं। अगर एक प्रदेश उस पर साईन नहीं करता है तो यह मामला सिरे नहीं चढ़ सकता है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर इन्होंने एक बात हिंडन रीवर के बारे में भी कही है। अध्यक्ष महोदय, जब हमारे यहाँ अपर यमुना बोर्ड की मीटिंग होगी तो उसमें हम यह मामला उठाएंगे। इसके अलावा जो हरियाणा विधान सभा की परमिशन की बात है तो मेरे पास रिकार्ड में ऐसी परमिशन की कोई बात नहीं है कि विधान सभा से इस बारे में कोई परमिशन ली गई हो, न ही इस बारे में कोई रैज्यूलेशन आया है। लेकिन मैं यह समझता हूँ कि हमारी सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने पानी के समान बंटवारे को लेकर बी०एम०एल० हांसी बुटाना लिंक ब्रांच बनाने का कार्य किया है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो यह नहीं चाहती हैं कि हमारे 16 जिलों के लोगों को पूरा पानी मिले। अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट ने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि एक भोला-भाला किसान इस किस्म की पैटिशन डाल ही नहीं सकता है। अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट ने अपना एक स्ट्रौंग वक्तव्य इस पैटिशन के बारे में दिया है। इसके पीछे वे लोग हैं जो अन-मास्क हो चुके हैं। वे लोग भोले-भाले किसानों को बहकाकर हरियाणा के हितों के साथ कुठाराघात करते रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, वे लोग कौन हैं, आप सभी उनके बारे में जानते हैं। जिन लोगों ने इस प्रदेश के ऊपर राज किया जिस 1.6 एम०ए०एफ० पानी पर 16 जिलों का हक बनता है, उस पानी को पहले केवल कुछ ही इलाकों में उनके द्वारा दिया जाता था। अध्यक्ष महोदय, सदन में मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि मेवात कैनाल का सपना अगर कोई पूरा करेगा तो यह चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ही पूरा करेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारी पूरी कोशिश है कि हर जिले के कोने-कोने में पानी पहुँचे और मुख्यमंत्री जी ने एक बात सभी जगहों

पर कही है कि जिस तरह से चार भाईयों में चार रोटियों का बंटवारा करना हो तो सभी को एक-एक रोटी मिलनी चाहिए। उसी तरह से सभी में पानी का समान बंटवारा होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की सोच हमारे मुख्यमंत्री जी की है और इसी सोच को लेकर हम आगे चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे पर हमने अपनी पूरी आपत्ति दर्ज करी है।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह भी कहा था कि मेवात के पूरे क्षेत्र में नहरी पानी के साथ-साथ पीने के पानी की भी समस्या है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की यह बात बिल्कुल सही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि फरवरी, 2005 में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने जैसे ही कार्यभार सम्भाला तो इन्होंने सबसे पहले मेवात के पूरे इलाके के 900 के करीब गाँवों की बैठक बुलाई थी। अध्यक्ष महोदय, आज भी वहां पर हमारी माताएं और बहनें कई किलोमीटरों तक पीने के पानी को लेने के लिए जाती हैं। मुख्यमंत्री जी ने उस बैठक में कहा था कि पीने के पानी का सबसे पहले प्रोजैक्ट मेवात के सूखे इलाकों में शुरू किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, शायद हिन्दुस्तान की यह सबसे बड़ी पेय-जल योजना है। अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी पेय-जल योजना मेवात के इलाके में लागू कर रहे हैं। यह योजना दिसम्बर, 2008 तक बनकर तैयार हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, यह योजना कितनी बड़ी है, इस बात का आंकलन केवल तभी लगाया जा सकता है जब यह योजना बनकर तैयार हो जाएगी। इस योजना के दो भाग हैं और इन दो भागों पर कुल मिलाकर 425 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे। वहां पर 12,000 किलोमीटर की पाईप लाईन डाली जाएगी। 300 के करीब बुस्टिंग स्टेशन बनेंगे। अध्यक्ष महोदय, पहली बार 68 किलोमीटर पानी हम यमुना की तलहटी में बोर वैल्स जिनको रैनीवैल्स भी कहते हैं के द्वारा 2 अलग-अलग जगहों पर लेकर जाएंगे जिनमें से एक माननीय सदस्य की कांस्टीच्यूएंसी होडल के अंदर खुलेगा। 68 किलोमीटर के करीब वाटर 1000 एम०एम० के डाया की पाईप्स में ले जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इस समय शायद यह हिन्दुस्तान में क्रियान्वयन होने वाली सबसे बड़ी पेयजल योजना है। हम अरावली की तलहटी में 300 के करीब रिचार्ज बोरवैल्ज लगाएंगे ताकि जमीन में जो पानी रिचार्ज होकर जाएगा उससे गाँवों में वाटर लेवल ऊपर हो जाए, इस प्रकार से हम इनको लगाएंगे। अध्यक्ष महोदय, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का स्वपन है कि पहाड़ की तरफ भी पानी चढ़ाया जाए। इस योजना का 45 प्रतिशत के करीब काम हो चुका है लेकिन अभी काम सम्पूर्ण नहीं हुआ है इसलिए हमें इसके बारे में पता नहीं चल पाता है। जिस दिन यह योजना पूरी हो जाएगी उस दिन 70 लीटर प्रति व्यक्ति तक पीने का पानी हम मेवात के इलाकों में दे पाएंगे। हमने 2035 की आबादी का टारगेट किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य और सदन को बताना चाहूँगा कि इस समय यह हिन्दुस्तान का सबसे एम्बेशियस प्रोजैक्ट ड्रिंकिंग वाटर का है जोकि माननीय राजीव गांधी जी के नाम से चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी और उनकी सरकार क्रियान्वयन कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि इसके क्रियान्वयन के बाद मेवात के इलाके के करीब 900 गाँवों की कम से कम पीने के पानी की समस्या दूर हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को यह भी बताना चाहूँगा कि लोग साईं बाबा जी ने जो पुट्टा परती की पेयजल योजना बनायी थी उसके बारे में बात किया करते थे। वहां पर पहाड़ के ऊपर से वाटर पाईप लेकर गए थे लेकिन जो हमने पेयजल योजना बनायी है यह उससे भी बड़ी योजना है जोकि आपके प्रान्त में आपकी यह सरकार लागू कर रही है। अध्यक्ष महोदय, हम यह योजना एक समय सीमा के अंदर लागू कर देंगे। सर, यही मैं बताना चाहता था।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, सिंचाई मंत्री जी ने काफी कुछ बताने की कोशिश की है लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कई बातें बताने की वे हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वे थोड़ी और हिम्मत जुटाएं, थोड़ा और साहस जुटाएं और थोड़ा और खुलकर इस बारे में बोलें। मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी साजिश थी, यह हरियाणा के लोगों के साथ, किसानों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ था। ये जो श्रीमान् ओम प्रकाश चौटाला जी मगरमच्छी आँसू बहाकर सदन छोड़कर चले गये इन्होंने न तो पहले कभी परवाह की और न ही इनको आज भी परवाह है क्योंकि जब भी प्रदेश के हितों की बातों के बारे में चर्चा का समय आता है ये उलजलूल बातें कहकर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश करते हैं और मुद्दे को सही लाईन पर न आने देने का प्रयास करते हैं। मेरा आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से यह कहना है कि जो पानी के बारे में पहले करार किया गया था उसकी न तो विधान सभा से परमिशन ली गयी और न ही सिंचाई महकमे से इजाजत ली गयी। इसलिए मंत्री जी को बताना चाहिए कि इस करार को करने वाले कौन लोग थे और इस करार को करने की जरूरत क्या थी? अध्यक्ष महोदय, इसकी मार वैसे तो सारे हरियाणा पर पड़ी लेकिन इसकी सबसे ज्यादा मार उस फरीदाबाद जिले के इलाके पर पड़ी जिस इलाके से मैं संबंध रखता हूँ। मैं पहले भी इस बारे में बता चुका हूँ इसलिए मैं पुनः अपनी बातों को रिपीट नहीं करना चाहता। इसलिए मैं मंत्री जी से पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जिले के अंदर नहरी पानी की भरपायी के लिए जो आपूर्ति की व्यवस्था की हुई है वह ताजेवाला हैड से की हुई है वहीं से पानी छोड़ते हैं वहीं से यह पानी वाया दिल्ली से होता हुआ हमारे इलाके को मिलता है। यह पानी बहुत ही कम हमारे इलाके को मिलता है जिसके कारण किसान अपनी फसल भी नहीं बचा पाते हैं। क्या मंत्री जी ऐसी कोई कृपा हमारे इलाके के ऊपर करेंगे कि हमारे इलाके में आने वाले पानी को ताजेवाला हैड से न छोड़कर यू०पी० से जो हिंडन नदी आती है, उससे पानी दे दें क्योंकि अभी तक जो पानी हमारे इलाके को ताजेवाला हैड से बहता हुआ आता है वह रास्ते में सूखता रहता है इसलिए पूरा पानी हमें नहीं मिल पाता है। तो क्या मंत्री जी इस बारे में प्रयास करेंगे? अध्यक्ष महोदय, जो किसाऊ डैम और रेणुका डैम की बात की जा रही है तो यह ठीक है कि सरकार ने इनको बनाने की समय सीमा 9 वर्ष से कम करवाकर 6 वर्ष की है लेकिन इनको यह भी बताना चाहिए कि जो तमाम पैसा इन पर खर्च होगा वह करार के मुताबिक दिल्ली सरकार ने देना था लेकिन क्या आज भी वहीं शर्तें पांचों प्रदेशों में लागू होंगी या हरियाणा के पैसा देने की भी कोई नयी स्कीम इन्होंने लागू की है? जो यमुना के पानी की हमारे जिला फरीदाबाद की कटौती हुई है वह हिंडन और ताजेवाला के अलावा एक और हैड है जो दिल्ली में ओखला बैराज के नाम से है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार का कंट्रोल है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि पिछली सरकार ने हमारे जिले को जानबूझकर मार मारी है और हितैषी ऐसे बनते हैं जैसे कि बच्चों और किसानों का भविष्य देखने वाले हों। हरियाणा प्रदेश के रखवाले यह लोग नहीं हो सकते इन्होंने तो हमारे ऊपर ऐसी मार मारी है कि जब भी पानी के बंटवारे की बात आती है तो ओखला बैराज पर हरियाणा की कोई सुनवाई नहीं होती है। जब पानी की हमारे प्रदेश को जरूरत होती है तब तो पानी मिलता नहीं है और जब जरूरत नहीं होती है तब छोड़ दिया जाता है। मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री राजस्थान जिन्होंने इस ऐग्रीमैंट पर साइन नहीं किए वे कौन थे और जिन्होंने किए वे कौन थे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और सदन को बताना चाहता हूँ कि 1994 में हरियाणा प्रदेश की तरफ से हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल ने दस्तखत किए थे। वे इस समय सदन में बैठे नहीं हैं। मैं तो उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने यह बात भी कही थी कि उस समझौते पर दस्तखत करते समय उनके हाथ क्यों नहीं कांपे। वह हाथ इसलिए नहीं कांपे थे क्योंकि उनके अपने आदमपुर और सिरसा एरिया में तो भाखड़ा का पानी आता है और यमुना का पानी अन्य 16 जिलों में आता है और हिंडन रीवर के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मुझसे कहने से रह गई थी वह यह है कि 1993 में जो इस बारे में एक ड्राफ्ट पुटअप हुआ था उसमें यह लिखा हुआ था कि—

> "Haryana may draw additional water up to a maximum of 0.25 BCM in a year from that allocated to unutilize by Rajasthan."

एक तो यह क्लॉज था जो कि ड्राफ्ट 1993 में कैबिनेट ने एप्रूव किया था। दूसरा ये था कि—

> "The natural flow of the rivers will be divided at Tajewala and subsequently at Hathnikund between Western Yamuna Canal and Eastern Yamuna Canal in terms of the existing agreement of 1954."

यानी ड्राफ्ट जो पुटअप किया गया था उसमें यह था कि हथनीकुण्ड बैराज और ताजेवाला का पानी केवल उत्तरप्रदेश और हरियाणा के लोग लेंगे लेकिन बाद में 1994 में जो ऐग्रीमैंट साइन हुआ उसमें से यह क्लॉज निकाल दी गई और ये मामले कैबिनेट के आगे भी नहीं रखे गए। यह क्लॉज पहले थी कि—

> "This agreement may be reviewed after 2001, if any of the basin States so demand."

अध्यक्ष महोदय, एम०ओ०यू० जो साइन हुआ उसमें यह ऐग्रीमैंट हो गया कि इसको अब 2025 के बाद रिव्यू करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा कुठाराघात हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ और कोई हो नहीं सकता। इस ऐग्रीमैंट पर पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी के सिग्नेचर हैं और उसमें यह दिया हुआ है कि अब 2025 के बाद यह रिव्यू होगा। इससे ज्यादा अन्याय नहीं हो सकता। जहां तक पानी का सवाल है उसके लिए बी०एम० हांसी बुटाना नहर मल्टीपरपज नहर है और उस पर 354 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके अलावा दादूपुर शाहबाद नलवी कैनाल का 267 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट है। 20 साल से सरकारें आईं और गईं लेकिन किसी भी सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं किया था। उस समय इसके लिए मात्र 150 करोड़ रुपये का बजट था लेकिन आज 650 करोड़ रुपये का बजट है। सिरसा में जो ओटू झील बनी है उसके बारे में हमारे विपक्ष के साथियों ने अपनी सरकार के वक्त में कुछ किया नहीं था। अब ओटू झील का काम हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसी तरह से मेवात कैनाल प्रोजैक्ट जो कि 326 करोड़ रुपये की लागत का है और अम्बाला इरीगेशन स्कीम जो कि 294 करोड़ रुपये की लागत की है, का मामला सी०डब्ल्यू०सी० की क्लीयरैंस के लिए भेजा हुआ है। दलाल साहब जो यह कह रहे हैं कि किस के कहने पर हुआ तो इसका जवाब तो भजन लाल जी ही दे सकते

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

हैं या जो उनके पुत्र उनके बिहाफ पर आजकल पब्लिक के बीच में बोलते रहते हैं। लोगों के बीच में जाकर बात करते हैं, दक्षिणी हरियाणा के हित की बात करते हैं। कहीं जाकर बात करते हैं कि ये कर देंगे, वह कर देंगे, इस बारे में तो उनको ही जवाब देना चाहिए। यह जो पीले रंग का झंडा इनके साथी पहने बैठे हैं, ओढ़े बैठे हैं। ऐसे रंग तो संन्यासी पहनते हैं लगता है कि इनका अब संन्यास लेने का समय आ गया है। मुझे इस बात पर ताज्जुब होता है कि बारह साल तक ये मुख्यमंत्री रह लिए। जिन पार्टी अध्यक्ष राजीव गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने इनको कुर्सी पर बैठाया था उनको भी इन लोगों ने नहीं बख्शा। हरियाणा का अहित तो किया ही किया लेकिन ये जो कार्य किए, यह निंदा के योग्य हैं।

श्री अध्यक्ष : चूंकि डॉक्टर सीता राम जी, हाउस में मौजूद नहीं हैं, धर्मबीर सिंह जी आप एक सवाल पूछ सकते हैं। आपकी काफी क्युरेसिटी है इसलिए I allow you.

मुख्य संसदीय सचिव (श्री धर्मबीर) : स्पीकर सर, यह एक अहम सवाल है क्योंकि हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान है। खासकर यमुना नदी के मार्फत हरियाणा के 15-16 डिस्ट्रिक्टस को पानी मिलता है। भाखड़ा नहर का पानी तो सिर्फ दो अढ़ाई जिलों में ही जाता है। हमें बड़ा खेद है कि माननीय मंत्री जी ने जिस प्रकार से जवाब दिया है कि हरियाणा प्रदेश और पंजाब प्रदेश में पानी के बंटवारे के लिए वर्ष 1954 में एक समझौता हुआ था लेकिन उस समय हरियाणा प्रदेश की जनता को विश्वास में नहीं लिया गया और सालों तक एस०वाई०एल० नहर के लिए और रावी ब्यास के सरपल्स पानी के लिए हरियाणा लड़ाई लड़ रहा है। दूसरी तरफ हमें बड़ा खेद है कि उस समय के हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और उनके साथियों ने हरियाणा की जनता को बगैर बताये यमुना नदी के पानी के लिए एक समझौता कर लिया क्योंकि यमुना नदी का पानी उनके इलाके में तो जाता नहीं था इसलिए क्षेत्रवाद के कारण यह समझौता किया गया। उनके इलाके में तो भाखड़ा नहर का पानी आदमपुर, सिरसा, फतेहाबाद जिलों में जाता था बाकी 16 जिलों में यमुना नदी का पानी जाता है। इसलिए बगैर किसी को विश्वास में लिए उन्होंने यमुना नदी के पानी को घटाया जिसकी वजह से सूखे के कारण बहुत बुरा असर आने वाले समय में इन जिलों पर पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : आप अपना सवाल पूछिये।

श्री धर्मबीर : अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से एक सवाल यह है कि पहले वाले समझौते को रद्द करके यमुना नदी के पानी के लिए हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने लाया जाए और जनता को विश्वास में लेकर दोबारा से नया समझौता किया जाए क्योंकि यमुना नदी के पानी से हरियाणा प्रदेश का दो तिहाई हिस्सा सिंचित होता था। लेकिन उन लोगों ने केवल अपने इलाके को आबाद करने के लिए सिर्फ दो अढ़ाई डिस्ट्रिक्ट की तरफ ही ध्यान दिया। ऐसा करके उन लोगों को बेनकाब करना चाहिए और प्रदेश की जनता के सामने लाकर पहले वाले समझौते को रद्द करके यह समझौता दोबारा से किया जाए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूँ कि क्योंकि हरियाणा में पहले ही पानी की कमी है इसलिए हरियाणा के साथ बड़ा भारी अहित

हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि हरियाणा प्रदेश को 34 एम०ए०एफ० पानी की आवश्यकता है जबकि हरियाणा को केवल 14 एम०ए०एफ० पानी मिल रहा है। इस प्रकार 20 एम०ए०एफ० पानी की कमी है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार के समझौते दोबारा नहीं हो सकते बल्कि हम उनके बारे में केवल अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और यह कह सकते हैं कि यह हरियाणा के हित का मुद्दा है। जिस प्रकार से किसाऊ डैम है, रेणुका डैम है, लखवार डैम है, जब ये तीन-चार डैम जल्दी बन जायेंगे तो इनसे बिजली पैदा होगी और प्रदेश को पानी भी मिलेगा। इस बारे में हम रेणुका डैम की आपत्ति तो दर्ज करा चुके हैं। इस बात के लिए हम कोई कोआपरेट नहीं करेंगे। हमने यह कहा है कि जिन पांच प्रदेशों को जिस रेशो से पानी मिलने के लिए समझौता हुआ था उसी हिसाब से पानी मिलना चाहिए। जो पानी राजस्थान को औखला डैम से मिलना चाहिए था उस पानी को ताजेवाला हैड से देने के लिए पिछली सरकार ने दस्तखत किए हैं इसके लिए बहुत भारी नुकसान हरियाणा को हुआ है। मैं माननीय सदस्य धर्मबीर जी को बताना चाहता हूँ कि ये सारे मुद्दे बड़े नाजुक हैं और इसमें कई स्टेट इन्वोल्वड हैं और ये सारे मामले बातचीत से हल हो सकते हैं। अकेले हमारे हाथ में बात नहीं है। पंजाब को फौलो न करें पंजाब सरकार की तरह हम कोई अनकंस्टीच्यूशनल काम नहीं कर सकते क्योंकि जो भी मुद्दा है वह बातचीत से हो सकता है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के हितों के लिए यह बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला है। मैं पूरे सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि हरियाणा के जो भी हित होंगे उनके लिए हम पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे।

वित्तमंत्री (श्री बिरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है इस मामले को हमें आसानी से नहीं लेना चाहिए। 1994 में जिस किस्म का फैसला हुआ उसकी पर्तें अब जाकर खुली हैं। उस वक्त भी लोग डाऊट करते थे कि यह फैसला हरियाणा के हित में नहीं है। यह भी बात सही है कि उस वक्त की जो सियासत थी वह मिलीजुली सियासत थी इसीलिए साढ़े सत्तरह जिलों के हकों को कुर्बान कर दिया था क्योंकि वे लोग मिलकर सियासत करते थे और करते हैं। मेरा सुझाव यह है कि अब यह बात खुल गई है जैसा कि धर्मबीर जी ने कहा है कि इस समझौते को खत्म करने के लिए इस पर कारगर कदम उठाने जरूरी हैं लेकिन कैप्टन अजय सिंह जी सिंचाई मंत्री हैं और इनकी बात भी महत्वपूर्ण है कि अगर किशाऊ, लखवार डैम बन जाते हैं तो 12 महीने में बारह या साढ़े बारह हजार क्यूसिक पानी रैगूलेट हो सकता है जो एस०वाई०एल० के पानी से भी ज्यादा होगा। इस बात की तरफ पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो लोग वहाँ बैठे थे इन्होंने तो हमेशा एस०वाई०एल० के नाम पर सियासत की है और वोट बटोरने की कोशिश की है। मेरा सुझाव लीडर ऑफ दी हाउस को यही है कि हमारे किशाऊ, रेणुका और लखवार डैमों के हित सुरक्षित रहें और जल्दी इम्पलीमैंट हों। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हमारे हित की जो बात सदन के सामने, हरियाणा के लोगों के सामने नहीं लाई गई, वह बात खत्म हो, निरस्त हो। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मेरा सुझाव है कि आपकी अध्यक्षता में सदन की एक कमेटी बननी चाहिए और उस कमेटी की रिपोर्ट आनी चाहिए, चाहे छः महीने या साल का समय लग जाये। वह कमेटी इस बारे में सभी के सुझाव ले और उसमें यह सुझाव हो कि इस एग्रीमैंट को निरस्त करना है और सदन यूनानीमसली इस एग्रीमैंट को निरस्त करे तभी हरियाणा का हित होगा।

श्री अध्यक्ष : बीरेन्द्र सिंह जी, सदन के नेता ने on the floor of the House यह एशोर किया है कि हरियाणा के हितों के लिए कोई भी लड़ाई लड़ेंगे।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता तो वे भी थे। 1994 में सदन के नेता ने क्या किया था यह बात अब आप सभी जान पाये हैं। उस समय हमारे को तो पार्टी से ही निकाल दिया था।

श्री अध्यक्ष : बीरेन्द्र सिंह जी, सदन के नेता ने स्पष्ट कहा है कि हरियाणा के हितों के लिए और यहाँ के किसानों के हितों के लिए जो भी फैसला लेना पड़ेगा वह लेंगे, पीछे नहीं हटेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर मामला है और आज जो तथ्य हमारे सिंचाई मंत्री जी सदन के सामने लेकर आये हैं ये बड़े विचारणीय तथ्य हैं कि पहले किस तरह से हरियाणा के हितों के साथ खिलवाड़ किया गया और कैसे-कैसे फैसले किए गए। अब हम सब बैठकर इस पर विचार करेंगे और जैसा मैंने कहा जहाँ हरियाणा के हितों का सवाल होगा वहाँ हम अपने फर्ज से पीछे नहीं हटेंगे चाहे इस समझौते पर दोबारा विचार करने की बात होगी तो विचार करेंगे और जो देश के और हरियाणा के हित में होगा उस पर तुरन्त फैसला लेंगे। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पहले हरियाणा के हितों के साथ कुठाराघात हुआ है। यह विषय हरियाणा के हितों के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन जिस प्रकार से विपक्षी पार्टी इनैलो के माननीय सदस्य सदन से बे-वजह भाग गये हैं यह भी बड़े अफसोस की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने बड़ी पेशंज से काम लिया और उनको एशोर किया कि उन्हें मंत्री जी की रिप्लाई के बाद बोलने का समय दिया जायेगा लेकिन वे लोग नहीं रुके। दूसरे दलों के माननीय सदस्य भी सदन में उपस्थित हैं उनको भी आप समय देते हैं। आपने पिछले सदन में भी कहा था कि जो जितना बोलना चाहे बोल ले लेकिन ये पहले से ही तय करके आये हुए थे क्योंकि उनको मालूम था कि जो ये कालिंग अटैंशन का सवाल है यह इतना गम्भीर सवाल है उसमें अपने आपको निर्दोष साबित करना उनके लिए बहुत कठिन था, इस बात पर सदन से बाहर चले गये। अगर उनमें कोई बात है, कोई गरिमा है तो वे अपने विचार रख सकते थे। उनके अतिरिक्त और भी हमारे बहुत से साथी सदन से बाहर चले गये हैं जो कि ठीक नहीं है। लेकिन मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि जो हरियाणा के हितों के साथ कुठाराघात हुआ है, पूरा सदन इस बात को गम्भीरता से ले रहा है। यह सब जिसके हाथ में सत्ता थी और जो विपक्ष में बैठा था दोनों ने ही मिलकर किया है जो कि बहुत निन्दनीय है। इसको रैक्टीफाई करने के लिए जो भी उचित कदम होंगे वह हम उठायेंगे।

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक इस इश्यू का सवाल है यह जो ऐग्रीमैंट है वह लीगल शेप में नहीं आया इसलिए इसको निरस्त करने की बात नहीं है। लेकिन मैं यह कहूँगा कि इस बारे में एक रेजोल्यूशन इस हाउस में लाया जा सकता है जिसमें हम इस सरकार की पोजीशन का स्पष्टीकरण करेंगे। रेणुका डैम के बारे में और यमुना के पानी के बारे में या और दूसरी सब चीजों के बारे में और इस ऐग्रीमैंट के बारे में भी जिसका अभी जन्म नहीं हुआ है उसकी भी चर्चा कर सकते हैं। यह बहुत बुरा हुआ था लेकिन शुक्र है कि हरियाणा इससे बच गया। इसलिए यहाँ एक एप्रोप्रिएट रेजोल्यूशन आना चाहिए ताकि यह बात स्पष्ट हो हरियाणा के लोगों को भी दूसरी स्टेट्स के लोगों को भी।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने रेणुका बांध की जो बात कही है, मैं सदन की इनफरमेशन के लिए बताना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार ने आलरेडी पत्र लिखा हुआ है कि उसके खर्च में जितना भी हमारा हिस्सा बनता है हम उतना पैसा देने के लिए तैयार हैं। जल्दी से जल्दी इसका निर्माण कराया जाये। हम अपने हक के लिए पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि काऊंसिल ऑफ मिनिस्टरज को भी गुमराह किया गया। यह सबसे बड़ी सीरियस बात इसमें आई है। उनके पास तथ्य कुछ और थे और एम०ओ०यू० कुछ और ही साईन किया गया। जैसे राजस्थान को पानी मिलना चाहिए था ओखला डैम से लेकिन एम०ओ०यू० में कर दिया ताजेवाला डैम से। तो इसमें इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। हमने रेणूका डैम के बारे में अपनी सारी आपत्तियां दे दी हैं कि इसको रिव्यू किया जाये। इसके बारे में सैक्रेटरी लैवल की मीटिंग हुई थी, मिनिस्टर लैवल की मीटिंग भी होगी और उसके बाद अपर यमुना बोर्ड की मीटिंग भी होगी उसमें हम यह कहेंगे कि यह एम०ओ०यू० केवल डैमज के बारे में ही साईन हुआ था वह दोबारा रिव्यू होना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि जिस रेशो में हमारा खर्च हो हमें बिजली और पानी भी उसी रेशो में मिलना चाहिए।

श्री नरेश मलिक : अध्यक्ष महोदय, यह हरियाणा के हितों से जुड़ा एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा सामने आया है कि हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी जो आज सदन से उठकर चले गये हैं उन्होंने किस तरह से इस प्रदेश को, इस प्रदेश के किसान को और खास कर उस क्षेत्र को जो आज इतना पिछड़ा हुआ है, दक्षिणी हरियाणा को किस तरह से उन्होंने रौंदा है। मेरा आपके माध्यम से हाउस के नेता से, मंत्री जी से और सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि इस पर जिस तरह पंजाब ने इतना गलत स्टैप लिया था हम उस तरह तो नहीं कहते लेकिन जैसा भाई चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा है कि इस मामले पर विचार करने के लिए हाऊस की एक कमेटी जरूर बननी चाहिए और हाउस में इस पर चर्चा होनी चाहिए और सर्वसम्मति से इस पर प्रस्ताव जरूर पारित करना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से सदन के नेता से और मंत्री जी से भी यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, सदन के नेता की तरफ से ऐश्योरैंसिज आई हैं। इस बारे में आप अपने सुझाव दे सकते हैं। इन्होंने एशौरैंस दी है कि हरियाणा के हितों के लिए हमें चाहे कितना भी बड़ा कदम उठाना पड़े हम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। You are free to approach/ access to the Chief Minister.

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। अभी जो सिंचाई मंत्री जी ने कहा है कि सभी प्रदेशों के बीच में जो करार हुआ था। इसमें रेजोल्यूशन हो तो और भी अच्छा होगा। सारी बातें खुलकर सामने आ जायेंगी सब प्रदेशों और भारत सरकार को भी इसके बारे में मालूम होगा। इससे हम उनके ऊपर यह दबाव बनाने में भी कामयाब हो जायेंगे कि करार की शर्तों के मुताबिक जो रेणूका डैम और किशाऊ डैम में जो पैसा खर्च होना था वह दिल्ली की सरकार द्वारा दिया जाना तय किया गया था। इसलिए यह पैसा ये दें या भारत सरकार दे। क्योंकि पानी हमारा गया है इसलिए उसमें जो हमारा बिजली का हिस्सा जो उन डैमज से बने वह हमें मिले और इस तरीके से माननीय मंत्री जी को इसमें कोई न कोई प्रयास करने चाहिएं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : इस बारे में हमने कह दिया है कि रेणूका डैम में जो पैसा खर्च होगा उसमें हम अपने हिस्से का पैसा देंगे। जितनी भी स्टेट्स हैं वे सभी अपने-अपने हिस्से का पैसा देने के लिए तैयार हैं। हमने भी उनको कह दिया है कि पैसे की कोई कमी नहीं है। दिल्ली कोई ज्यादा बड़ा राज्य नहीं है। हमने यहाँ तक कह दिया है कि जो पैसा हमारे हक में बनता है वह हम देंगे। उत्तर प्रदेश स्टेट भी इस बात के लिए मान गई है और राजस्थान स्टेट भी मान गई है कि वह जो पैसा है वह हम अपने हिसाब से देंगे और बिजली और पानी भी उसी रेशो में बंटना चाहिए। यह बात मैं माननीय सदस्य के नोटिस में लाना चाहता हूँ। यह बात मैंने इरीगेशन मिनिस्टरस की मीटिंग में भी उठाई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बारे में पत्र लिखा है कि जिस रेशो में हम पैसा देंगे उसी रेशो में हमें बिजली और पानी भी मिलना चाहिए जिसका करार एम०ओ०यू० के तहत हुआ था, यह बात हम कह चुके हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार यह कह चुका हूँ कि जहाँ तक इस मुद्दे का सवाल है यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। हरियाणा सरकार हर उचित कदम उठायेगी जो भी हमारे हाथ में होगा। हर तरह से सोच-विचार करके जो भी सदस्य साथियों ने विचार दिये हैं, चाहे हाऊस की कमेटी बनाने की बात हो, अगर कानूनी सलाह भी लेनी पड़ेगी तो वह भी लेंगे। मैं आपको फिर आश्वासन देता हूँ कि जो भी उचित कार्यवाही होगी वह की जायेगी। यह बहुत गम्भीर मामला है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी असर डालेगा। यह हमारे हितों पर कुठाराघात हुआ है। जैसा कि सिंचाई मंत्री जी ने बताया मुझे यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि कैबिनेट में कुछ और फैसला लेते थे और हरियाणा के लोगों को कुछ और ही बताया जाता था। हरियाणा के लोगों को गुमराह किया गया। यह बहुत गम्भीर मामला है और इस पर सोच-विचार करके उचित कदम उठाया जायेगा। कोई भी साथी जो भी प्रस्ताव लेकर आयेगा उस पर यह सदन जरूर विचार करेगा। जहाँ तक हरियाणा सरकार का सवाल है मैं फिर से सदन को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि जो गलत कार्य हुए हैं उनके खिलाफ हम शक्ति से कदम उठाएंगे।

घोषणाएं

(क) अध्यक्ष द्वारा

(i) चेयरपर्सनज के नामों की सूची

Mr. Speaker : Hon'ble Members, under Rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the Panel of Chairpersons :—

1. Shri Balbir Pal Shah, M.L.A.
2. Shri Anand Singh Dangi, M.L.A.
3. Shri Sher Singh, M.L.A.
4. Dr. Sushil Indora, M.L.A.

अनुपस्थिति संबंधी सूचना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am to inform the House that I have received an intimation from Shri Anil Thakkar, Parliamentary Secretary, expressing his inability to attend the present Session due to ill-health.

(ख) सचिव द्वारा

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, Secretary will make an announcement.

श्री सचिव : महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने मार्च, 2007 में हुए सत्र में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूँ।

MARCH SESSION, 2007

1. The Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, 2007.
2. The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2007.
3. The Societies Registration (Haryana Amendment) Bill, 2007.
4. The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 2007.
5. The Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill, 2007.
6. The Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) Bill, 2007.
7. The Punjab Industrial Establishments (National and Festival Holidays and Casual and Sick Leave) Haryana Amendment Bill, 2007.
8. The Haryana Local Area Development Tax (Amendment) Bill, 2007.
9. The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2007.
10. The Haryana Appropriation (No.1) Bill, 2007.
11. The Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 2007.
12. The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2007.
13. The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2007.
14. The Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, 2007.

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now I report the time table of various business fixed by the Business Advisory Committee.

The Committee met at 11.00 A.M. on Monday, the 17th September, 2007 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs, the Assembly whilst in Session, shall meet on Monday, the 17th September, 2007 at 2.00 P.M. and adjourn after conclusion of Obituary References.

On Tuesday, the 18th September, 2007, the Assembly shall meet at 9.30 A.M. and adjourn at 1.30 P.M. without question being put.

On Wednesday, the 19th September, 2007, the Assembly shall meet at 9.30 A.M. and adjourn after the conclusion of the Business entered in the List of Business for the day.

The Committee, after some discussion, further recommends that the Business on the 17th, 18th and 19th September, 2007 be transacted by the Sabha as follows :—

Monday, the 17th September, 2007 (2.00 P.M.)	Obituary References.
Tuesday, the 18th September, 2007	1. Questions Hour.
(9.30 A.M.)	2. Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee.
	3. Papers to be laid / re-laid on the Table of the House.
	4. Presentation of First preliminary report of the Committee of Privileges and extension of time for presentation of the final report thereon.
	5. Presentation, Discussion and Voting on the Excess Demands over Grants and Appropriation for the year 2004-2005.
	6. (i) Presentation of Supplementary Estimates (First Instalment) for the year 2007-08 and the report of the Estimates Committee thereon.

(ii) Discussion and Voting on Supplementary Estimates (First Instalment) for the year 2007-08.

7. Legislative Business.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion Moved —

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

The Motion was carried.

सदन की मेज पर रखे जाने वाले/पुन: रखे जाने वाले कागज-पत्र

Mr. Speaker : Now a Minister will lay/re-lay the papers on the Table of the House.

Minister of State for Forests (Smt. Kiran Choudhary) : Sir, I beg to lay on the Table :—

The Haryana Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2007 (Haryana Ordinance No. 2 of 2007).

The Haryana Tax on Luxuries Ordinance, 2007 (Haryana Ordinance No. 3 of 2007).

Sir, I also beg to re-lay on the Table —

The Personnel Department Notification No. G.S.R. 4/Const./Art. 320/2007, dated the 27th February, 2007, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Amendment Regulations, 2007, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

Sir, I also beg to lay on the Table :—

The Personnel Department Notification No. G.S.R. 6/Const./Art.320/

[Smt. Kiran Choudhary]

2007, dated the 23rd March, 2007, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Second Amendment Regulations, 2007, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Personnel Department Notification No.G.S.R.8/Const./Art.320/2007, dated the 4th April, 2007, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Third Amendment Regulations, 2007, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Personnel Department Notification No. G.S.R. 9/Const./Art. 320/2007, dated the 4th April, 2007, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Fourth Amendment Regulations, 2007, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Personnel Department Notification No. G.S.R. 19/Const./Art.320/2007, dated the 22nd June, 2007, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Fifth Amendment Regulations, 2007, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 45/H.A.6/2003/S.60/2007, dated the 3rd May, 2007, regarding the Haryana Value Added Tax (Amendment) Rules, 2007, as required under section 60(4) of the Haryana Value Added Tax Act, 2003.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 57/H.A.6/2003/S.60/2007, dated the 3rd July, 2007, regarding the Haryana Value Added Tax (Amendment) Rules, 2007, as required under section 60(4) of the Haryana Value Added Tax Act, 2003.

The Rural Development Department Notification No. S.O. 21/C.A.42/2005/S.4/2007, dated the 16th March, 2007, regarding the Haryana Rural Employment Guarantee Scheme, 2007, as required under section 33(2) of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005.

The 32nd Annual Report of Haryana Land Reclamation and Development Corporation Limited Chandigarh for the year 2005-06, as required under section 619-A-(3)(b) of the Companies Act, 1956.

The 39th Annual Report & Accounts of Haryana Agro Industries Corporation Limited Chandigarh for the year 2005-06, as required under section 619-A-(3)(b) of the Companies Act, 1956.

The 38th Annual Report & Accounts of Haryana Warehousing Corporation, Panchkula for the year 2004-05, as required under section 31 (11) of the Warehousing Companies Act, 1962.

The 39th Annual Report and Accounts of Haryana Warehousing Corporation, Panchkula for the year 2005-06, as required under Section 31 (11) of the Warehousing Corporation Act, 1962.

The 33rd Annual Report Haryana Tanneries Limited, Jind for the year 2004-05, as required under section 619-A-(3)(b) of the Companies Act, 1956.

The Audit Report on the Accounts of Haryana Financial Corporation, Chandigarh for the year ended 31st March, 2006, as required under Section 37 (7) of the State Financial Corporation Act, 1951.

विशेषाधिकार मामलों के संबंध में विशेषाधिकार समिति का प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

श्री ओम प्रकाश चौटाला के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Karan Singh Dalal, Chairperson, Committee of Privileges, will present the first Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Randeep Singh Surjewala, Parliamentary Affairs Minister, Haryana against Shri Om Parkash Chautala, M.L.A. in respect of misconduct, misbehaviour and disorderly disrupting the proceedings of the House, unbecoming of a Member of the House, thereby committing the contempt of the House/breach of privilege on 20.03.2007 and so earlier occasions also and will also move the motion for the extension of time for the presentation of the final Report of the House.

Chairperson, Committee of Privileges (Shri Karan Singh Dalal) : Sir, I beg to present the first Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Randeep Singh Surjewala, Parliamentary Affairs Minister, Haryana against Shri Om Parkash Chautala, M.L.A. in respect of misconduct, misbehaviour and disorderly disrupting the proceedings of the House, unbecoming of a Member of the House, thereby committing the contempt of the House/breach of privilege on 20.03.2007 and on earlier occasions also.

Speaker Sir, I also beg to move—

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

वर्ष 2004-05 के अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगें प्रस्तुत करना, चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Finance Minister will present the Excess Demands over Grants and Appropriation for the year 2004-2005.

Finance Minister (Shri Birender Singh) : Sir, I beg to present the Excess Demands over Grants and Appropriations for the year 2004-2005.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the discussion and voting on the Excess Demands over Grant and Appropriations for the year 2004-2005 will take place. As per the past practice and in order to save the time of the House all the demands on the order paper (Nos. 4, 6, 8, 10 and 15) will be deemed to have been read and moved together. The Hon'ble Members, can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise the discussion.

That the grant of a sum not exceeding Rs. 24,82,68,000/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2004-2005 in respect of Revenue.

That the grant of a sum not exceeding Rs. 24,33,96,000/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2004-2005 in respect of Finance.

That the grant of a sum not exceeding Rs. 66,19,31,000/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2004-2005 in respect of Building & Roads.

That the grant of a sum not exceeding Rs. 24,92,75,000/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2004-2005 in respect of Medical & Public Health.

That the grant of a sum not exceeding Rs. 86,50,97,000/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2004-2005 in respect of Irrigation.

(No Member rose to speak)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now I shall put various demands for the year 2004-2005 to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is—

That the grant of a sum not exceeding Rs. 24,82,68,000/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2004-2005 in respect of Revenue.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That the grant of a sum not exceeding Rs. 24,33,96,000/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2004-2005 in respect of Finance.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That the grant of a sum not exceeding Rs. 66,19,31,000/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2004-2005 in respect of Building & Roads.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That the grant of a sum not exceeding Rs. 24,92,75,000/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2004-2005 in respect of Medical & Public Health.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That the grant of a sum not exceeding Rs. 86,50,97,000/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2004-2005 in respect of Irrigation.

The motion was carried.

वर्ष 2007-2008 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will present the Supplementary Estimates (First Instalment) 2007-2008.

Finance Minister (Shri Birender Singh) : Sir, I beg to present the Supplementary Estimates (First Instalment) 2007-2008.

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now, Shri Anand Singh Dangi, Chairperson, Committee on Estimates, will present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (First Instalment) 2007-2008.

Chairperson, Committee on Estimates (Shri Anand Singh Dangi) : Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (First Instalment) 2007-2008.

अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) 2007-2008

अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the discussion and voting on the Supplementary Estimates (First Instalment) 2007-2008 will take place.

As per the past practice and in order to save the time of the House, demands on the order paper (Nos. 22 and 25) will be deemed to have been read and moved together. Hon'ble Members, can discuss any demand. They are requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion.

> That a Supplementary sum not exceeding Rs. 499,05,00,000/- for revenue expenditure and Rs. 7,18,49,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 22 — Cooperation.

> That a Supplementary sum not exceeding Rs. 109,00,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 25 — Loans and Advances by State Govt.

(No Member rose to speak)

Mr. Speaker : Now, the demands will be put to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is—

> That a Supplementary sum not exceeding Rs. 499,05,00,000/- for revenue expenditure and Rs. 7,18,49,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 22 — Cooperation.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 109,00,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 25 — Loans and Advances by State Govt.

The motion was carried.

विधान कार्य

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Bill, 2007 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Shri Birender Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Panchayati Raj (Second Ammendment) Bill, 2007.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

दि हरियाणा पंचायती राज (सैकेण्ड अमैन्डमैन्ट) बिल, 2007

12.00 बजे

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause-2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Birender Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री एस०एस० सुरजेवाला (कैथल) : स्पीकर साहब, यह जो बिल है इसके बारे में मैं आपके सामने कुछ समस्याएं रखना चाहता हूँ। स्पीकर साहब, गाँवों की आबादी पिछले वर्षों में बहुत ज्यादा बढ़ गयी है पहले से कई गुना ज्यादा हो गई है। आज से बहुत साल पहले श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो बिना जमीन के लोग हैं जिनके पास गाँवों में जमीन नहीं है, भूमिहीन लोग हैं उनके आवास के लिए प्लाट्स देने का प्रावधान किया था। ऐसे भूमिहीन लोगों को पूरे हरियाणा में या पूरे देश में ये प्लाट्स दिए गए थे। इसके बाद दो-दो, तीन-तीन पीढ़ियां लोगों की और बढ़ गयी हैं इसलिए आज गाँवों में पोजीशन यह है कि बिना जमीन के जो भूमिहीन लोग हैं उनके बसने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही दुःख की बात है कि दो-दो, तीन-तीन पीढ़ियों को एक ही जगह पर एक-एक कमरे में ही सोना पड़ता है, उसी जगह में ही विश्राम करना पड़ता है क्योंकि उनके पास रहने के लिए और कोई व्यवस्था नहीं है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से दरखास्त करूँगा कि गाँवों में बसने वाले तमाम भूमिहीन लोगों को पंचायत की जो

भूमि है, शामलात भूमि जो है उसको पंचायत के माध्यम से 100-100 गज के प्लाट्स के रूप में दिए जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आप भी इस बात से अवगत हैं कि जब शुरू में गाँव बसने शुरू हुए थे तो उस वक्त गाँव का जो दादाखेड़ा था वह तब पक्का बना था जब उस गाँव में जो कुम्हार बिरादरी के लोग हैं, उन्होंने पंजावा लगाया था और उसमें पक्की ईंटें बनायी थी। इसी प्रकार से दूसरी झीमर बिरादरी है जिन्होंने गाँवों में कुएं खोदकर पानी पिलाने की व्यवस्था करी थी। उनके बिना तो गाँवों के लोग पानी नहीं पी सकते थे। इसी प्रकार से दूसरी पिछड़ी श्रेणियों की, भूमिहीन लोगों की और भी कई बिरादरियाँ हैं जिनका गुजारा गाँवों की शामलात भूमि पर, गाँवों की कॉमन लैंड जो होती थी उस के ऊपर चलता था। चाहे वे टोकरियाँ बनाते थे या चाहे वह चमड़े का काम करते थे। इसी तरह से कुछ बिरादरी सफाई का काम करती थीं। लेकिन व्यवस्था बदलने के साथ पूंजीवादी व्यवस्था ने उन सब लोगों को बेरोजगार कर दिया जिसके कारण उनमें से बहुत से लोग तो गाँवों से पलायन भी कर गए हैं। लेकिन अभी भी काफी बड़ा हिस्सा उन लोगों का गाँवों के अंदर है और उस वक्त उनकी हालत, उनकी माली हालत, उनके रोजगार की हालत बहुत ही खराब है। मैं सरकार से यह भी दरखास्त करूँगा कि कॉमन लैंड ऐक्ट में शामलात भूमि के बारे में अभी भी यह प्रावधान है कि सरकार अगर चाहे तो पंचायत की भूमि में से एक-एक किल्ले, दो-दो किल्ले जमीन कुम्हारों को मिट्टी खोदने के लिए तथा किसी और बिरादरी को कुछ और काम करने के लिए दी जा सकती है ताकि उनके रोजगार बरकरार रहें। अध्यक्ष महोदय, यही मेरी दरखास्त है जो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता था।

श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद) : स्पीकर सर, अभी जो सुरजेवाला साहब ने बात कही, मैं इस बात की पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ। इन्होंने तो 100-100 गज के प्लाट देने की बात कही है लेकिन मैं उनसे भी बढ़कर यह कहता हूँ कि 100-100 गज जमीन बहुत थोड़ी है। कम से कम 200-200 गज जमीन देनी चाहिए। जो फालतू जमीन पड़ी है वह खास तौर से जो भूमिहीन लोग हैं, एस०सी० वर्ग के लोग हैं, कमजोर वर्ग के बी०सी० के लोग हैं उन सबको सरकार द्वारा प्लाट दिये जाने चाहिए, चाहे वह 99 साल के पट्टे के हिसाब से दे, चाहे बिना ब्याज 99 साल के पट्टे के हिसाब से दे। 1991 में कांग्रेस की चौधरी भजन लाल की सरकार थी और वर्तमान सरकार के आने से पहले पांच साल तक लोकदल की सरकार रही है। उनके लिए 36 बिरादरी के लोग रोज भगवान को मनाते थे कि भगवान यह सरकार कब जाए और 36 बिरादरी के हकों की रक्षा करने वाली सरकार कब आए।

श्री अध्यक्ष : वह सरकार तो आपकी पार्टी की मदद से चल रही थी।

श्री राम कुमार गौतम : यह ठीक है कि वह सरकार सैन्ट्रल में हमारी पार्टी की मदद से चल रही थी।

श्री अध्यक्ष : विधान सभा में भी आपकी पार्टी की उस सरकार को सपोर्ट थी।

श्री राम कुमार गौतम : लेकिन हमारी पार्टी के नेता श्री कृष्ण पाल गुज्जर उस सरकार के कट्टर विरोधी थे। (विघ्न) जब कांग्रेस की सरकार आती है तो गरीब लोगों को उम्मीद बंध जाती है कि सरकार हमारा भला करेगी। उस समय की जो चौधरी भजन लाल की 1991 में सरकार आई थी उसको भी गरीब लोग लाए थे। 1987 में जो चौधरी देवी लाल की सरकार थी उससे तंग आकर और नाराज होकर 1991 में चौधरी भजन लाल की कांग्रेस की सरकार को लोग लाए थे।

[श्री राम कुमार गौतम]

उस समय मंडल कमीशन लागू हुआ, हरियाणा में उस समय चौधरी भजन लाल मुख्यमंत्री थे जो अपने आपको 36 बिरादरी का नॉन जाट चैम्पियन कहते हैं और नॉन जाट की राजनीति करते आए हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 1996 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो उस समय जो गरीब लोग थे जैसे नाई, तेली, धोबी, सुनार और लुहार जो कि रीयल बैकवर्ड हैं। (विघ्न) कुछ असली बैकवर्ड हैं और कुछ नकली हैं। जो रीयल बैकवर्ड थे, उनके लिए मंडल कमीशन लागू किया ही नहीं। क्लास-1 और क्लास-2 की नौकरियों में केवल 10 प्रतिशत रिजर्वेशन है उसमें यादव, गुज्जर, मेव और सैनी ये चार जातियाँ डाल दीं। 1996 के बाद क्लास-1 और क्लास-2 की नौकरियों में कोई बैकवर्ड बहुत कम ही आया है। इस कैटेगरी के लोगों के साथ बराबर ज्यादती रही है। मैं तो इस सरकार से भी आग्रह करूँगा कि उस समय बैकवर्ड क्लास के साथियों के साथ यह ज्यादती रही कि उनके लिए 27 परसैंट रिजर्वेशन लागू नहीं किया गया, मेरी मांग है कि वह यह सरकार लागू करे। एस०सी०, बी०सी० के भाइयों के साथ पिछले दिनों जो जुल्म हुए और जो गरीब लोगों के साथ अन्याय हुआ, उन पर जुल्म ढाये गये, उन सबको उम्मीद थी कि हुड्डा जी की सरकार आएगी तो उनके साथ जो ज्यादती हुई है उसका हिसाब करेगी। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि जिन्होंने ज्यादती की थी वे इस राज में भी मौज मार रहे हैं और उस राज में भी मौज मार रहे थे। जो इनेलो की सरकार थी। उस समय के बारे में बिजली देने के बारे में अगर हम बहस करें, लॉ एण्ड ऑर्डर पर बहस करें तो हम पाएंगे कि इनेलो की सरकार के समय में कोई कानून नहीं था बल्कि मैं समझता हूँ कि गुण्डागर्दी का राज था। उसके बाद माननीय सदस्या कहती हैं कि क्रप्शन पर बहस की जाए। उनके राज में क्रप्शन के देवी देवता खुद प्रदेश में विराजमान थे उस माननीय सदस्या को इस बारे में पता ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि पिछले अढ़ाई साल के समय में जो कार्य करने चाहिएं थे किए नहीं गये। जब भी इस बारे में हुड्डा साहब से बात होती है तो वे कहते हैं कि क्रप्शन को खत्म करना है। आज क्रप्शन के देवी देवता सड़क पर राज की लड़ाई लड़ रहे हैं इसलिए हुड्डा साहब आपको उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। मगर जब भी हुड्डा साहब से इस बारे में बात होती है तो हुड्डा साहब कहते हैं कि उनके खिलाफ कार्यवाही सी०बी०आई० करेगी। मैं कहता हूँ कि पिछले अढ़ाई साल में सी०बी०आई० ने कोई कार्यवाही नहीं की तो वह कब कार्यवाही करेगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बार उस समय भी आप बोलने का समय देना जब इनेलो के सदस्य सदन में मौजूद हों आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री फुलचन्द मुलाना (मुलाना) : अध्यक्ष जी, पंचायती राज अमैण्डमैंट बिल सदन के सामने है और लगभग पास होने वाला है। माननीय श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने एक मुद्दा उठाया है लेकिन इस बिल में तो मुद्दा कुछ और है कि जो गलत ऐफिडेविट फाईल किये गये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही का प्रावधान किया जाए। लेकिन जो मुद्दा उन्होंने उठाया है वह भी एक अहम मुद्दा है। मैंने यह मुद्दा बहुत पहले सदन में उठाया था। इस बिल में अमैण्डमैंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पंचायत को यह पूरा अख्तियार है कि जो भूमिहीन हैं उनको पंचायत की भूमि में से जमीन दे सकते हैं केवल यह बिल पास करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, इस बात की बहुत जरूरत है कि जो गरीब आदमी हैं, भूमिहीन हैं जिनकी गाँव में कोई जगह नहीं है जहाँ वे रह सकें अपना सामान रख सकें इसलिए उनको प्लाट दिए जाने चाहिएं। एक और मुद्दा है कि स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के राज में जो प्लाट भूमिहीनों को दिए गये थे

उन गरीब लोगों को बहुत सालों तक उनका मालिकाना हक आज तक नहीं मिला है। इसलिए यह भी आवश्यक है कि उनको मालिकाना हक दिया जाए। पिछली सरकार के समय में हरसौला गाँव के 200 परिवारों को गाँव से निकाल दिया गया था और इस सरकार ने उन लोगों को बसाने का काम किया है और उनको बिजली देने का प्रावधान किया है। दुलीना में नौ हरिजनों को मार दिया था जबकि वे लोग अपना व्यापार करने जा रहे थे। जहाँ-जहाँ दलितों और दबे हुए लोगों पर ज्यादतियाँ हुई हैं वहाँ पर इस सरकार ने तुरन्त कार्यवाही की है। मैं चाहूँगा कि श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने जो मुद्दा उठाया है उसको पूरी तरह से लागू किया जाए।

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष जी, यह जो दलित वर्ग को प्लॉट देने की बात कही गई है इस बारे में हमारी पार्टी के घोषणा-पत्र में भी हमने स्पष्ट लिखा था लेकिन मैं माननीय सदस्य के नोटिस में यह भी बात लाना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में तकरीबन 40-42 ऐसी पंचायतें हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और हमने इस बारे में एक सर्वे भी कराया था और उसके तहत अगर हम उन सारी पंचायतों को प्लाटों के लिए जमीन की अलॉटमेंट करने के लिए जमीन को एक्वायर करते हैं तो आज जमीन का जो फलौर रेट है उसके हिसाब से सरकार को कम से कम एक हजार करोड़ रुपये का उन लोगों को कम्पेनसेशन देना पड़ेगा जिन लोगों की जमीन हम अधिग्रहण करते हैं। लेकिन क्योंकि हमने अपने पार्टी के घोषणा-पत्र में कॉमिट किया है इसलिए हम इसके लिए प्रयासरत हैं इसमें कोई दो राय नहीं है।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा कोऑपरेटिव सोसायटीज (अमैन्डमैन्ट) बिल, 2007

Mr. Speaker : Now, the Cooperation Minister will introduce the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2007 and will also move the motion for its consideration.

Agricultural Minister (Sardar H.S. Chatha) : Sir, I get to introduce the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2007.

Sir, I also beg to move—

> That the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

> That the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2 to 18

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 18 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Minister will move that the Bill be passed.

Agricultural Minister (Sardar H.S. Chatha) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Bill be passed.

श्री एस०एस० सुरजेवाला (कैथल) : अध्यक्ष महोदय, कोपरेटिव बिल पास करने के लिए अभी प्रस्ताव सदन के रूबरू है। मैं सदन का ज्यादा समय न लेते हुए यह कहना चाहूँगा कि पिछले दो साल के दौरान भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने कृषि के लिए, खेती के लिए किसान और खेत मजदूर को जो ऋण बैंकों द्वारा दिया जाता था उसकी ब्याज दर 18 प्रतिशत से 24 प्रतिशत थी उसे कम करके 7 प्रतिशत किया है। अब तीन लाख रुपये तक खेती के लिए जो भी किसान कोपरेटिव बैंक या राष्ट्रीय बैंक से ऋण लेगा उसे 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज नहीं देना पड़ेगा। यह सरकार का बहुत ही सही कदम है जो किसानों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। इस 7 प्रतिशत ब्याज दर से किसानों को और गरीब मजदूर को बहुत रिलीफ मिला है। लेकिन सरकार चाहे तो इस ब्याज दर को और कम किया जा सकता है और यह बताना चाहूँगा कि कोपरेटिव ऐक्ट में यह ब्याज और कम कैसे किया जा सकता है। जो कोपरेटिव बैंक हैं वे दो तरह के हैं। एक सैंट्रल कोपरेटिव बैंक है जिसकी हरियाणा की चण्डीगढ़ में ब्रांच है, फिर

जिलों में ब्रांच है उसके बाद गाँवों में कोपरेटिव सोसायटीज हैं जो किसानों को कर्जा देती हैं। दूसरा लैंड डिवैल्पमैंट बैंक हैं जिसको पहले लैंड मोर्टगेज बैंक के नाम से जाना जाता था और अब एग्रीकल्चर डिवैल्पमैंट बैंक कहा जाता है। उसकी भी हरियाणा की ब्रांच चण्डीगढ़ में है और हरियाणा में हर जिले में सब-डिविजन लैवल पर उसकी ब्रांचिज हैं। अध्यक्ष महोदय, नाबार्ड जो है, किसान को खेती के लिए जो कर्जा इन बैंकों को देता है वह 3 प्रतिशत ब्याज दर के हिसाब से देता है। कोपरेटिव बैंक और लैंड डिवैल्पमैंट बैंक हैं जिनकी शाखा चण्डीगढ़ में हैं वे 3 प्रतिशत इसमें ओवर हैड चार्जिज जोड़ देते हैं क्योंकि इन्हीं बैंकों के मार्फत नीचे किसानों को लोन मिलता है। अगर कभी आप इन बैंकों के रैस्ट हाऊस हैं उनको जाकर देखेंगे और इनके अधिकारी जो हिन्दुस्तान और पूरी दुनिया में टूर पर जाते हैं अगर आप वह देखेंगे तो पाएँगे कि ये बहुत ही लग्जरियस जिन्दगी जीने लग जाते हैं। यहाँ किसान पर 3 परसैंट से 6 परसैंट ब्याज लगाया जाता है और जब जिले में जायेंगे तो 3 परसैंट जिले वाले एड कर देंगे 9 परसैंट और 2 परसैंट सोसायटी लेगी यानि टोटल 11 परसैंट हो जायेगा। सरकार ने जो दर कम किया है वह सरकार उनको पैसा देने लग रही है। भारत सरकार और प्रान्तीय सरकार उसका खर्च उठा रही है वह एक दूसरी बात है। लेकिन मैं यह कहूँगा कि जो चण्डीगढ़ में स्टेट लैवल के बैंक हैं यानि स्टेट कोआपरेटिव बैंक और एग्रीकल्चरल लैंड डैवलपमैंट बैंक इन दोनों का कोई भी रोल नहीं है क्योंकि ये रुपये तो दुगना तो कर नहीं सकते। जितना आता है उसमें से ये अपने चार्जिज लेते हैं। इन दोनों बैंकों को तोड़ दिया जाये। इस ब्रांच की जरूरत नहीं है। जिले वाले बैंकों की भी जरूरत नहीं है और कम से कम एग्रीकल्चर लैंड डैवेलपमैंट को छोड़कर जिसकी ब्रांच नीचे हो सकती है यानि जो कोआपरेटिव बैंक हैं उनकी सीधी गाँव की जो अपैक्स सोसायटीज हैं उनको आप बैंक का स्टेट्स दें तो उसको आप बैंक डिक्लेयर कर सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर उसका जो स्टॉफ है वह भी ट्रैंड स्टाफ हो और उसके मैनेजर जो हैं वह भी ट्रैंड हों। एक आध कोई दूसरे भी बाबू हों आज की तरह अनपढ़ आदमी न हों। आज तो जो सैक्रेटरी भी है वह भी शायद आठवीं पास है और उनका कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए एक और मेरी दरखवास्त है कि उस कोआरपेटिव बैंक को और गाँव वाले को आप पूरी बैंकिंग की पॉवर दे दें ताकि वह न सिर्फ किसान और गरीब को खेती के लिए कर्जा दे बल्कि गाँव के लोगों से डिपोजिटस भी ले लें। इससे किसान को यह सहूलियत भी हो जाएगी कि जो उसके पास थोड़ा-बहुत सरप्लस रुपया है वह उस बैंक की ब्रांच में रख सकेगा और उसको उस पर थोड़ा ब्याज भी मिल जायेगा। इसके अलावा जब वह चाहेगा अपना पैसा निकाल लेगा और जब चाहेगा तो जमा कर देगा। यही मेरी सरकार से दरख्वास्त है और सरकार इस बारे में गम्भीरता से सोच भी रही है। मेरी दरख्वास्त है कि यह प्रावधान जल्दी किया जाये ताकि किसान को और गरीब को 5 प्रतिशत की ब्याज दर पर कर्जा मिल सके।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारिता विभाग के मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूँ कि जो माननीय श्री सुरजेवाला जी ने बात कही है वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात है कि बैंकिंग प्रणाली को थ्री टायर सिस्टम से टू टायर सिस्टम कर दिया जाये जैसा दिल्ली के अन्दर है। इससे किसानों का जो रेट ऑफ इन्टरेस्ट है उसमें अपने आप ही कमी आयेगी। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सरकार ने कितने ही कल्याणकारी काम प्रदेश के अन्दर किये हैं मगर सहकारी विभाग में जो लैंड डैवेलपमैंट मोर्टगेज बैंक हैं, स्पीकर सर, किसान उसमें अपनी धरती गिरवी करता है और धरती गिरवी करने के बाद उसको कर्ज मिलता है। कितनी बड़ी विडम्बना है, अध्यक्ष महोदय

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

कि धरती किसान की गिरवी होती है और चैक डीलर के नाम पर कटता है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के अन्दर डीलर्ज का एक नैक्सैस बना हुआ है और वे बैंक के अधिकारियों से मिलकर के बेचारे किसान का शोषण करते हैं। अध्यक्ष महोदय आज समय बदल गया है कोई जमाना हुआ करता था जब इन जमीनों की इतनी कीमत नहीं हुआ करती थी मगर आज मुख्यमंत्री जी के और इनकी सरकार के द्वारा जो अच्छे निर्णय लिये हैं उससे किसान की धरती का मूल्य आसमान को छू रहा है। अध्यक्ष महोदय एक ट्रैक्टर अगर लेना हो तो किसान को 5 एकड़ कम से कम जमीन गिरवी करनी पड़ेगी जबकि दिल्ली के चारों तरफ आज धरती की कीमत 50-50 लाख, एक-एक करोड़ रुपये है। अध्यक्ष महोदय किसानों ने अगर किसी भी स्कीम के लिए कर्जा लेना है तो डीलरशिप का जो माध्यम बना हुआ है उसके माध्यम से कर्जा लेने पड़ेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री चट्ठा जी से आग्रह करूँगा कि वे मेरी रिकवैस्ट पर गौर करने की कृपा करें। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इस पर जरूर कृपा करें क्योंकि यह प्रदेश के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। अगर आप इन लैंड डैवलपमैंट मोर्टगेज बैंक के अधिकारियों के हालात देखिए और इनके घरों को देखिए तो पाऐंगे कि किस तरह इन बैंकों के कर्मचारी आलीशान मकानों में रहते हैं। मैनेजर, एल०वी०ओ० न जाने कौन-कौन से अधिकारी क्लर्क और यहाँ तक कि चपड़ासियों की जो हालत है वह भी बहुत अच्छी है और वह सभी किसानों का माल लूटते हैं। इसलिए इन बैंकों के नियमों को बदलने का समय आ गया है। आप यह कर सकते हैं। दूसरा अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि जो गाँवों में सहकारी समितियाँ हैं न जाने किस अधिकारी ने सलाह दे दी कि इन समितियों के दायरे का हम दोबारा से पुनर्गठन करें। अध्यक्ष महोदय, पहले जो समितियाँ बनी हुई थी उनको सहकारी विभाग ने बड़ा करने के लिए कई-कई गाँवों को उसमें सम्मिलित कर लिया है। सहकारी समितियों से किसानों को खाद और बीज आदि के लिए लोन लेना होता है। इन समितियों को बजाय दूर-दूर के गाँवों में फैलाकर और दूर-दराज के लोगों को दूसरे गाँवों में जाने के लिए मजबूर न करके अब समय आ गया है कि इनको गाँव के अन्दर ही बनाया जाना चाहिए। आज जो बड़ी समितियाँ हरियाणा में बनी हैं उससे लोगों को तकलीफ हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें तथा इन समितियों का गठन नये तरीके से ऐसा करें ताकि लोगों को गाँव के गाँव में ही सहूलियत मिल सकें।

श्री नरेश मलिक (हसनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं घरेलू कारणों से कल नहीं बोल सकूँगा। अतः मुझे आज ही बोलने का मौका दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप आज बोल सकते हैं।

श्री नरेश मलिक : अध्यक्ष महोदय, गाँवों में किसान को ट्रैक्टर का लोन लेने के लिए 5 एकड़ की फर्द जमा करवानी पड़ती है यानि 5 एकड़ जमीन गिरवी रखनी पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने जमीन के फ्लोर रेट कम से कम 8 लाख प्रति एकड़ से 16 या 18 लाख रुपये प्रति एकड़ तक तय किये हुए हैं। अगर किसान को इसका 70 फीसदी भी पैसा सीधा इन समितियों से मिल जाये तो उसको ट्रैक्टर खरीदने के लिए अपनी 5 एकड़ जमीन की फर्द जमा न करवानी पड़े और इससे सरकार को भी कोई लॉस नहीं होगा। अगर सरकार उनको यह सुविधा दे दे तो हमारे जमींदारों के बच्चे भी व्यापारी बन जायेंगे। उनको अपनी जमीन बेचनी नहीं पड़ेगी।

वे अपने एक एकड़ की फर्द दें और उनको पैसा मिल जाये। इस पर 70 फीसदी के हिसाब से उनको 10-12 लाख रुपये तक लोन मिल सकता है। तो मेरा यह सुझाव है कि अगर इस तरह की सुविधा इस प्रदेश में लागू कर दी जाये तो किसानों को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है।

श्री अरजन सिंह (छछरौली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है कि जो बैंकों ने ब्याज कम किया है जैसा कि श्री सुरजेवाला जी ने कहा, यह एग्रीकल्चर पर तो कम कर दिया लेकिन जो हमारे मजदूर और गरीब आदमी हैं जिनके पास जमीन नहीं है उनको इसका फायदा नहीं हो पाया। एक तो वे गरीब आदमी हैं, उनके पास जमीन नहीं है, दूसरे उनका सूद ज्यों का त्यों रह गया। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

श्री नरेश यादव (अटेली) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे मेरा आपके माध्यम से एक सुझाव है कि किसान को जो लोन मिलता है वह चाहे किसी भी चीज के लिए लेता है, डेयरी खोलने के लिए लेता है, ब्याह शादी करने के लिए लेता है या कर्जा चुकाने के लिए लेता है, उसके लिए वह लैंड मोर्टगेज बैंक में अपनी जमीन गिरवी रखता है। वह असल लोन की कीमत से भी ज्यादा कीमत की अपनी जमीन गिरवी रखता है फिर भी उसको बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर किसान को उसके असली मकसद के लिए सरकार लोन देने लग जाये तो उसको ज्यादा चक्कर न लगाने पड़ें। जैसे अभी हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि उनको बहुत परेशानी होती है। ये जो एल०बी०ओ० वगैरह होते हैं ये किसानों के बहुत चक्कर लगवाते हैं और उनसे रिश्वत भी लेते हैं। किसान अपनी जमीन भी गिरवी रखता है फिर भी उसको रिश्वत देनी पड़ती है, चक्कर लगाने पड़ते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप उनको पकड़वाते क्यों नहीं। आप सदन के एक जिम्मेदार सदस्य हैं। इसलिए यह आपकी ड्यूटी बनती है कि आपकी आँखों के सामने इस तरह का काम होता है तो आप उसको पकड़वाएँ। It is a lapse on your part.

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, किसान कहाँ पकड़वायेगा। वह तो सोचता है कि अगर वह शिकायत करेगा तो उसका लोन भी नहीं दिया जायेगा।

श्री राधेश्याम शर्मा अमर (नारनौल) : अध्यक्ष महोदय, किसान ने जो पहले लोन ले रखा है उसके लिए जमीन मोर्टगेज बैंक के पास प्लैज की हुई होती है। उसके पास 5-7 एकड़ जमीन होती है जिसके अगेन्स्ट उसने लोन ले रखा होता है। जब वह लोन आधे से ज्यादा पे कर देता है उसके बावजूद भी उसकी जमीन फ्री नहीं होती और अगर उसको दोबारा पैसे की जरूरत होती है तो वह उस जमीन पर दोबारा लोन नहीं ले सकता है। जितना लोन उसने पे कर दिया है अगर उसकी उतनी जमीन फ्री करवा दी जाए तो किसान उस जमीन के अगेन्स्ट दूसरा लोन ले सकता है लेकिन उसकी जमीन प्लैज होने के कारण वह सैकण्ड लोन नहीं ले पाता है क्योंकि मोर्टगेज बैंक कहता है कि आपने पहले जो लोन ले रखा है पहले आप उसको पूरा करें उसके बाद बैंक दूसरा लोन देगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूँगा कि वे इस बिल के अन्दर ऐसा प्रावधान करने की कृपा करें ताकि किसान दूसरा लोन ले सकें।

श्री रणधीर सिंह (बरवाला) : अध्यक्ष महोदय, इस समय हाउस में बैंक से लोन के बारे में चर्चा चल रही है। इस बिल में सबसे बड़ी बात यह है कि किसान को जब मोर्टगेज बैंक

[श्री रणधीर सिंह]

कोई भी लोन देता है तो उसकी फस्ट इंस्टॉलमैंट और सैकण्ड इंस्टॉलमैंट में एक-एक साल का समय लग जाता है। किसान को जिस समय पैसे की जरूरत होती है उसको पैसा नहीं मिल पाता है। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मेरा यह सुझाव है कि जो फस्ट इंस्टॉलमैंट और सैकण्ड इंस्टॉलमैंट में जो समय लगता है उसकी भी समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि को-ऑप्रेटिव बैंकस की आजकल जो स्कीमें आई हैं उन स्कीमों के तहत जो लोन दिया जाता है वह उस कार्य के मुताबिक दिया जाना चाहिए। हमारे जो किसान भाई कार्य करना चाहते हैं उनको तो वक्त पर लोन मिलना चाहिए और उसके लिए समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

श्री रामकिशन फौजी (एस०सी०, बवानी खेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में जैसे कि माननीय सुरजेवाला तथा दलाल साहब ने बताया है कि जब किसान किसी भी प्रकार के ट्रैक्टर आदि के लिए लोन लेने के लिए बैंक में जाता है तो उसकी जमीन की रजिस्ट्री बैंक में जमा हो जाती है लेकिन उसके बाद भी 6-6 महीने या साल-साल तक उसको लोन नहीं मिलता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है कि जब बैंक में रजिस्ट्री जमा हो जाती है और जमीन गिरवी रख दी जाती है तो यह समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए कि उसके बाद उसको कितने दिनों में लोन दे दिया जाएगा।

कृषि मंत्री (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा) : अध्यक्ष महोदय, हाउस में जो चर्चा हुई और माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं हैं उनमें बहुत सी बातें तो इस अमैंडमैंट के साथ रैलेवैंट नहीं है। यह अमैंडमैंट केवल 2-3 बातों के लिए थी कि इलैक्शन कैसे होना है, नॉमिनी कैसे आना है और उसके मुताबिक रजिस्ट्रार को क्या पॉवर्ज हैं। रजिस्ट्रार को within six month suspend करने के बगैर दोबारा इलैक्शन करना पड़ेगा, गवर्नमैंट का नॉमिनी कौन होगा, These are the amendments made in this Bill. So, I would request you that much more has been said but there is no relevant suggestion.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House is adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 19th September, 2007.

* 12.35 Hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Tuesday, the 19th September, 2007)